हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई सुविधाओं से फसलों के उत्पादन का बदलता स्वरूप

दयाराम[1] व राजेन्द्र कुमार मेघवंशी[2]
[1,2]श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा, हनुमानगढ़

शोध सारांश

हनुमानगढ़ जिला भारत के राजस्थान राज्य का एक जिला है जो उत्तरी राजस्थान में घग्घर नदी के दायें तट पर स्थित है। हनुमानगढ़ का कुल क्षेत्रफल 9656.09 वर्ग किलोमीटर है। शोध के लिए चयनित जिला 29º5′ उत्तरी अक्षांश से 30º6′ उत्तरी अक्षांश व 74º3′ पूर्वी देशान्तर से 75º3′ पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित है।हनुमानगढ़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में 15 वें स्थान पर है।एक समय मरूस्थल रहा हनुमानगढ़ जिला आज नहरों की सिंचाई से एक कृषि समृद्ध जिला बनता जा रहा है। भाखड़ा नहर व इन्दिरा गांधी नहर आने से जिले में सिंचित क्षेत्र बढ़ोतरी हुई है उदाहरणार्थ 1995–96 से 2016–17 तक हम देखे तो यहां 300376 हैक्टर सिंचित क्षेत्र बढ़ा है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जिले में नहरों व अन्य सिंचित स्त्रोतों के विकास से सिंचित क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि हुई है। जिससे यहां कि कृषक व कृषि सहायक वर्ग की सामाजिक व आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ हुई ही है इसके साथ ही यह जिला मरूस्थल से मरूउद्यान में परिवर्तित हो गया है तथा राजकीय आय व विकास में अहम भूमिका अदा कर रहा है।

शब्दावली:–*मेरूदण्ड, आश्रित फसल, परम्परागत कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, कृषि आगतें, व्यवसायिक कृषि, संकर व बौने बीज, बहूफसलीकरण चक्र।*

परिचय

पूर्व काल में हनुमानगढ़ जिले में खाद्य उत्पादन का मेरुदण्ड बारानी खेती होती थी लगभग सभी क्षेत्र में वर्षा आधारित खेती होती थी तथा वर्षा पर आश्रित मुख्य फसल खरीफ होती थी लेकिन जिले में कुल क्षेत्र में सिंचित नमी से रवि की फसल भी उगाई जाती थी बारानीक्षेत्रमें विस्तृत स्तर पर बुवाई के उपरांत भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन सामान्य मापदंडों से कम ही होता था लेकिन वर्तमान समय में शोध जिले में सिंचाई साधनों के विकास होने से कृषि उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिले में भाखड़ा नहर व आई.जी.एन.पी. नहर आने से जिले की तस्वीर ही बदल गई है क्योंकि वर्तमान समय में जिले के लगभग हिस्से पर सिंचाई होने लगी है। सिंचाई सुविधाओं के विकास से खेती के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया है। कृषि जीवन निर्वाह या परम्परागत न होकर व्यवसायिक दृष्टि से की जाने लगी है। पहले खेती का स्वरूप परंपरागत तरीके का था जिसमें खेती केवल केवल किसान अपना पेट भरने के लिए करता था। सिंचाई साधनों के विकास के फलस्वरुप जिले के कृषिक्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है कृषि आगतों में हुए गुणात्मक सुधार के फलस्वरुप शोध जिले में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिला खाद्यान उत्पादनों में आत्मनिर्भर बन गया है व्यवसायिककृषि पर अधिक जोर दिया जा रहा है। सिंचाई के साधनों के विकास से जिले में गेहूं, गन्ना, मक्का तथा बाजरा, कपास, सरसों के उत्पादन व प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई है।

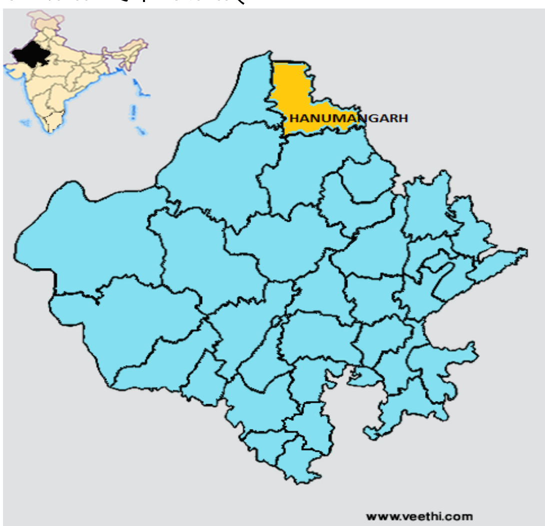

सिंचाई साधनों के विकास से आज जिले में अधिक उपज देने वाली संकर व बौने बीजों व नई कृषि तकनीकों को अपनाने लगी है। सिंचाई साधनों के आने से जिले में किसान आज बहूफसलीकरण के चक्र को अपनाकर वर्ष में दो से तीन फसलें ले रहा है सिंचाई जल उपलब्ध होने से जिले में फल, सब्जियां, बागवानी, फूलों की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य

किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करने के मूल उद्देश्य होते हैं इसी प्रकार राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़ जिले के सिंचाई साधनों के विकास के फलस्वरुप कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि का अध्ययन करने पर अनेकउद्देश्य सामने आए हैं साथ में यह भी ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि सिंचाई साधनों के विकास से शोध जिले में प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन बढ़ा है ।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए अध्ययन के निम्न उद्देश्य प्रकट होते हैं–

1. विगत दशकों में शोध जिले में सिंचाई सुविधाओं के विकास से कृषि उत्पादन में क्या बदलाव आया है, उसका अध्ययन करना।
2. विगत दशकों में जिले की कृषि उत्पादन में हुए प्रति हेक्टेयर वृद्धि का अध्ययन करना।
3. सिंचाई साधनों के विकास से कृषि क्षेत्रमें बदलते फसलों के स्वरूप व फसल चक्र का अध्ययन करना है।

परिकल्पनाप्रस्तुत

शोधके अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले में नहरी जल व नलकूप संसाधन उपलब्ध होने से फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा है। जहां कभी कम जल वाली वर्षापर आधारित फसलें उगाई जाती थी वहां अब अधिक सिंचाई वाली फसलें उगाई जाने लगी है। शोधजिले में सिंचाई साधनों विकास से फसल चक्र अपनाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस हेतु निम्न परिकल्पना के रूप में सिद्ध किया जाएगा–

1. एक सिंचाई साधनों के विकास से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है जिससे जिले में कृषि आधारित उद्योग बढ़ेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा।
2. सिंचाई साधनों के विकास से जिले में भूमि उपयोग व फसलों के बदलाव आया है अब खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यापारिक फसलें बोई जाने लगी है।
3. शोध जिले में क्षेत्रों में सिंचाई के साधन बढ़े हैं वहां जनसंख्या बढ़ेगी क्योंकि रोजगार बढ़ा है।

अध्ययन क्षेत्र

हनुमानगढ़ जिला भारत के राजस्थान राज्य का एक जिला है जो उत्तरी राजस्थान में घग्घर नदी के दायें तट पर स्थित है। हनुमानगढ़ का कुल क्षेत्रफल 9656. 09 वर्ग किलोमीटर है। शोध के लिए चयनित जिला 29°5′ उत्तरी अक्षांश से 30°6′ उत्तरी अक्षांश व 74°3′ पूर्वी देशान्तर से 75°3′ पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित है। जिले के उत्तर में पंजाब राज्य पश्चिम हरियाणा राज्य की सीमाएं लगती है। कापीय दोमट्ट, रेतीली लोम, पीली भूरी, काली मिट्टी, लाल दोमट्ट व रेतीली मृदा पाई जाती है।हनुमानगढ़ जिले का भू–भाग मरूस्थल में स्थित होने के कारण ऊष्ण कटिबन्धीय मरूस्थलीय जलवायु की विशेषता लिये हुए है। हनुमानगढ़ जिले को औसतन तापमान ग्रीष्म काल में 18°सेन्टीग्रेड से 48°सेन्टीग्रेड तथा सर्दीयों में 2°सेन्टीग्रेड से 26°सेन्टीग्रेड रहता है। हनुमानगढ़ जिले में सामान्य वर्षा 25 सेमी. से वास्तविक वर्षा 40 सेमी. के आस–पास होती है। हनुमानगढ़ जिले की स्थिति मानचित्र से अधिक स्पष्ट है। हनुमानगढ़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में 15 वें स्थान पर है।पूर्व काल में हनुमानगढ़ जिले में खाद्य उत्पादन का मेरुदण्ड बारानी खेती होती थी लगभग सभी क्षेत्र में वर्षा आधारित खेती होती थी तथा वर्षा पर आश्रित मुख्य फसल खरीफ होती थी लेकिन जिले में कुल क्षेत्र में सिंचित नमी से रवि की फसल भी उगाई जाती थी बारानीक्षेत्रमें विस्तृत स्तर पर बुवाई के उपरांत भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन सामान्य मापदंडों से कम ही होता था लेकिन वर्तमान समय में शोध जिले में सिंचाई साधनों के विकास होने से कृषि उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जिले में भाखड़ा नहर व आई. जी.एन. पी. नहर आने से जिले की तस्वीर ही बदल गई है क्योंकि वर्तमान समय में जिले के लगभग हिस्से पर सिंचाई होने लगी है। सिंचाई सुविधाओं के विकास से खेती के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया है।कृषि जीवन निर्वाह या परम्परागत न होकर व्यवसायिक दृष्टि से की जाने लगी है।उदाहरणार्थ 1995–96 से 2016–17 तक हम देखे तो यहां 300376 हैक्टर सिंचित क्षेत्र बढ़ा है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जिले में नहरों व अन्य सिंचित स्त्रोतों के विकास से सिंचित क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि हुई है। जिससे यहां कि कृषक व कृषि सहायक वर्ग की सामाजिक व आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ हुई ही है इसके साथ ही यह जिला मरूस्थल से मरूउद्यान में परिवर्तित हो गया है तथा राजकीय आय व विकास मे अहम भूमिका अदा कर रहा है।

शोध जिले में फसलों के अन्तर्गत उत्पादन (मैट्रिक टन में)

शोध जिले में कृषि उत्पादन में काफी बदलाव आया है जैसे निम्न दी गई तालिका के अनुसार सन 1995–96 में बाजरे का उत्पादन 10483.5 मैट्रिक टन हुआ था जो 2004–05 में घटकर 6459 मैट्रिक टन हुआ है लेकिन फिर भी 2014–15 में बढ़कर 32692 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ इस प्रकार 1995–96 से

2014 15 तक 22208.5 मैट्रिक टन उत्पादन बढ़ा। इसी प्रकार गेहूं का 1995–96 में उत्पादन 265417 मैट्रिक टन था जो 2014–15 में 931658 मैट्रिक टन हो गया इस प्रकार 1995–96 से 2014–15 में 666241 मैट्रिक टन उत्पादन अधिक हुआ।शोध जिले में जौ का 1994–95 में उत्पादन 11247 मैट्रिक टन हुआ था जो 2014–15 में बढ़कर 75483 मैट्रिक टन हो गया। इस प्रकार 1994 95 से 2014–15 में 64236 मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। चावल का 1994–95 में उत्पादन 46128 मैट्रिक टन हुआ और 2014–15 में 199974 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ था। इस प्रकार 153846 मैट्रिक टन चावल उत्पादन बढ़ा है। जिले में 1994–95 में चना 172094 मैट्रिक टन उत्पादन किया गया और 2014–15 में 51948 उत्पादित हुआ। इस प्रकार 1994–95 से 2014–15 में चने का उत्पादन 120147मैट्रिक टन अधिक हुआ। इस प्रकार शोध जिले में सरसों का उत्पादन 1994–95 में 74579 मैट्रिक टन हुआ जो 2014–15 में बढ़कर 146137 मैट्रिक टन होने लगा। इस प्रकार 20 वर्षो में 71558 मैट्रिक टन उत्पादन अधिक होने लगा। जिले में मूंगफली का उत्पादन 1994–95 में 411 मैट्रिक टन था जो 2014–15 में बढ़कर 22677 मैट्रिक टन हो गया। इस प्रकार मूंगफली का उत्पादन 1994–95 से 2014–15 में 22266 मैट्रिकटन अधिक हुआ है। जिले में कपास का उत्पादन 1994–95में 199947.5 था जो 2014–15 में 353298 मैट्रिक टन होने लगा है। इसी प्रकार जिले में अरंडी का उत्पादन 194–95 में 103 मैट्रिक टन था जो 2014–15 में घट करके 30 मैट्रिक टन रह गया। इसके अलावा जिले में 2014–15 में ग्वार का उत्पादन भी होने लगा और 388752मैट्रिक टन उत्पादन किया गया।

इस प्रकार शोध जिले में सिंचाई साधनों के विकास होने से कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ है और सभी फसलों के उत्पादन में 1994–95 से 2014 15 तक काफी वृद्धि हुई है साथ हीप्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बढ़ा है जिससे जिले का विकास हुआ है और लोगों के रोजगार का साधन भी बढ़े है।

सारणी :– शोध जिले में फसलों के अन्तर्गत उत्पादन

श्वर्ष	बजरा	गेहूं	जौ	चवल	चना	सरसों	मूंगफली	कपास	अरण्डी	ग्वार
1995–96	10483.5	265417	11247	46128	172094	74579	411	199947.5	103	
1999–2000	16163	764603	19088	155425	342147	58150	264	36620	10	
2004–05	6459	550989	27074	93247	980002	249157	537	238161	9037	
2009–10	10199	641275	55573	140855	53997	133247	7705	308890	1973	
2014–15	32692	931658	75483	199974	51948	146137	22677	353298	30	388752

दण्ड आलेख :–शोध जिले में फसलों के अन्तर्गत उत्पादन का तुलनात्मक आलेख

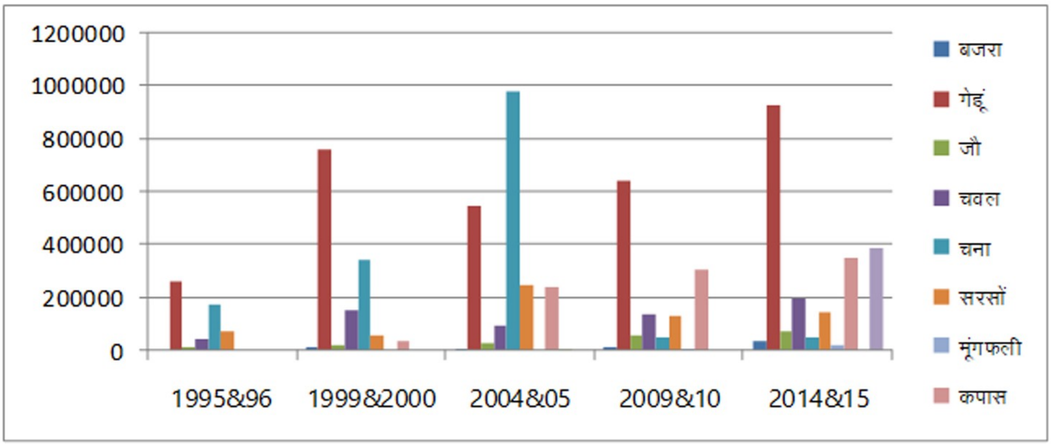

विधि तन्त्र/ समको के स्त्रोत

हनुमानगढ़ जिले की सांख्यिकी रूपरेखा का अध्ययन करके उसका विशलेषण किया गया है प्रस्तुत शोध आगात्मक एवं निगमात्मक पद्धति पर आधारित है। शोध के लिए द्वितीय श्रेणी के आंकड़े कार्यालय भू–अभिलेख शाखा एवं सांख्यिकी विभाग हनुमानगढ़ से प्राप्त किये गए है। प्राप्त संमकों का सारणियन व आरेखों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन का महत्व

शोध जिले में नहर परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई से पूर्व खाद्य उत्पादन का मेरूदण्ड बारानी खेती होती थी क्योंकि उस समय सिंचाई के साधनों का अभाव था लेकिन वर्तमान समय में सिंचाई के साधनों के विकास होने से जिले की तस्वीर ही बदल गई। जिसका मुख्य कारण वर्तमान समय में जिले में लगभग क्षेत्रफल पर गहन कृषि, व्यापारिक या वाणिज्यक कृषि की जाने लगी है। यहां अधिक सिंचाई वाली फसले बोई जाने लगी है। आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। वर्तमान समय में कृषि उत्पादन बढ़ने से कृषि आधारित उद्योग जैसे– कपड़ा मील, तेल मील, चीनी मील आदि स्थापित हो रहे है जिससे शोध जिले के लोगो के लिए नए–नए रोजगारों का सृजन हो रहा है।

निष्कर्ष

पूर्व काल में शोध जिले में खाद्य उत्पादन का मेरूदण्ड बारानी खेती होती थी। लगभग सभी क्षेत्रमें वर्षा आधारित खेती की जाती थी। बरानी क्षेत्रमें विस्तृत स्तर पर बुवाई के उपरांत भी कृषि उत्पादन प्रति हेक्टेयर बहुत कम होता था। वर्तमान समय में शोध जिले में सिंचाई साधनों के विकास से जिले की तस्वीर ही बदल गई है। अब यहां अधिक जल वाली जैसे– कपास, धान सरसों, जैसी फसलें होने लगी है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बहुत बढ़ा है। आज जिले में अधिक उपज देने वाली संकर किस्मों के बीजव नईकृषि तकनीको को अपनाया जाने लगा है।

ग्रन्थानुक्रमणिका

1. Khan K and Naseer Y. (2003). Spatial pattern of Agricultural Developmentin Dehradun District, Geographicall Review of India 65(1) : 66
2. Siddhartha K. and Mukherjee S. (2003). A Mordem Dictionary of Geography Kisalaya Publication Pvt. Ltd, New delhi P. 117
3. Shafi M. (2006). Agricultural Geography New Delhi, Pearson Edocation Ltd.
4. Mandal T.K. and Roychowdhury, Pulses Cutivation in West Bengal.P.(2010) A DistrictLevel Analysis in Journal of Intracademicia, Vol. 14 (4), PP. 445-562
5. Mehta P.K. (2010). Role of Crop Diversification in Outpur Groth in India: A state Level Analysis. Journal of Agricultral Economics. (6), 24-42.
6. Todkari G. U. (2012). A Study of Crop Combination in Solapur district of Maharashtra. Joumal fo Crop science, vol. 3, issue-1, PP. 51-53

विजयदान देथा और हिन्दी कहानी

उरसेम लता
राजकीय महाविद्यालय, कुल्लू
ursemlata3@gmail.com

हिन्दी कथा साहित्य पर दृष्टि डालें तो बहुत से कहानीकार अपनी कालजयी कहानियों के साथ मानवता के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं जो अपने समय को, उसके अर्न्तविरोधों की पड़ताल करते हुए भविष्योन्मुखी दृष्टि से दुनिया का चेहरा अधिकाधिक मानवीय बनाते चलते हैं। हिन्दी कहानियों का विपुल भण्डार है जिसमें दो प्रकार की कहानियां शामिल हैं – एक तो वे कहानियां जो सीधे हिन्दी में लिखी गई हैं और दूसरी तरफ उन कहानियों का ज़िक्र भी ज़रूरी हो जाता है जो अनूदित होकर हिन्दी कहानी के भण्डार को स्मृद्ध कर रही हैं।

यह कहानियां कई भाषाओं – संस्कृतियों – क्षेत्रों से होती हुई हिन्दी का हिस्सा हुई हैं और हिन्दी का पाठक न केवल उनसे लाभान्वित बल्कि चमत्कृत भी हुआ है। ऐसे ही एक कथाकार हैं – ''बिज्जी'' यानि विजयदान देथा – जो अपनी मातृभाषा राजस्थानी में राजस्थान की लोक–कथाओं को अपनी 'कहन' में कुछ इस तरह व्यक्त करते हैं कि कहानियां पाठक को अपने भीतर प्रवेश करवा लेती हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां प्रकृति अपनी सम्पूर्णता में विद्यमान है। पाठक खेजड़ी के दरख्तों, पशु–पक्षियों, बावड़ियों, सांपों–भूतों, देवी–देवताओं के साथ यूं विचरने लगता है जैसे सामान्य मनुष्यों के साथ होने वाले सम्बन्धों में होता है। देथा सदियों पुरानी कथाओं को अपने शिल्प से नए रूप में गढ़ते हैं और अपनी ही भाषा में फिर से सुनाने लगते हैं और युगों पुरानी विरासत दर्ज होने लगती है पृष्ठों पर। देथा की इसी अनूठी शैली पर निम्नलिखित कथन दृष्टव्य है।

''लोककथाएं सिर्फ लिखी भर नहीं, उनका पुनर्लेखन किया है इसलिए भी उनकी अहमियत ज्यादा है, क्योंकि सदियों से चली आ रही लोक अनुभूतियों, लोक परम्पराओं की मौखिक संस्कृति को लिखित रूप दिया है। उन्होंने यह साबित किया है कि ये लोक कथाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है जैसे उन्हें माना जाता है बल्कि यह आधुनिक भावबोध के साथ वर्तमान समय में पूरी धमक के साथ मौजूद होती हैं''[1]

जीवन के गूढ़ रहस्य लोककथाओं में छिपे रहते हैं उनमें उपदेश भी किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं जिनका वर्णन देथा की कहानियों में या तो आरम्भ में ही होता है या फिर किसी भी घटना वर्णन से पहले या बाद में। यहां उपदेश प्रयत्नपूर्वक नहीं बल्कि बड़ी ही सहजता से जगह बनाते हैं। देथा की कहानियों में यह उपदेश और आदर्श घटनाओं द्वारा अधिक निसृत होते हैं और उपदेश स्वतः ध्वनित होते हैं। उदाहरण के तौर पर इन अंशों को लिया जा सकता है।

– ''तो भगवान सबको अच्छे दिन दिखाए और वक्त पर सुमत सुझाये कि किसी गांव में .''

– ''ज़ुर्म की सबसे बड़ी सज़ा माफी, समझदार के लिए ईशारा काफी''

– ''ज़मीन और आसमान के दरमियान एक ठाकुर का गढ़ था''

– ''तो भगवान उगते सूरज की ठौर न छुड़ाए तो सब बातें भली होंगी''

इस तरह देखा जा सकता है कि हर कहानी की शुरूआत ही ऐसे जीवन दर्शन से होती है कि पाठक अचम्भित हुए बिना नहीं रहता। क्या ये उस लोक का असर है जो देखा–सुना, जांचा–परखा, महसूसा–भोगा है। जहां कल्पना के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ है, वो व्यक्त – 'हू–ब–हू'।

अपने समय के सच को सामने लाती देथा की कहानियों में साधारण सी लोककथा के पीछे जो सवाल उठते हैं वो सीधे वर्तमान की समस्याओं से जुड़े दिखाई देते हैं। बातों–बातों में सत्ता पक्ष की हेकड़ी को व्यंग्यात्मक शैली में यह कहकर कि – ''जो समझाने से समझ जाए वो राजा कैसा?'' इस साधारण सी बात के पीछे जो मर्म दिया गया है वह आज भी कितना प्रासंगिक है इसे सहज ही समझा जा सकता है।

इसी तरह 'अदीठ लिबास' कहानी में 'ढोर डंगरों' के लिए कपड़े सिलवाने का राजा का हुकम जहां राजा के मुंह से निकला ब्रम्ह वाक्य है वहां फरियाद की गुंजाइश ही कहां थी? ''गूंगी परजा और बहरा राजा'' – क्या यह आज के समय का सच नहीं? ''मूर्ख राजा और समझदार रानी'' – रानी यहां राजा की मूर्खता पर अपने चातुर्य, साहस, कुशल रणनीति से इस प्रकार हस्तक्षेप करती है कि जहां एक ओर राजा की मूर्खता पर हंसे बिना नहीं रहा जा सकता वहीं आदमी के भीतर का डर सामूहिक मूर्खता में बदलता इतना रोचक दृश्य उपस्थित करता है कि समस्या का समाधान एकदम अनूठे रूप में सामने आता है और राज़ खुल जाता है।

'फितरती चोर' में यह संवाद 'चोरी डाका जुर्म नहीं, जुर्म है गरीबी – ''बड़े लोगों को चोरी करने पर भी चोर कौन कहे'– सीधे आज की व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। 'अनमोल खज़ाना' में राजा के आग्रह पर गडरिये का राजा बनना राजा का षड़यंत्र था। वह गडरिये पर राजमद और माया को परखना चाहता था –यहां स्पष्ट है कि चालाक सत्ता किस तरह आम आदमी को अपने हित में इस्तेमाल करती है। पर सत्य कभी हारता नहीं। सचेत, सतर्क, अडिग गडरिये की तरह बेदाग बना रहता है – हां, दुनियादारी की भाषा में वह महज़ बेवकूफ माना जाता है – यह विडम्बना नहीं तो क्या है?

देथा की कहानियों में इन्हीं खूबियों को देखें तो उनकी छोटी–छोटी सी दिखने वाली बातों में जो गहराई है वह इतना भावुक कर देने वाली है कि मन श्रद्धा से भर उठता है। पाठक ठगा सा रह जाता है। देथा बातों ही बातों में जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाते चले जाते हैं – 'निन्यानवे का फेर' में उलझा पिंजारा जो कल तक सुख की नींद सोता था उसकी सारी मस्ती, सारा सन्तोष और सारा सुख हवा हो गया, निन्यानवे से सौ करने में।

''अगर पानी से ही काम चल जाता तो नदियों को समन्दर में कौन गिरने देता''– इतनी छोटी बात पर, इतनी गहरी बात! सतही दृष्टि इसे कहां देख पाती है इसके लिए तो नज़र ही दूसरी चाहिए जो सबके पास नहीं।

'गरीबी का एक–एक क्षण अमीरों के पूरे दिन से बड़ा होता है।' 'सवाल मुश्किल नहीं हेाता जबाब मुश्किल होता है।' भरा हुआ पीपा कितना हल्का होता है और खाली पीपा कितना भारी' इतनी आसानी से देथा इतने बड़े जीवन दर्शन को खोल कर रख देते हैं कि जानने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। 'मौन की सुगम्भीर मुखरता को वाणी के जूठे आखर नहीं पहुंच सकते।'' 'लेकिन, वह बिसरना ही तो वास्तविक जागृति थी। ''हादसे मौत से ज्यादा भयंकर होते हैं फिर भी मरना आसान नहीं है।' जैसे वाक्य पढ़ते–पढ़ते वाणी मूक हो जाती है। कुछ कहना शेष नहीं रहता।

इन वाक्यो को पढ़ते हुए लगने लगता है कि इतनी साधारण सी बात, इतने असाधारण तरीके से भला कैसे कही गई होगी। इस सम्बन्ध में देथा स्वयं भी कहते हैं – ''लेकिन मुद्रित विरासत से परे जो वाणी जुग जुगांतर से 'गंवारों' की जबान पर बसी हुई थी, वह जीवन्त थी। जिस किसी शब्द का अमृत मेरे कानों में पड़ा वह मेरी कलम के झरने से वापस नई रंगत लेकर बहा।''[2]

देथा की कहानियों के पात्रों से मिलकर एक अलग सा भाव जागता है कि उनके पात्र शुरू में चाहे कितने ही असहाय, दीन, याचक क्यों न दिखते हों पर एक ऐसा क्षण आता है, जहां आकर पात्रों की जीवटता, अडिगता और दृढ़ता हमें बताती है कि उनके पात्रों ने हार मानना नहीं सीखा है यही दृढ़ता कहानी का मूल बिन्दू बन जाती है। ऐसा लगता है कि वह भी किसी चमत्कारपूर्ण स्थितियों को बनाकर नहीं, अनायास ही मानों जीवन के गूढ़ रहस्यों को जान जाता है।

फिर चाहे 'झूठी आस' का ढोली हो या 'अनमोल खजाना' का चरवाहा। यहां 'ढोली' मांगने के लिए मार खाए जा रहा है। शोषणकारी व्यवस्था – हाथ में कोड़े लिए खड़ी है – शोषित, दबा–कुचला बेशर्म सा दिखने वाला पात्र मार खाते–खाते अचानक मुस्कुराने लगा है – दमनकारी शासन व्यवस्था स्तब्ध है। यह अचम्भित करने वाली स्थिति उसे दुविधा में डाल देती है – यहीं आकर कहानीकार प्रतीकात्मक रूप से वो सब कह देते हैं जो कहना चाहते हैं। पात्र सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा है। उसकी मुस्कान में दंभ नहीं है न कोई भय और न इच्छा। अदम्य साहस है – एक चमक है जो भीतर तक दहला देती है कोड़े उठाए पीछे खड़ी व्यवस्था को। 'नाहरगढ़' में नाहर का यह कथन की जुग–जुगान्तर से कुत्ते इन्सान की सेवा करते आए हैं पर इसके बदले हमें मिला क्या? यहां 'नाहर' के बहाने दलितों–शोषितों की करूण व्यथा ज्यादा उभरती है।

देथा की कहानियों के संवाद मनुष्य के भीतर की परतों को एक–एक करके खोल कर उस सत्य को सामने लाते हैं जो उसकी आदमियत पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। बड़े ही आराम से वे सामाजिक व्यवस्था की पोल खोलते नज़र आते हैं। 'आदमखोर कहानी – 'फकत तुम्हें पीटते समय मुझे यह लगता है कि मैं भी मरद हूं।'' ऐसा पात्र पैदा करने वाले देथा को पढ़ते–पढ़ते जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है।

देथा के पात्र जीतने के लिए चलते हैं, हारना उन्होंने सीखा ही नहीं। 'मूजी सूरमा' का कंजूस सेठ अपनी बात से 'टस से मस' नहीं होता। बनिया कंजूसी की इन्तेहा तक जाता है पर हारता नहीं। देथा के पात्र सत्ता के लोभ के आगे भी नहीं झुकते। निडर होकर सत्य के साथ खड़े रहकर यह कहने का साहस रखते हैं – ''छोटे–बड़े से बात करने के लिए क्या ज़बान अलग–अलग होती है।'' यहां देथा सवाल उठाते हैं कि यह कैसा भरम है? जहां छोटा या बड़ा होना अमीरी–गरीबी तय करती है। तब चरवाहा राजा के सामने हंसता हुआ कहता है – ''आदमी का छोटा बड़ा क्या? अपनी ठौर सब बड़े हैं तुम समझते हो फल –फूल जड़ से बड़े होते हैं। बिना जड़ के फल–फूल कहां'' सच के समक्ष सत्ता कितनी असहाय होती है और सत्य को डिगाने का हर संभव प्रयास

करती हुई कैसे गिड़गिड़ाती है उसे 'अनमोल खजाना' के राजा और चरवाहे के माध्यम से समझा जा सकता है फिर भी सत्य के साथ खड़ा चरवाहा हारता नहीं।

देथा के पात्र ईश्वर की सत्ता पर भी सवालिया निशान लगाते दिखते हैं – बड़ी ही सहजता से अचूक तर्क देकर 'आदमखोर' में कहते हैं – दूसरे जीवों को तो अपने जीवन से परे कोई ध्यान ही नहीं उनकी बला से भगवान कल मरे या आज। गिद्ध, कब्वे, सियार और चिंटियां तो भगवान की लाश को भी न बख्शें। इसी तरह सेठ का यह कथन ''गंगा हो या पोखर, है तो बरसात का पानी ही। यह तो नासमझी का भेद है। कहो तो गांव के तालाब में नहा लूं, ज्यादा पुण्य होगा।'' – के बहाने देथा धार्मिक कर्मकांडों का विरोध करते भी दिखाई देते हैं। परन्तु जहां अधिकांश बहसों में धर्मभीरूता और पाखण्ड के विरोध में अकसर तल्खी दिखाई देती है वहां देथा की कहानियों में भाव तो वही हैं परन्तु वहां तल्खी उस रूप में दिखाई नहीं देती। देथा के पात्र ईश्वर से लड़ने में भी पीछे नहीं रहते – 'मंदिर' की देवी से चोर का संवाद देखिए – ''तू मुझे क्या पाठ पढ़ा रही है? ऐसी बातें तो मेरे पास बहुत है, सीख देने की बजाए अब जल्दी वरदान दे।''

देथा की कहानियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है – उनके नारी पात्र। उनके नारी पात्रों में एक खास बात यह है कि वे किसी भ्रम में नहीं रहतीं, चाहे 'अदीठ लिबास' की रानी हो या 'उलझन की बन्जारन'। 'रस कस दिया जले' की ठकुराइन हो या 'बेटा किसका' की सेठानी – शुरू में ज्यादा बोलती नहीं, मुस्कुरा भर देती हैं और उस मुस्कुराहट में सार छिपा रहता है और जब कहने पर आती हैं तो परिणाम की परवाह नहीं करतीं। इनकी नारी पात्र दबी–घुटी, निराश–हताश नहीं दिखती वह प्रयत्नशील, क्रियाशील दिखाई देती हैं। 'बन्जारन' का यह कथन – ''और मैं? मेरा किया धरा तुम्हारे लिए कुछ नहीं। – वे अपने आत्म सम्मान के लिए सवाल उठाकर अपने अस्तित्व की रक्षा करती हैं, चुपचाप रोती नहीं। यह नारी पात्र अपनी राह में डटे रहते हैं। वे अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने और उस राह में आने वाली रूकावटों को हटाने से भी नहीं हिचकते। देथा के नारी पात्र परम्पराओं, संस्कारों, मर्यादाओं की पक्की ज़मीन से अपने सुखों और खुशियों की पगडण्डी सिर्फ खोजते ही नहीं, स्वयं बनाते भी हैं और इस प्रक्रिया में अपनी पगडण्डी की राह में आनी वाली किसी भी रूकावट को हटाने से पीछे नही हटते। 'फितरती चोर' और 'रस कस दिया जले' की नारी पात्र अपने समय की सीमाओं को लांघती नज़र आती हैं। यह नारी पात्र न केवल पूरी कोशिश से अपने अस्तित्व की रक्षा करती हैं बल्कि पुरूष मनोविज्ञान को समझकर जीत की सौ फीसदी आशा लेकर आगे भी बढ़ती हैं।

समाज और परिवार के मूल्यों में पति–पत्नी सम्बन्धों को जो पावन स्वीकृति मिली हुई है उसे नकारना बड़ी हिम्मत का काम है और वे इस हिम्मत को कहीं राह में नहीं छोड़ती और न ही पछतावा करती हुई दिखाई देती हैं।

देथा की कहानियों और उनकी शैली पर बात करनी हो तो फिल्म निर्देशक मणि कौल का यह कथन अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतीत होता है ''तुम तो छुपे हुए ही ठीक हो। – तुम्हारी कहानियां शहरी जानवरों तक पहुंची तो वे कुत्तों की तरह तुम पर टूट पड़ेंगे। ...... गिद्ध हैं, नोच खाएंगे। तुम्हारी नम्रता है कि तुमने अपने रत्नों को गांव की झीनी धूल से ढंक रखा है '' [3] इस कथन से देथा की कहानी कला और शैली की खूबियों व उसके अनूठे प्रभाव की तीव्रता को समझा जा सकता है।

देथा की कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उनकी कहानियां हमें अपने साथ बहा ले जाती हैं वे बड़े प्यार से अपनी कथा का हिस्सा बना लेती हैं पाठक को और वह चुपके से अनायास ही कथा में प्रवेश कर जाता है और घटनाओं का हिस्सा बनकर कहानी के साथ–साथ चलने लगता है। देथा की कहानियां हमें अपनेपन का एहसास दिलाती हैं, उत्सुकता जगाती हैं और रहस्य–रोमांच की दुनिया में ले जाकर वर्तमान की चुनौतियों से लड़ने को तैयार करती हैं।

13 नवम्बर, 2013 को देथा की मृत्यु के बाद जय प्रकाश चौकसे ने देथा को श्रद्धान्जलि देते हुए लिखा – ''अगर विजयदान देथा की एक ही कहानी पर कई बार फिल्में बनी हैं तो स्वयं देथा ने भी अपनी लिखी कुछ कहानियों को दोबारा लिखा है और यह दोबारा लिखा जाना जुगाली नहीं वरन, नए दृष्टिकोण से लिखा जाना था। जो यह सिद्ध करता है कि उनकी विचार–प्रक्रिया सतत प्रवाहित थी और वे मुतमइन नहीं थे कि उन्होंने अंतिम शब्द लिख दिया है। इसे मैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता मानता हूं'' [4]

इस तरह हम पाते हैं कि चाहे 'बातां री फुलवारी' की बात हो या 'छब्बीस कहानियां' में संकलित कहानियों की बात – यह कहानियां मूल रूप में भले ही राजस्थानी में कही–सुनाई गई हों किन्तु देथा ने इनका पुनर्लेखन कर न केवल राजस्थानी मौखिक परम्परा को सहेज कर राजस्थान की विरासत को सहेजा है बल्कि साथ ही साथ उनकी कहानियों को पढ़कर जिस तरह अन्य भाषा–भाषी लोग, भारतीय सिनेमा प्रभावित हुआ है उसने उसे पूरे विश्व से जोड़कर मानवता के नए अध्याय खोले हैं और इस तरह हिन्दी कथा साहित्य को अपने बहुमूल्य रत्नो से सुशोभित किया है। लोककथाओं को नए शिल्प में

गढ़कर लिखित रूप से सहेजने के इस प्रयत्न ने देथा को भारतीय साहित्य के अमर कथाकारों में एक अलग ही कोटि पर ला बिठाया है।

उन्होंने स्वयं कहा है कि ''मैने राजस्थान की कदीमी बातों को जस का तस लिपिवद्ध नहीं किया है कथाओं के अभिप्राय का जैसा बीज हाथ लगा उसे वैसा ही विकसित किया है – ''इस सहस्त्राब्दी के मुहाने पर पहुंचकर हमें अपने आप से सिर्फ यही प्रश्न करना है कि हमें फिर से सिकंदर, नेपोलियन, चंगेज़ खान, अहमदशाह अब्दाली, हिटलर की आवश्यकता है या गौतम बुद्ध, ईसामसीह, रवीन्द्रनाथ या मदर टेरेसा की।''

देथा का यह कथन न केवल राजस्थान या भारत के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है बल्कि यह समूची सृष्टि से जुड़ा दिखाई देता है जिसमें मनुष्य की अति महत्वकांक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा प्रतीत होता है। हिन्दी साहित्य मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत देथा की इन कहानियों को अपना हिस्सा बनाकर समृद्ध हुआ है जो राजस्थान का हिन्दी साहित्य को अमूल्य व अनूठा उपहार है।

इस तरह देथा के कथा संसार के पात्र, घटनाएं, लोक आस्थाएं, विश्वास, प्राणियों के बीच सह–अस्तित्व की भावनाएं, प्रकृति व मनुष्य का रिश्ता हमें सृष्टि के उन रहस्यों से रू–ब–रू कराता है, जिसमें कोई क्रमबद्धता (हायरारकी) का सिद्धान्त काम नहीं करता। हर जीव का अपना एक अलग अस्तित्व है, जो किसी भी समय महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है किसी विशेष परिस्थिति में, फिर यह बात कोई मायने नहीं रखती कि इस सृष्टि के विकास क्रम में कौन किस पायदान पर है। देथा भले ही लोकगाथाओं का पुनर्लेखन करते रहे हों लेकिन उसे 'कहना' किस तरह है, उसमें शिल्प के उपकरण क्या हों कि लोक भी बचा रहे और कथाएं अपने भावों, विचारों और दर्शन को सहजतापूर्वक सम्प्रेषित भी कर सके– यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण और अनूठा पहलू है देथा के रचना कर्म का। भले ही पाठक कहानियां पढ़ते हुए कभी–कभी गहरी निराशा और अवसाद की स्थितियों से भी गुज़रता है लेकिन अपनी समग्रता में देथा की कहानियां मनुष्य के भीतर की सभी खूबियों–खामियों के साथ पूरी ईमानदारी से अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराती हैं जो सदियों से संचित चली आ रही मानव जाति की आदिम विशेषताओं और निरंतर प्रकृति व मनुष्य के तथा मनुष्य–मनुष्य के बीच चले आ रहे अन्तर्विरोधों का सच्चा व ईमानदार चित्र प्रस्तुत करती हैं। यही देथा की कहानियों की ताकत है जो भविष्य में भी मानव का पथ प्रदर्शित करती रहेंगी और लगातार विकसित होते प्राणिजगत के अतीत से वर्तमान की यात्रा की साक्षी भी बनी रहेंगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

1 अपनी माटी (त्रैमासिक ई–पत्रिका) वर्ष 4, अंक 25, प्रियंका चाहर, विजयदान देथा की कहानियों में चित्रित किसान जीवन।

2 समकालीन भारतीय साहित्य 1996, अंक 65 पृ0 सं0 12

3 छब्बीस कहानियां, विजयदान देथा – (भूमिका से) वाणी प्रकाशन (प्रथम संस्करण)

4 गद्यकोश (परदे के पीछे) जयप्रकाश चौकसे – (विजयदान देथा लौट आएंगे) 13 नवम्बर, 2013 को प्रकाशित

रोहतक नगर में चयनित अपराधों में थानानुसार परिवर्तनः एक भौगोलिक अध्ययन (2008–2018)

रीतू[1] व प्रदीप कुमार शर्मा[2]
[1,2]भूगोल विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक
surender210882@gmail.com, praneh.143@gmail.com

शोध सारांश

विभिन्न राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय विद्वानों ने अपराध शब्द को अपने–अपने तरीके से परिभाषित किया है। अपराध की परिभाषा की मनोवैज्ञानिक, प्रेत सम्बन्धी, समाजशास्त्रीय आदि अवधारणाएं प्रचलित हैं। अपराध एक सार्वभौमिक घटना है जो मानव समाज के प्रत्येक स्तर में विद्धमान है। अपराध की मात्रा और प्रकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा एक समाज से दूसरे समाज में क्षेत्र के विकास के स्तरानुसार हैं। रोहतक नगर में अपराध की मात्रा एक समान नहीं है। नगर के थानों में मुख्यतः हत्या, डकैती, चोरी, बलात्कार, अपहरण, दंगा, लूट आदि अपराधों की दर में क्षेत्र तथा समय अनुसार परिवर्त्तन हुए हैं। अपराध के विभिन्न कारणों में भौगोलिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक, अपराध के आर्थिक आदि प्रमुख कारण हैं। रोहतक नगर में अपराध के विभिन्न कारणों में बेरोजगारी, कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण, राजनैतिक हस्तक्षेप एंव अपराध की दुनिया में वर्चस्व की जंग में बढ़ोतरी होना पाया गया है। रोहतक नगर में अपराध नियंत्रण की विभिन्न व्यवस्थाएं अमल में लायी गयी हैं जिनमें पुलिस की अहम भूमिका है।

मुख्य शब्द *: रोहतक नगर, थाने, अपराध, कारक।*

प्रस्तावना

अपराध की प्रकृति सार्वभौमिक तथा सर्वकालिक होने के कारण पूरे संसार में इनकी मात्रा, प्रवृति और प्रकार समयानुसार और स्थानानुसार बदलते रहते हैं। अपराध मानवीय अन्तः स्थल से उपजा वह जहर है जो स्वार्थ से परिपूर्ण, पाप को पुण्य लज्जा–शर्म से दूर दुष्कर्म को ही जीवन का आदर्श अविराम मानता है। अपराधी प्रवृति के व्यक्ति अपने क्षणिक उद्देश्य को पूरा करने के लिये साफ–सुथरे रास्तों की अपेक्षा तंग एवं फिसलन भरी गलियाँ अधिक रूचिकर लगती हैं। अपराधी व्यक्ति अवैध क्रियाओं द्वारा आर्थिक अथवा अन्य उपलब्धियों का अर्जन करने लगता है। अपराधशास्त्रियों ने 'अपराध' को एक ऐसा कार्य माना है जो कानूनी रूप से वर्जित, विशेष रूप से अपराधी कानून द्वारा निषिद्ध है और जिसे दण्ड संहिता में आपराधिक कृत्य की श्रेणी में रखा गया है तथा अपराध की गम्भीरता के अनुसार ऐसा कार्य करने वालों के लिए दण्ड निर्धारित किया गया है। समाज में मानव की स्वार्थी भावना ही बुराई का रूप धारण कर अपराध की प्रेरणा देती है। कोई भी मनुष्य यह दावा नहीं कर सकता कि उससे कोई अपराध नहीं हो सकता है क्योंकि मानवीय दुर्बलता नैसर्गिक है। आपराधिक गतिविधियां समाज तथा सामाजिक पर्यावरण के पतन से संबंधित है। समयानुसार अपराध की मात्रा में बहुत अधिक बदलाव हुआ है। यह बात सच है कि प्राचीनकाल में अपराध की घटनाएं बहुत कम होती थीं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के साथ आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है जो हमारे समाज़ के लिए एक गंभीर समस्या है। गोस्वामी के अनुसार "प्रकृति को जीतने की चेष्टा में व्यक्ति का पर्यावरण के संबंध में बदल गया है। वह अपने सामाजिक संबंधों में सामंजस्य लाता है।" यह सामंजस्य उसके दृष्टिकोण, दार्शनिकता और विश्वास में बदलाव लाता है। आवश्यक रूप से इसका मतलब यह है भी कि अपराध के प्रति उसका दृष्टिकोण भी बदलता है। यह भी सामाजिक संबंधों का एक विभिन्न अंग है।

अपराध की शाब्दिक परिभाषा

अपराध, 'Crime' का हिन्दी पर्याय है। क्राइम एक फ्रेंच शब्द है जिसे जुर्म, कसूर, पाप और गुनाह आदि के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में क्राइम (Crime) शब्द लैटिन के शब्द Crimen से लिया गया है. जिसका अर्थ होता है विलगाव अथवा अलगाव।

The Concise Encyclopedia में अपराध और अपराधियों को परिभाषित किया है कि अपराध एक गलत कार्य है जो समुदाय के हितों को हानि पहुंचाता है एवं कानून द्वारा निषेध है। यह राज्य के विरुद्ध एक अपराध है, यह किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन है। **के.सेन**. ने अपराध की सत्ता इतिहास काल से भी पूर्व की मानी है। सार्जेण्ट स्टीफन्स ने लिखा है कि समुदाय का बहुमत जिसे सही बात समझे उसके विपरीत काम करना, अपराध है। **ब्लैकस्टन** कहते हैं कि समूचे समुदाय के प्रति कर्त्तव्य तथा उसके जो अधिकार हैं, उनकी अवज्ञा अपराध का निर्णय नगर की समूची जनता करती थी। इंग्लैंड एवं यू.एस.ए. में अपराध की सबसे महत्त्वपूर्ण श्रेणी घोर अपराध एवं दुराचार है। Halsbery (1909) ने अपराध को एक गैर कानूनी कार्य एवं दोष के रूप में परिभाषित किया है जो सामान्य जनता के लिए अपराध है और जो दोष करने वाले अपराधी को कानून दंड पाने के लिए उत्तरदायी होने का वर्णन करता है। The Walverly Encyclopedia ने इस अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया "अपराध एक ऐसा कार्य है जो कानून द्वारा निषेध है और जिसे करने से अपराधी दंड का भागी हो।

अध्ययन क्षेत्र

रोहतक हरियाणा राज्य का एक मुख्य तथा समृद्ध जिला है। रोहतक नगर की स्थिति 28°49'53" से 28°56'33" उत्तरी अक्षांश तथा 76°31'47" से 76°42'43" पूर्वी देशांतर है। रोहतक जिला चारों तरफ से हरियाणा के ही 5 जिलों से घिरा हुआ है उत्तर में जींद, पूर्व में सोनीपत, पश्चिम में भिवानी, दक्षिण में झज्जर, उत्तर–पश्चिम में हिसार और दक्षिण पश्चिम में बहादुरगढ़ है। यमुना और सतलुज नदियों के मध्यवर्ती उच्चसम भूमि पर दिल्ली के उत्तर–पश्चिम में यह जिला स्थित है। इसका उतरी भाग पश्चिमी यमुना नहर की रोहतक और बुटाना शाखाओं द्वारा सींचा जाता है। यह समुद्र तल से 220 मीटर की ऊंचाई पर है। नगर का कुल क्षेत्रफल $139KM^2$ है तथा जनसंख्या घनत्व $2700/KM^2$ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतक की कुल जनसंख्या 3,74,292 है जिसमें 1,98,237 पुरुष, 1,76,055 महिलाएं हैं। प्रस्तुत शोध पेपर का उद्देश्य रोहतक नगर में अपराध की विभिन्न घटनाओं, उसके कारकों का विश्लेषण, अध्ययन एवं निरीक्षण करना है। हाल ही के कुछ वर्षों से रोहतक नगर में आपराधिक घटनाओं में अत्यधिक रूप से वृद्धि पाई गई है। जिस कारण यहां की सामान्य जनसंख्या एवं बुद्धि जीवियों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। इन गंभीर आपराधिक वारदातों में रोहतक नगर को प्रदेश के अपराध नक्शे पर चिन्हित किया है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए रोहतक नगर को अपराध के भौगोलिक विश्लेषण के लिए घटनाक्रम अध्ययन के रूप में चुना गया है।

नगर में अपराध के मुख्य कारक

नगर में अपराध के भौगोलिक कारक : नगरीकरण और आर्थिक प्रगति के कारण मानवीय प्रवृत्ति सुखभोगी, विलासतापूर्ण और ऐश्वर्यमय जीवन बिताने की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। अतः वह अपनी इस लालसा पर नियंत्रण रखने में स्वयं को असमर्थ पाता है। जब वह अपनी इच्छाएं वैध तरीकों से पूरा नहीं कर पाता है, तो स्वाभाविक रुप से अवैध तरीकों का सहारा लेता है और वह अपराध करके भी उन्हें हासिल करना चाहता है।

1 **गन्ने की फसल का प्रभाव :** रोहतक नगर के आसपास गांवों के खेतों में गन्ने की फसल बड़ी मात्रा में की जाती है। गन्ने की फसल अपराध करने में सहायक होती है क्योंकि गन्ने की फसल लंबी तथा घनी होने के कारण अपराधी अंधेरा होते ही खलिहानों में छिपकर बैठ जाते हैं तथा मौका देखते ही राहगीरों को लूटते हैं। पुलिस से बचने के लिए नगरों में अपराध करने के बाद भागकर इनमें छिप जाते हैं। कई बार तो हत्या करके शव को इन खेतों में फेंक देते हैं। किसान जब अपने खेतों में काम करने या फसल काटने के लिए आता हैं तब उस वारदात का पता चलता है

2 **ऋतुओं का प्रभाव :** मौसम का प्रभाव अपराधों पर निश्चित रूप से पड़ता है। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के अनुसार भौगोलिक कारकों और अपराध का बड़ा निकटतम संबंध है। विभिन्न भौगोलिक कारक जैसे प्राकृतिक दशाएं, जलवायु तथा ऋतुएं अपराध को प्रभावित करते हैं। जलवायु भौगोलिक कारक के कारण अपराध के प्रकार पर प्रभाव पाया जाता है। सर्दियों के मौसम में संपत्ति से संबंधित तथा गर्मियों के मौसम में व्यक्ति के विरुद्ध अधिक अपराध पाए जाते है। सर्दियों के मौसम में चोरी, लूट, डकैती जबकि गर्मियों के मौसममें हत्या, मारपीट आदि अपराध ज्यादा मात्रा में मिलते है। गर्मियों के मौसम में लोगकूलर का प्रयोग अधिक करते है, जिससे चोर कूलर में बेहोशी की दवा मिला देते है, जब पूरा परिवार बेहोश हो जाता है तो वे वारदात को अंजाम देते है।

3 **ग्रामीण नगरीय उपांत का प्रभाव :** अपराध को बढ़ावा देने में ग्रामीणनगरीय उपांत का प्रभाव अर्थात आसपास के गांव का भी बहुत प्रभाव होता हैं। नगर के आसपास के गांव की स्थिति भी कई बार अपराधी के लिए सहायक होती है क्योंकि अपराध करने से पहले या अपराध करने के बाद वह इन्हीं गांवों में छिप जाता है। कई बार तो अपराधी इन्हीं आसपास के गांवों के होते हैं जो अपराध करके चले जाते हैं और इनको पहचानने में कठिनाई होती है। अधिकांश समय खाली बैठे होने के कारण भी ग्रामीण व्यक्ति अपराध करते हैं क्योंकि इनमें से कुछ निम्न आयु वाले होते हैं तथा वे शहर की चकाचौंध से प्रभावित होते हैं।

4 **गंदी बस्तियों का प्रभाव :** रोहतक नगर में अपराध को बढ़ावा देने में यंहा की गंदी बस्तियों काभी महत्वपूर्ण योगदान है। गंदी बस्तियों में अपराध को बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि यंहा खाली स्थानों में लोग बाहर से आकर रहने लगते हैं और यंही पर डेरा जमा लेते हैं। गंदी बस्तियों रहने वाले परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण पालन–पोषण करने में सक्षम नहीं होते अतः ये अनैतिक तरीके से पैसा कमाने चाहते हैं। चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी अपराध करना पड़े। इसलिए ये लोग दिन में घूमकर मोहल्लों की रेकीकरते हैं कि किस घर में और कैसे चोरी की जा सकती है तथा रात में मौका देखकर ये चोरी कर लेते हैं। पैसा खत्म होते ही फिर से ये किसी अनैतिक तरीके से पैसा इकट्ठा करने में लिप्त हो जाते हैं। गरीबी एक बहुत

बड़ा अभिशाप है जो किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के लिए मजबूर कर देती है।

राजनैतिक भूगोल का अपराध का प्रभाव : हरियाणा राज्य में रोहतक नगर हमेशा से ही राजनीति का अखाड़ा रहा है। रोहतक नगर में अपराधों को बढ़ावा देने में यंहा की राजनीतिक परिस्थितियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

1 **निर्धनता :** निर्धनता तथा गरीबी सभी बुराईयों की जड़ होती है। अपराध को बढ़ाने में भी निर्धनता तथा गरीबी का सक्रिय योगदान रहता है। समाज मेंव्यक्ति जब विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक असमानता देखता है और वह विलासी वर्ग की तुलना में अपने निरीह जीवन का मूल्यांकन करते हुए लालायित हो जाता है। विलासिता से भरपूर जीवन तथा अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा उसको चोरी डकैती और बलात्कार जैसे अपराधों के लिए प्रोत्साहित करती है तथा अपनी गरीबी दूर करने के लिए वह अपराध करने लगता है।

2 **कुछ किए बिना पाने की इच्छा :** कुछ व्यक्ति ऐसे होते जो श्रम से बचना चाहते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते तथा संभवतःवे श्रम करने से बचकर अर्थात बिना श्रम के अधिक–से–अधिक धन कमाना चाहते हैं।इस प्रकार के लोग अपने काम को अंजाम देने के लिए जाली कंपनियां खोलते हैं, बोगर्स फार्म बनाते हैं। फाइनेंस कंपनी खोलकर आम जनता का पैसा हड़पते हैं। कई लोग अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए चोरी, डकैती, अपहरण जैसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते है। ऐसे लोग परोपजीवी प्रकार के होते हैं जो श्रम न करके दूसरों द्वारा किए गए श्रम पर जीवित रहना चाहते हैं।

3 **पुलिस की भूमिका :** नगर में अपराध को बढ़ावा देने में पुलिस की भी अहम् भूमिका रही है। पुलिस द्वारा मानसिक उत्पीड़ना करना, अमानवीय व्यवहार, झूठी गिरफ्तारी, सुचारु रूप से की गई तहकीकात, युवाओं का पुलिस के प्रतिनजरिया, पुलिस की लापरवाही आदि कारण आदमी को अपराधी बनने के लिए मजबूर कर देती हैं। स्थान विशेष को ही अपराधिक कार्य के लिए चुनते हैं। नीति निर्माण के समय पर नगर को विषयात्मक वातावरण के रूप में देखना अनिवार्य है। अतः अपराध एक सीमित क्षेत्र में केंद्रित हो जाता है। दूसरी ओर संपूर्ण नगर समान रूप से विस्तृत नहीं पाया गया हैं। अतः अपराध उन्हीं क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जहां लक्ष्य केंद्रित रूप में पाए गये हैं। यह निरीक्षण किया गया है कि संभावित लक्ष्य आसानी से अपराधियों का लक्ष्य बन जाते हैं अतः लक्ष्य एवं क्षेत्र की विशेषताएं ही अपराध से मुक्ति प्रदान करती है। शोध कार्य में यह प्रदर्शित हुआ है कि रोहतक नगर में अपराध की वास्तविक प्रवृत्ति लोगों की निवासीय प्रवृत्ति, व्यवसाय और अन्य सामाजिक वातावरण जो उन्हें घटना के लिए प्रेरित करते हैं का परिणाम है। पीड़ित एवं संभावित लक्ष्यों का क्षेत्रीय प्रतिरूप तथा विभिन्न कारकों के प्रभाव में अपराधी लक्ष्य पीड़ित को चुनते हैं जिससे अधिक उपलब्धि एवं कम से कम विपत्ति का सामना करना पड़ा।

उपर्युक्त महत्वपूर्ण कारकों के अलावा कुछ अन्य कारक भी है जो आपराधिक वातावरण के लिए जिम्मेवार है। इन कारकों में गरीबी, द्वेष की भावना,रोजगार के अवसरों की कमी, गृहों का अस्वस्थ वातावरण, व्यवसायिक कौशल की कमी, निरक्षरता, शैक्षिक सुविधाओं की कमी, सामाजिक मूल्यों की कमी, उपयोग का प्रतिरूप,स्थान विशेष परिस्थिति संभावित लक्ष्य पुलिस की कमजोर निगरानी, संपत्ति के मालिक की लापरवाही पुलिस गतिविधियों का स्तर, क्षमता, सुगम पहुंचनीयता अपराधियों का आसानी से बाहर जाने का रास्ता न्यायालय की प्रवृत्ति जेल में सुधारात्मक वातावरण का अभाव पुनः निवास की सुविधाओं की कमी, व्यवहार संहिता आदि हो सकते हैं।

अध्ययन विधि तथा आंकड़ों के स्रोत : सामाजिक एवं आर्थिक पर्यावरण किसी भी नगरीय क्षेत्र के अपराध को प्रभावित करता है अतः विभिन्न सामाजिक–आर्थिक आंकड़ों को इस शोध पेपर में लिया गया है। यह सामाजिक–आर्थिक आंकड़ों को पूर्ण रूप से द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त किए गये हैं क्योंकि इन सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्राथमिक आंकड़े पाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त अपराध संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करना कठिन कार्य है क्योंकि इन आंकड़ों को छिपाया जाता है। इसलिए केवल दर्ज अपराधों को ही आंकड़ों के स्रोत के रूप में लिया गया है।अपराध के स्थान संबंधी सांख्यिकी आंकड़ों को मुख्य रूप से रोहतक नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के रिकॉर्ड से लिया गया हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आंकड़े पुलिस थानों के रिकार्ड से एकत्रित किए गए हैं तथा कुछ ठोस जानकारियां प्रकाशित अपराध आंकड़ों से भी ली गई हैं जो केंद्रीय जांच संगठन द्वारा प्रकाशित की गई हैं। यह सामान्य मान्यता है कि कुछ आपराधिक वारदातों की पुलिस थानों में रिपोर्ट जाने या अनजाने में दर्ज नहीं की जाती हैं। प्रस्तुत शोध पेपर में रोहतक नगर में थानानुसार मुख्य अपराधों काअध्ययन किया गया है।

थानानुसार विभिन्न अपराधों का विवरण

1 **चोरी :** चोरी हमारे समाज में होने वाला एक सामान्य तथा प्रचलित अपराध है जो अक्सर घटित होता रहता है। मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन अपराधों में से चोरी भी एक है। सामान्यतः चोरी दो प्रकार की होती है सामान्य चोरी और सेंधमार चोरी।

तालिका 1

रोहतक नगर में थानानुसार चोरी अपराध का विवरण: 2008–2018

वर्ष	सिटी थाना	सिविल लाईन थाना	अर्बन अस्टेट थाना	शिवाजी कॉलोनी थाना	ओल्ड सब्जी मंडी थाना	पी.जी. आई. एम. एस. थाना	महिला थाना	आर्य नगर थाना	योग
2008	102	104	100	36	–	–	–	–	342
2009	146	85	134	35	–	–	–	–	400
2010	132	254	201	59	–	–	–	–	646
2011	167	220	188	52	–	–	–	–	627
2012	149	170	180	40	–	–	–	–	539
2013	126	260	176	64	–	–	–	–	626
2014	102	257	115	58	49	127	–	–	708
2015	90	209	118	80	38	90	–	–	625
2016	151	264	141	108	55	134	–	–	853
2017	174	278	107	121	75	157	–	–	912
2018	166	128	162	124	87	156	–	120	943
योग	1505	2229	1622	777	307	664	–	120	7224

स्त्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहतक

रोहतक नगर के सभी थानों में चोरी का अपराध सभी अपराधों में सबसे अधिक है। नगर में चोरी का अपराध 2018 में सबसे अधिक पाया गया है जिसकी मात्रा 943 है एवं 2008 में सबसे कम पाया गया है जिसकी मात्रा 342 है। चोरी के अपराध में निरंतर उतार–चढ़ाव पाया गया है। चोरी का अपराध सन् 2015, 16, 17 एवं 18 में क्रमशः 625, 853, 912 एवं 943 पाया गया है। 2015 के बाद चोरी के अपराध में निरंतर वृद्धि पाई गई है। नगर में 2008 से 2018 तक कुल 7224 चोरी के अपराध दर्ज हैं, तथा नगर में थानों के आकड़ों के अनुसार सर्वाधिक चोरी सिविल लाईन थाना (2229) में पाई गई है। मध्यम स्तर की चोरी अर्बन अस्टेट थाना (1622) एवं सिटी थाना (1505) में दर्ज की गई तथा निम्न स्तर की चोरी शिवाजी कॉलोनी थाना (777), पी.जी.आई.एम.एस. थाना (664), ओल्ड सब्जी मंडी थाना (307) एवं आर्य नगर थाना (120) में पाई गई हैं।

1 रोहतक नगर में थानानुसार चोरी अपराध का मानचित्र: 2008–2018

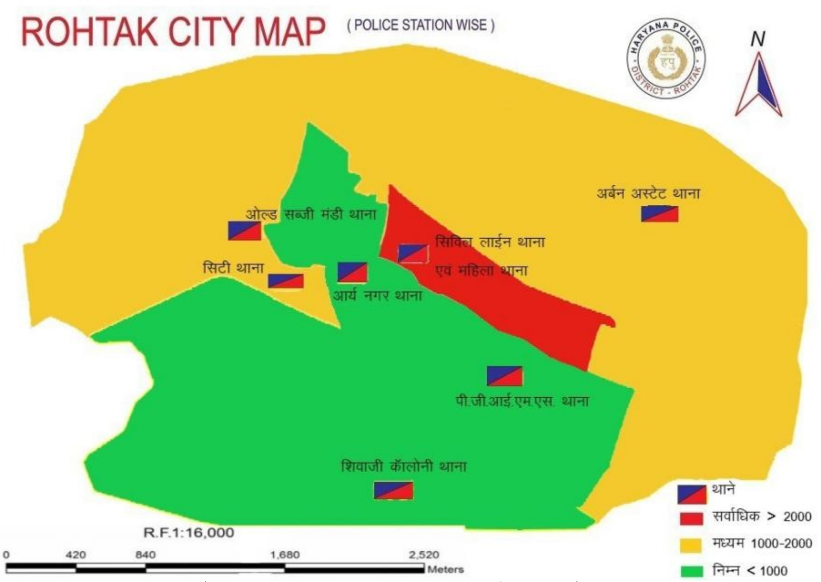

स्त्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहतक

2 हत्या

किसी भी मनुष्य को स्वेच्छा या अस्वेच्छा से मारना हत्या कहलाता है।अपराधों में यह सबसे घृणित और निंदनीय किस्म का अपराध है। निम्न सारणी क्षेत्र में इस अपराध कोदिखाती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि रोहतक नगर में समय–समय पर सभीथानों में हत्या की वारदातें पाई गई हैं।

तालिका 2

रोहतक नगर में थानानुसार हत्या अपराध का विवरण: 2008–2018

वर्ष	सिटी थाना	सिविल लाईन थाना	अर्बन अस्टेट थाना	शिवाजी कॉलोनी थाना	ओल्ड सब्जी मंडी थाना	पी.जी. आई.एम. एस. थाना	महिला थाना	आर्य नगर थाना	योग
2008	12	7	5	2	0	0			26
2009	3	3	4	5	0	0			15
2010	9	4	5	6	0	0			24
2011	11	4	7	3	0	0			25
2012	4	3	5	2	0	0			14
2013	12	4	0	8	0	0			24
2014	7	7	5	9	2	3			33
2015	4	2	6	7	1	2			22
2016	9	2	7	4	3	1	0		26
2017	10	2	3	4	1	4	0		24
2018	4	3	3	10	1	4	0	0	25
योग	85	41	50	60	8	14	0	0	258

स्त्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहतक

रोहतक नगर में हत्याके अपराध में निरंतर उतार–चढ़ाव पाया गया है। नगर में हत्या का अपराध सन् 2014 मेंसर्वाधिक मात्रा में पाया गया है जिसकी मात्रा 33 है तथा 2012 में सबसे कम पाई गई है जिसकी मात्रा 14 है। 2015 से 2018 के बीच हत्या की वारदातों में ज्यादा उतार–चढ़ाव पाया गया है जिनकी मात्रा सन् 2015, 2016, 2017 एवं 2018 में क्रमशः 22, 26, 24 एवं 26 पाई गई है। 2008 से 2013 के बीच हत्या की वारदातों में ज्यादा उतार–चढ़ाव पाया गया है। इस दौरान प्रत्येक पहले दो साल बढ़ोतरी के बाद एक दम गिरावट देखी गयी है।

नगर में 2008 से 2018 तक कुल 258 हत्या के अपराध दर्ज हुए हैं तथा नगर में थानों के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक हत्या सिटी थाना (85) में पाई गई है। इस क्षेत्र में सन् 2009 से 2011 तक हत्या में निरंतर वृद्धि पाई गई है, 2013 से 2015 तक हत्या में निरंतर कमी पाई गई है, 2016 व 2017 में फिर से वृद्धि तथा 2018 में फिर से कमी पाई गई है। मध्यम स्तर पर यह अपराध शिवाजी कॉलोनी थाना (60), अर्बन अस्टेट थाना, (50) तथा सिविल लाईन थाना (41) में पाया गया है। निम्न स्तर पर हत्या का अपराध पी.जी.आई.एम.एस. थाना (14), ओल्ड सब्जी मंडी थाना (08) एवं आर्य नगर थाना (0) में पाया गया है।

2 रोहतक नगर में थानानुसार हत्या अपराध का मानचित्र: 2008–2018

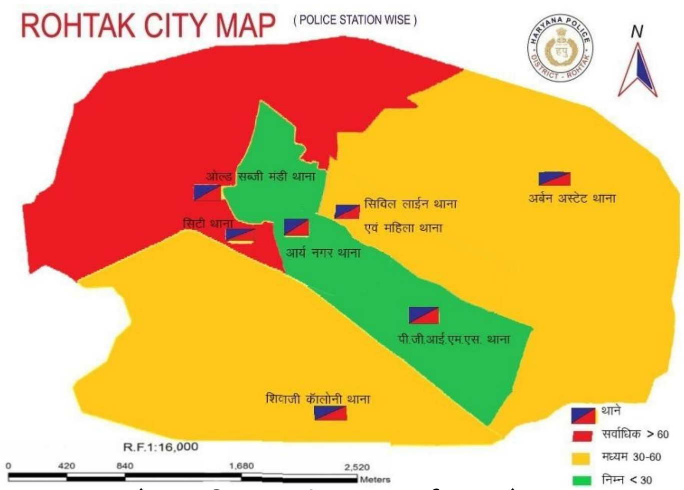

स्त्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहतक

3. डकैती

डकैती को संपत्ति से संबंधित अपराध की श्रेणी में रखा जाता है जिसमें पांच या पांच से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति उपस्थित हैं और ऐसी लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं ऐसी अवस्था मेंहर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है, उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करते हुए अपराध करता है तो वह डकैती कहलाती है।

तालिका 3

रोहतक नगर में थानानुसार डकैती अपराध का विवरण: 2008–2018

वर्ष	सिटी थाना	सिविल लाईन थाना	अर्बन अस्टेट थाना	शिवाजी कॉलोनी थाना	ओल्ड सब्जी मंडी थाना	पी.जी. आई. एम. एस. थाना	महिला थाना	आर्य नगर थाना	योग
2008	0	0	0	1	–	–	–	–	1
2009	0	1	0	1	–	–	–	–	2
2010	2	0	1	1	–	–	–	–	4
2011	1	0	0	0	–	–	–	–	1
2012	1	0	0	1	–	–	–	–	2
2013	1	0	0	1	–	–	–	–	2
2014	0	0	0	0	1	0	–	–	1
2015	1	0	1	0	0	0	–	–	2
2016	4	0	4	1	0	1	–	–	10
2017	0	0	2	1	0	0	–	–	3
2018	1	0	1	0	0	0	–	0	2
योग	11	1	9	7	1	1	–	0	30

स्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहतक

नगर के मुख्य 08 थानों में डकैती का अपराध समान रूप से नहीं पाया गया। नगर में डकैती का अपराध 2016 में अत्यधिक पाया गया है जिसकी मात्रा 10 है। 2016 के उपरांत डकैती की वारदातों में निरंतर कमी पाई गई है। जो कि पिछले चार वर्षों में नगर में मात्र 17 डकैती की वारदात में दर्ज की गईहै।

नगर में 2008 से 2018 तक कुल 30 डकैती की वारदातें दर्ज हैं। नगर में थानों के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक डकैती थाना सिटी थाना (11), मध्यम स्तर पर अर्बन अस्टेट थाना (09), शिवाजी कॉलोनी थाना (7) में एवं निम्न स्तर का अपराध सिविल लाईन थाना (1), ओल्ड सब्जी मंडी थाना (1), पी.जी.आई.एम.एस. थाना (1), आर्य नगर थाना (0) एवं महिला थाना (0) में पाया गया है। स्पष्ट रूप से नगर में डकैती की घटना हर प्रकार के अपराधों की अपेक्षा नगन्य रही।

3 रोहतक नगर में थानानुसार डकैती अपराध का मानचित्र: 2008–2018

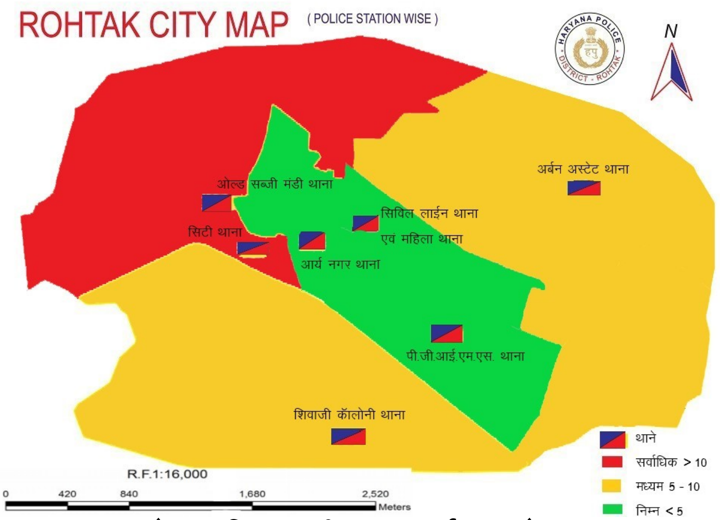

स्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहतक

4. लूट

चोरी लूट है, लूट से आशय है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी को करने में या उस चोरी द्वारा अधिप्राप्त संपत्ति को ले जाने तथा प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा किसी व्यक्ति को डराकर या धमकाकर आतंकित करता है या करने का प्रयत्न करता है तो वह लूट है। इस अपराध में दो आदमी से अधिक और पांच आदमी से कम होते हैं।

तालिका 4

रोहतक नगर में थानानुसार लूट अपराध का विवरण: 2008–2018

वर्ष	सिटी थाना	सिविल लाईन थाना	अर्बन अस्टेट थाना	शिवाजी कॉलोनी थाना	ओल्ड सब्जी मंडी थाना	पी.जी. आई.एम. एस. थाना	महिला थाना	आर्य नगर थाना	योग
2008	3	4	2	2	–	–	–	–	11
2009	6	3	10	4	–	–	–	–	23
2010	3	2	3	4	–	–	–	–	12
2011	6	5	5	5	–	–	–	–	21
2012	7	2	5	5	–	–	–	–	19
2013	4	2	3	1	–	–	–	–	10
2014	2	4	2	4	1	0	–	–	13
2015	10	2	4	2	6	1	–	–	25
2016	7	1	2	6	2	1	–	–	19
2017	5	3	4	6	0	1	–	–	19
2018	1	0	5	3	1	0	–	–	10
योग	54	28	45	42	10	3	–	–	182

स्त्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहतक

नगर में लूट के अपराध में 2008 से 2011 तक निरंतर उतार–चढ़ाव पाया गया है जिसकी मात्रा 2008 में (11), 2009 में (23), 2010 में (12) तथा 2011 में (21) पाई गई है। 2011 के बाद 2013 तक लूट की वारदातों में निरंतर कमी पाई गई है। सन् 2014 एवं 2015 में लूट की वारदातों में निरंतर वृद्धि पाई गई है। नगर में 2016 से 2018 तक लूट की वारदातों में कमी पाई गई जिसकी मात्रा क्रमशः 19, 19 एवं 10 दर्ज की गई। नगर में 2008 से 2018 तक कुल 182 लूट की वारदातें दर्ज हुई हैं तथा नगर में थानों के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक लूट सिटी थाना (54), अर्बन अस्टेट थाना (45) एवं शिवाजी कॉलोनी थाना (42) में पाई गई है। यह क्षेत्र नगर के चारों ओर फैला हुआ है। मध्यम स्तर पर यह अपराध सिविल लाईन थाना (28)में पाया गया है तथा निम्न स्तर का अपराध ओल्ड सब्जी मंडी थाना (10), पी.जी.आई.एम.एस. थाना (03) एवं आर्य नगर थाना (0) में पाया गया है।

4 रोहतक नगर में थानानुसार लूट अपराध का मानचित्र: 2008–2018

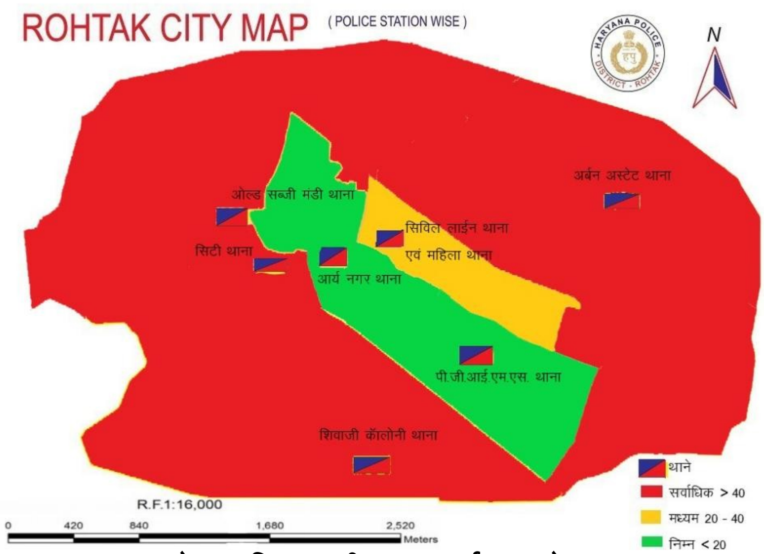

स्त्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहतक

5. दंगा

दंगा सामाजिक लोक शांति के लिए एक गंभीर किस्म का अपराध है। इस अपराध में दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़कर लोकशांति में विघ्नडालते हैं तो कहा जाता है कि वे 'दंगा' कर रहे हैं। यह अपराध निजी स्थान पर नहीं किया जा सकता है। ब्लैकस्टोन के अनुसार 'दंगा' शब्द विधि के अंतर्गतदो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करने से है जिससे जनता भयभीत हो जाए।

तालिका 5

रोहतक नगर में थानानुसार दंगा अपराध का विवरण: 2008–2018

वर्ष	सिटी थाना	सिविल लाईन थाना	अर्बन अस्टेट थाना	शिवाजी कॉलोनी थाना	ओल्ड सब्जी मंडी थाना	पी.जी. आई. एम.एस. थाना	महिला थाना	आर्य नगर थाना	योग
2008	19	4	4	3	–	–	–	–	30
2009	19	7	5	3	–	–	–	–	34
2010	7	7	4	2	–	–	–	–	20
2011	13	4	9	5	–	–	–	–	31
2012	10	7	5	3	–	–	–	–	25
2013	18	5	4	7	–	–	–	–	34
2014	16	7	5	6	6	5	–	–	45
2015	13	6	2	1	5	6	–	–	33
2016	82	108	62	9	3	125	–	–	389
2017	13	10	19	13	6	11	–	–	72
2018	17	6	11	24	15	15	–	2	90
योग	227	171	130	76	35	162	–	2	803

स्त्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहतक

नगर में दंगा के अपराध में 2008 से 2012 तक निरंतर उतार–चढ़ाव पाया गया है जिसकी मात्रा 2008 में (30), 2009 में (34), 2010 में (20), 2011 में (31) तथा 2012 में (25) पाई गई है। 2012 के बाद 2014 तक दंगा की वारदातों में निरंतर वृद्धि पाई गई है। सन् 2015 में दंगा की वारदातों में कमी पाई गई है। नगर में 2016 में दंगा की वारदातों में सर्वाधिक वृद्धि पाई गई जिसकी मात्रा 389 दर्ज की गई है। नगर में 2017 में दंगा की वारदातों में कमी पाई गई है जिसकी मात्रा 72 दर्ज की गई है एवं 2018 में फिर से वृद्धि पाई गई जिसकी मात्रा 90 दर्ज की गई है।

नगर में 2008 से 2018 तक नगर में कुल 803 दंगा की वारदातें दर्ज हुई हैं। नगर में थानों के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दंगे सिटी थाना 227, सिविल लाईन थाना 171, पी.जी.आई.एम.एस. थाना 162 एवं अर्बन अस्टेट थाना में 130 पाए गए है। मध्यम स्तर पर यह अपराध शिवाजी कॉलोनी थाना 76 पाए गए हैं तथा निम्न स्तर का अपराध ओल्ड सब्जी मंडी थाना 35 एवं आर्य नगर थाना में 02 पाया गयाहै।

5 रोहतक नगर में थानानुसार दंगाअपराध का मानचित्र: 2008–2018

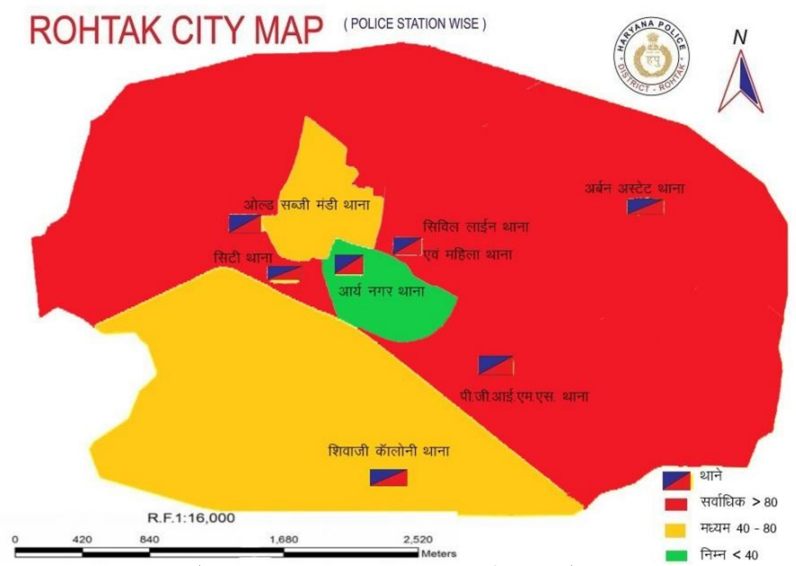

स्त्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहतक

6. अपहरण

जब कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बल प्रयोग द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रयोजना पूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है उसे अपहरण कहा जाता है। यह संपत्ति और व्यक्ति के प्रति नवीन अपराध है। अधिकतर मामलों में अपराधी किसी धनराशि के लिए किसी व्यक्ति को उठा कर अपने साथ ले जाते हैं या फिर कभी–कभी अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए ऐसा करते हैं।

तालिका 6

रोहतक नगर में थानानुसार अपहरण अपराध का विवरण: 2008–2018

वर्ष	सिटी थाना	सिविल लाईन थाना	अर्बन अस्टेट थाना	शिवाजी कॉलोनी थाना	ओल्ड सब्जी मंडी थाना	पी.जी. आई.एम. एस. थाना	महिला थाना	आर्य नगर थाना	योग
2008	7	5	3	2	–	–	–	–	17
2009	8	10	4	2	–	–	–	–	24
2010	8	2	3	5	–	–	–	–	18
2011	9	5	6	6	–	–	–	–	26
2012	4	4	2	2	–	–	–	–	12
2013	17	3	10	7	–	–	–	–	37
2014	15	3	6	7	9	3	0	–	43
2015	88	37	30	48	31	37	5	–	276
2016	61	26	40	53	55	28	6	–	269
2017	58	58	19	83	48	46	5	–	317
2018	38	17	25	49	31	23	5	0	188
योग	313	170	148	264	174	123	21	0	1213

स्त्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहतक

उपरोक्त सारणी क्षेत्र में इस अपराध को दर्शाती है। नगर में 2015, 2016, 2017 एवं 2018 में सर्वाधिक अपराध के मामले दर्ज हैं जो क्रमशः 276, 269, 317 एवं 188 हैं। नगर में अपहरण के अपराध में 2008 से 2014 तक निरंतर उतार–चढ़ाव पाया गया है जिसकी मात्रा 2008 में (17), 2009 में (24), 2010 में (18), 2011 में (26), 2012 में (12), 2013 में (37) तथा 2014 में (43) पाई गई है। 2012 में अपहरण की निम्न मात्रा (12) तथा 2017 में अपहरण की उच्च मात्रा (317) पाई गई है।

नगर में 2008 से 2018 तक कुल 1213 अपहरण के मामले दर्ज हैं तथा थानों के आंकड़ों अनुसार सर्वाधिक अपहरण की मात्रा सिटी थाना (313) एवं शिवाजी कॉलोनी थाना (264) में पाई गई हैं क्योंकि इस क्षेत्र में नगर का उच्च आर्थिक वर्ग निवास करता है जिन के परिवार के सदस्यों का अपहरण मुख्य फिरोती वसूलने के लिए किया जाता है। मध्य स्तर पर यह अपराध ओल्ड सब्जी मंडी थाना (174), सिविल लाईन थाना (170), अर्बन अस्टेट थाना (148) एवं पी.जी.आई.एम.एस. थाना (123) में पाया गया है। निम्न स्तर का अपराध महिला थाना (21) व आर्य नगर थाना (0) में दर्ज है।

6 रोहतक नगर में थानानुसार अपहरण अपराध का मानचित्र:2008–2018

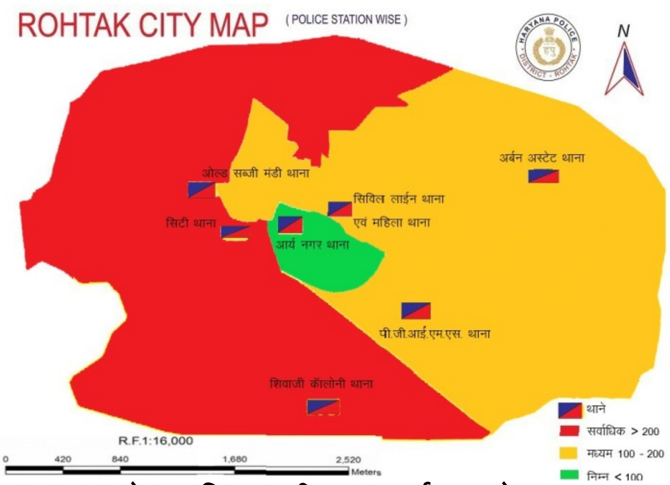

स्त्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहतक

7 बलात्कार

साधारण शब्दों में किसी शख्स की मर्ज़ी के बिना उसके साथ जिस्मानी रिश्ता कायम करना बलात्कार कहलाता है। जो पुरुष एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशा को छोड़कर किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध मैथुन करता है वह बलात्कार कहा जाता है।

तालिका 7

रोहतक नगर में थानानुसार बलात्कार अपराध का विवरण: 2008–2018

वर्ष	सिटी थाना	सिविल लाईन थाना	अर्बन अस्टेट थाना	शिवाजी कॉलोनी थाना	ओल्ड सब्जी मंडी थाना	पी.जी. आई.एम. एस. थाना	महिला थाना	आर्य नगर थाना	योग
2008	6	3	3	4	–	–	–	–	19
2009	7	5	4	5	–	–	–	–	21
2010	14	3	2	6	–	–	–	–	25
2011	10	8	10	7	–	–	–	–	35
2012	9	4	2	4	–	–	–	–	19
2013	15	5	10	8	–	–	–	–	38
2014	9	1	5	8	1	2	0	–	26
2015	7	7	5	5	0	5	7	–	36
2016	5	0	4	4	1	1	17	–	32
2017	11	1	1	6	4	4	26	–	53
2018	7	0	11	10	9	0	24	0	61
योग	100	37	57	67	15	12	74	0	362

स्त्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहतक

उपरोक्त सारणी क्षेत्र में इस अपराध को दिखाती है। रोहतक नगर में बलात्कार की वारदातों में 2008 से 2011 तक निरंतर वृद्धि पाई गई है जिनकी मात्रा क्रमशः 19, 21, 25 एवं 35 दर्ज हुई है। 2012 से 2017 तक निरंतर उतार–चढ़ाव पाया गया है जिसकी मात्रा क्रमशः 19, 38, 26, 36, 32 एवं 53 पाई गई है। 2018 में फिर से वृद्धि दर्ज की गई जिसकी मात्रा 61 पाई गई है जो पूरे अंतराल में सबसे ज्यादा दर्ज की गईहै।

नगर में 2008 से 2018 तक कुल 362 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं तथा थानों के आंकड़ों अनुसार सर्वाधिक बलात्कार की मात्रा सिटी थाना (100) एवं महिला थाना (74) में पाई गई है। मध्य स्तर पर इस अपराध की मात्रा शिवाजी कॉलोनी थाना (67), अर्बन अस्टेट थाना (57) एवं सिविल लाईन थाना (37) में दर्ज की गई है तथा निम्न स्तर पर ओल्ड सब्जी मंडी थाना (15) एवं पी.जी.आई.एम.एस. थाना (12) में दर्ज की गई है।

7 रोहतक नगर में थानानुसार अपहरण अपराध का मानचित्र: 2008–2018

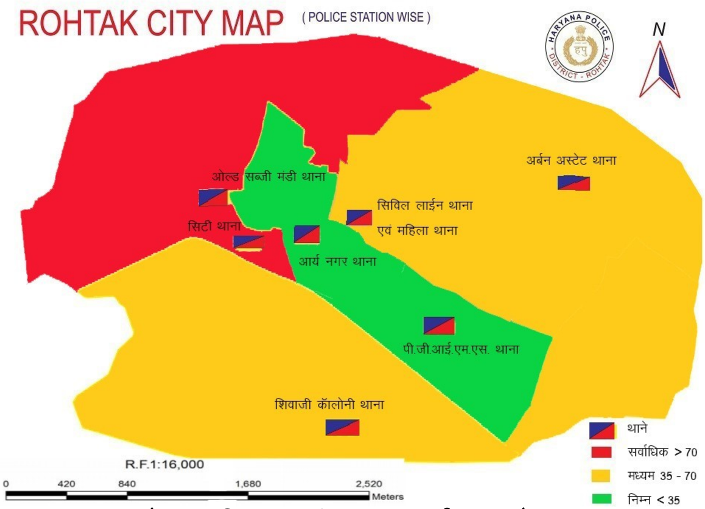

स्त्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहतक

निष्कर्ष

रोहतक नगर में मानवीय जीवन के आर्थिक स्तर एवं अपराध का अत्यधिक गहरा संबधं है क्योंकि इसका व्यक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन और मूल्यों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आर्थिक स्तर समस्त मानवीय जीवन को प्रभावित करता है। इसी कारण अनेक अपराध

शास्त्रियों ने अपराधों का विश्लेषण आर्थिक स्तर के आधार पर किया है। उनके द्वारा अपराधी का आर्थिक स्तर तथा आपराधिकता के बीच में आशय स्थापित करते हुए यह बात सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आपराधिकता व्यक्ति के आर्थिक स्तर को प्रत्यक्षतः या परोक्षतः प्रभावित अवश्य करती है। उनके द्वारा इसे 'आर्थिक अवधारणा (Economic determinism) कहा है। इस संदर्भ में कार्ल मार्क्स (Karl Marx, 1818- 73) ने कहा है कि आर्थिक स्थिति जीवन की सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का निर्धारण करती है और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के साथ सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन होना अवश्यंभावी है। वर्तमान समय में मानव जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बजाय भोग विलासता की वस्तुओं को जुटाने की ओर अधिक ध्यान देता है। वह समाज में प्रतिष्ठा की झूठी लालसा के कारण भोग विलासता की वस्तुओं जैसे कार, ए.सी., टी.वी., फ्रिज, वी.सी.आर.,स्कूटर आदि वस्तुओं को जुटाने में लगा रहता है। कई बार वह इन वस्तुओं को वैध तरीकों से प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो वह इन्हें अवैध तरीकों से प्राप्त करके अपराध की दलदल में फंसता चला जाता है। वर्तमान समय में आर्थिक स्वरूप के अपराधों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इन अपराधों में हेराफेरी, गबन, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, बेईमानी आदि आते है। इसलिए **डोनाल्ड टेफ्ट** ने कहा है कि "अपराध समृद्धि को दर्शन वाली घटना है न कि दरिद्रता का प्रतीक। प्लेटो ने भी आर्थिक स्थिति को अपराध का मुख्य कारण माना है। उनके अनुसार दरिद्रता भूखमरी, अकाल, बीमारियां, धनी वर्ग के विरुद्ध जन–आक्रोश आदि के कारण मनुष्य निराश होकर अनिच्छा से अपराध करने के लिए विवश हो जाता है। इसी कारण से प्रायः देखा गया है कि आर्थिक मंदी के समय में अपराधों में अत्यधिक वृद्धि पाई गई। आर्थिक स्थिति और अपराध में प्रतिलोमी संबंध है, अर्थात् सुदृढ़ आर्थिक स्थिति होने पर अपराध कम मात्रा में होते है जबकि आर्थिक मंदी के समय में अपराध अधिक मात्रा में होते है। **प्रो. आर. एच. वेल्श** के अनुसारमंदी और प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों में अपराधों का बाहुल्य हो जाता है। **प्रो. क्ले** के अनुसार आर्थिक मंदी के समय संक्षिप्त दोष सिद्धि के प्रकरणआर्थिक समृद्धि की अवधि की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। इसका कारण यह है कि आर्थिक तंगी के समय अविवेकशील युवा वर्ग बेकारी का शिकार हो जाताहै। जिसके परिणाम स्वरूप वह बेईमानी और अवैध कृत्यों की ओर आकर्षित होता है जिसके अपराधों की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। **गोंरिग** ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि मनुष्य की अहमवादी प्रवृत्ति का समाधान केवल पैसा या धन है। अतः यदि व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति वैध तरीकों से नहीं कर सकता, तो वह अवैध तरीकों से अपनी इच्छा की संतुष्टि करने के लिए लालायित होकर अपराध की दलदल में फंसता ही चला जाता हैं। ऐसी स्थिति में वह अपराध करने लग जाता है। सामाजिक प्रणाली में श्रम और पूंजीका असमान वितरण अंत में धनवान और गरीब वर्ग के लोगों के बीच अंतर्विरोध की स्थिति उत्पन्न करता है और इन धनवान लोगों का सामना करने के उपक्रम में साधनहीन गरीब वर्ग के लोग कभी–कभी अपराध कर बैठते हैं। रिचर्ड क्यूनी ने मार्क्सवादी इस विचारधारा का समर्थन करते हुए कहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपराधजन्यसमाज को जन्म देती है ओर जब तक यह समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तित नहीं होती जाती अपराधों. में कमी होना संभव नहीं है, क्योंकि लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक और राजनीतिक अधिकार केवल समाजवादी तंत्र में ही सुरक्षित रह सकते हैं उनका मानना है कि जब तक धनहीन एवं गरीब वर्ग के लोग शोषित बने रहेंगे कोई भी विधिक व्यवस्था अपराधों के निवारण में सफल नहीं हो सकती क्योंकि आर्थिक शोषण और असंतोष ही आपराधिकता के प्रमुख कारण हैं। पूंजीवादी अर्थ–व्यवस्था मुख्य रूप से आपराधिकता को बढ़ावा देती है क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था में व्यक्ति की स्वार्थी प्रवृत्ति को पनपने कासमुचित मौका मिलता है। बेराजगारी और आपराधिकता के बीच निकट का संबंध स्थापित करते हुए **गेब्रिल टार्डे** ने कहा है कि "रोजगार अपराध का कट्टर शत्रु है।

उपरोक्तविवेचन से यह बात स्पष्ट होती है कि विपरीत किस्म की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि पाई जाती है। अतः रोहतक नगर में भी बदलती परिस्थितियों के साथ विपरीत किस्म की आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपराध में निरंतर वृद्धि पाई जा रही है जो कि निम्न विवेचन से पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है।

1 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि रोहतक नगर मूलतः एक शांति प्रिय नगर के रूप में माना जाता था परंतु आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि नगर में चोरी का अपराध सर्वाधिक मात्रा में पाया गया है। नगर में चोरी की घटनाएं सर्वाधिक मात्रा में होना यह दर्शाता है कि नगर की आर्थिक संरचना कमजोर है। यह नगर सदैव से ही उद्योगों एवं व्यापारका मुख्य केंद्र रहा है लेकिन अब यहां से उद्योग एवं व्यापार आसपास शहरों में पलायन करगए हैं। उद्योग एवं व्यापार के पलायन से नवयुवकों में बेरोजगारी की समस्या पनप रही है। बेरोजगारी की समस्या गंभीर रूप लेते हुए उन्हें अपराध करने के लिए मजबूर कर रही है। ये सभी प्रकार के वातावरण

अपराधी के मनोविज्ञान एवं मस्तिष्क को प्रभावित करते है। अध्ययन में यह पाया गया है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। अतः निश्चित सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में एक व्यक्ति अगर ठीक से सामंजस्य नहीं बैठा पाता तो वह अपराधी बन जाता है। बेरोजगारी तथा अपर्याप्त आय जब ऐसी स्थिति उत्पन्न करती जिससे व्यक्ति आर्थिक परेशानियां महसूस करता है। इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति के मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न करती है। इस प्रकार की परेशानी व तनाव को कम करने के लिए लोग शराब का सेवन, जुआ खेलना, नशीले पदार्थ लेना यहां तक की वेश्यावृत्ति भी शुरू कर देते है। इन सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे की कमी उनमें फिर से तनाव को बढ़ाती हैं। अतः ये सब परिस्थितियां उनको अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। दूसरे पहलू से अगर देखा जाए तो ये सब आर्थिक अपराध को करने के लिए प्रेरित करता है लेकिन इसमें, जब उसके पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय होता है, तब उसका मस्तिष्क "शैतान का घर' बन जाता है और वह अपराध करता है। अध्ययन में यह पाया गया है कि अपराध का कोई एक कारण भी नहीं होता और न ही अपराध से बचाव तथा उसे कम करने के लिए कोई एकनियम भी नहीं हो सकता। अपराध के कारणों में अपराध की कार्य प्रणाली, आसान लक्ष्य, आसान पहुंच, प्रशासनिकढील, निर्णय लेने में देरी, सामाजिक जागरुकता की कमी और आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में जानकारी का अभाव आदि आपराधिकता को बढ़ाते हैं। इसलिए पुलिस, सरकार, जनताके प्रयास और वैज्ञानिक उपकरणों का सही प्रयोग अपराध से बचने तथा कम करने में पूर्ण रुप से प्रभावी हो सकता हैं। समाज को शिक्षित करना तथा लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार की नीतियां निश्चित तौर पर आपराधिकता तथा अपराधी व्यवहार को कम कर सकती हैं।

संदर्भ

7. Goswami, P., 1964 : Criminology, p.21
8. Marshal. B. Clinard & Dainard J. Abbott, 1973, Crime in Developing Countries, p.11
9. डॉ. के के. शर्मा 'सहारनपुर संदर्भ' ।
10. गोस्वामी पी.. क्रिमिनोलोजी, 1964, पृष्ठ–163
11. डोनाल्ड टेफ्ट : क्रिमिनोलोजी, (संस्करण 4) पृष्ठ–129
12. क्यूनी रिचर्ड : दि सोशल रियलिटी ऑफ क्राइम (1970), पृष्ठ–131
13. डब्ल्यू. ए बोंगर : क्रिमिनेलिटी एंड इकानामिक कंडीशन्स (पी. हार्टन द्वारा अनुदित), पृष्ठ–107
14. गेब्रिल हार्डे : पेनल फिलोसफी, पृष्ठ–38
15. Tappan, W. Paul, 1960: Crime Justice and Correction, MC Grew Hill BookCo., New York.
10. Huntington, Elsworth (1945): Mainspirings of classification, Willey & Sons,New York, p.608..
11. Morsis, A. (1934); Criminality, Longmans' Green, New York.
12. mekay, H.D. (1942): Juvenile Delingquency Urban ariss Oxford.
13. Adebadkum, A. (1990): Essays on Crime & Development.
14. Kassibown, G. (1982): Crime and Economic Development Indian Jr. OfSocial Work, Vol.-XLL, No.1, pp.1-10.
15. Smith, Bruece (1933): Rural Crime Control, New York, Institute of PublicAdministration.
16. Shannan; L.A. (1954) : The Spatial Distribution of Criminal Offencies byStats, Jr. of Criminal Law, p.264-273.

भूषण

शाहबाज आलम
विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची
shahbazalam136136@gmail.com

प्रस्तावना

भूषण का हिन्दी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। भूषण रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने उस समय की सामाजिक नैतिक दशा के प्रति जागरूकता दिखाते हुए विलासिता एवं स्वार्थपूर्ण राजप्रशंसा का स्पष्ट विरोध किया है। उनके अनेक आश्रयदाता रहे किन्तु 'साहु' छत्रसाल और शिवाजी इन तीन के प्रति ही उनकी आस्था रही।[1] शिवाजी में उन्होंने अपनी नैतिक तथा राजनैतिक चेतना का आदर्श प्रत्यक्ष रूप में पाया और उनके चरित को ही प्रधानतया अपने काव्य का विषय बनाया। एक प्रकार से उन्होंने रीतिकालीन काव्य परिपाटी और व्यक्तिगत आदर्श के बीच समन्वय स्थापित किया।[2] भूषण का वास्तविक नाम क्या था, इसका पता नहीं। उनके बड़े भाई का नाम चिंतामणि त्रिपाठी और पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। उनका जन्म तिकवाँपुर, जिला कानपुर में हुआ था और वह कश्यम गोत्रीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनकी मृत्यु 1715 ई0 में माना जाता है।[3]
उनके समय में उनका गाँव विद्वानों का केन्द्र था। इसलिए अपने शैशव–काल में भूषण ने उनके सत्संग से विशेष प्रेरणा ग्रहण की और कविता करने लगे। रीतिकालीन श्रृंगारी भावना के वह समर्थक नहीं थे। उनके सामने राष्ट्र का प्रश्न था। छत्रपति शिवाजी और पन्ना नरेश छत्रसाल बुंदेला की वीरता और उनकी राष्ट्र–प्रियता की कहानियाँ उनके कानों तक पहुँच चुकी थी। बूंदी–नरेश शत्रुशल्य अथवा छत्रसाल हाड़ा, छत्रपति शंभाजी, छत्रपति शाहुजी, मुगल सम्राट औरंगजेब, चित्रकूट–पति हृदयराम सोलकी, कुमायूँ–नरेश उद्योतचन्द्र, गढ़वाल–श्रीनगर–नरेश फतहशाह, रीवाँ–नरेश अवधूत सिंह, जयपुर–नरेश सवाई जयसिंह, दिल्ली नरेश जहाँदार शाह, असांथर नरेश भगवन्तराय खीची आदि से उनका परिचय था और उनमें से अधिकांश उनके आश्रयदाता थे।[4] कहा जाता है कि वह छत्रपति शिवाजी से मिले थे और उनके साथ रहकर 1674 ई0 में अपने गाँव आए थे। इसी प्रकार यह भी प्रसिद्ध है कि 1698 ई0 में चित्रकूट पति हृदयराम सोलंकी ने उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर उन्हें 'भूषण'[5] की उपाधि दी थी। इन्होंने 'शिवराजभूषण', 'शिवबावनी' और 'छत्रसालदसक' नामक ग्रंथ की रचना की है।[6] इसके अतिरिक्त 'भूषणउल्लास', 'दूषणउल्लास', 'भूषणहजारा' की भी रचना की थी। भूषण वीररस के ही कवि थे। इनके दो–चार कवित्त श्रृंगार के भी मिले हैं पर वे गिनती के योग्य नहीं है। रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ 'शिवराजभूषण' अलंकार ग्रंथ के रूप में बनाया।[7] लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है और उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है।[8] भूषण के सर्वप्रधान आश्रयदाता शिवाजी थे। उन्हीं की विरूदावली में 'शिवभूषण' रचा गया है। बहुत सी फुटकल रचना भी उन पर है। उनके चरित की अनेक घटनायें इसमें उल्लिखित हैं। जिस समय शाहजी अपने प्राणों की रक्षा के लिए घर–बार छोड़कर दर–दर मारे–मारे फिरते थे उसी समय शिवाजी का 1628 ई0 में जन्म हुआ।[9] बड़े होने पर शिवाजी ने अपनी शक्ति में वृद्धि की एवं महाराष्ट्र के कई किलों को जीता। शिवाजी की शक्ति बढ़ने से बीजापुर एवं मुगल शासक को परेशानी बढ़ी। शिवाजी ने मुगल शासक औरंगजेब को कई वर्षों तक परेशान कर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। कवि चिंतामणि मुगल दरबार में रहते थे और मतिराम बूँदी में। भूषण और नीलकंठ घर पर ही रहा करते थे।[10] नीलकंठ साधु सेवा में अधिक रहते थे। भूषण घर से निकलकर शिवाजी के दरबार में भी पहुँचे। घर से बाहर निकलने पर भूषण किस प्रकार शिवाजी के दरबार में पहुँचे इस संबंध में भी दंतकथाएँ प्रचलित है। कहा जाता है कि भूषण पहले औरंगजेब के दरबार में गए और वहाँ इन्होंने वीररस की कविता सुनाई। इन्होंने कविता सुनाने के पहले बादशाह से कहा कि आपका हाथ श्रृंगाररस की कविता सुनने से कुठौर में लगा होगा, हमारी वीररस की कविता सुनकर वह मूछों पर जाएगा, इसलिए उसे धो डालिए। बादशाह ने यह कहकर हाथ धो लिया कि यदि मूछों पर हाथ न गया तो तुम्हारा सिर उतरवा लिया जायेगा। भूषण ने कविता सुनाई। बादशाह का हाथ मूछों पर चला गया। वह बहुत प्रसन्न हुआ। अब भूषण का दरबार में मान होने लगा। एक दिन औरंगजेब ने कवियों से कहा कि आप लोग हमारी प्रशंसा ही करते हैं, क्या हममें कोई दोष ही नहीं हैं। और कवि तो चापलूसी करते रह गए पर भूषण ने बादशाह से कहा कि यदि आप मुझे कविता सुनने के बाद माफ कर देने का वचन दें तो मैं कुछ कहूँ। बादशाह ने बात स्वीकार की और भूषण ने कविता पढ़ सुनाया। औरंगजेब बहुत क्रुध हुआ और उसने भूषण को मार डालने का हुक्म दिया। लोगों ने उसे उसके वचन की याद दिलाई। इससे

भूषण बच गये। औरंगजेब ने कहा कि तू मेरी आँखों के सामने से हट जा। भूषण डेरे पर गए और घोड़ी पर चढ़कर वहाँ से चल पड़े।[11] भूषण को अपने देश से प्रेम था। उन्होंने भ्रमण कर पूरे देश की परिस्थितियों को नजदीक से जाना और और समझा था। भूषण का रचनाकाल औरंगजेब के शासनकाल में पड़ता है। भूषण ने औरंगजेब की नीतियों को अपनी कविता के माध्यम से कड़ी निंदा की है। भूषण की यह प्रतिशोध की भावना इस्लाम धर्म या मुस्लिम जाति के प्रति नहीं थी। यह भावना उन अपराधियों या आक्रमणकारियों के प्रति थी जिन्होंने हिन्दू धर्म को धराशायी करने का प्रयास किया था। भूषण की राष्ट्रीय भावना जातीयता से पूरी तरह निर्लिप्त थी। इस बात का प्रमाण उनके द्वारा की गई बाबर, अकबर और हुमायूँ की प्रशंसा है –

बब्बर अकब्बर हिमायूँ हद बाँधि गए,
हिन्दू और तुरूक की कुरान वेद ढबकी।
दौलति दिली की पाय कहाए अलमगीर,
बब्बर अकब्बर के बिरद बिसारे तैं।
बब्बर अकब्बर हिमायूँ साह सासन सों,
नेह तें सुधारी हेम–हीरन तें सगरी।।[12]

और कवियों के काव्य–नायक सचमुच ही उस गौरव के अधिकारी नहीं होते जिसके अधिकारी शिवाजी जैसे सच्चे शूर थे। इसलिए भूषण की कविता में सच्चाई और ईमानदारी की सुगन्धि आ गयी है।[13] शिवाजी महाराज ने भूषण को 52 लाख रूपये, 52 हाथी और 52 गाँव पुरस्कार में दिए। भूषण को शिवाजी से 52 हाथी मिले थे यह बात पहले लोकप्रसिद्ध हो चुकी थी। उन्होंने बतलाया कि कल मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि आप जितनी बार कवित्त सुनाएँगे उतने लाख रूपये, उतने ही हाथी और उतने ही गाँव आपको पुरस्कार में दूँगा। इन्हीं रूपयों से इन्होंने भाभी के पास हाथियों पर लदवाकर नमक भिजवाया। कहा जाता है कि शिवाजी के यहाँ कुछ दिनों तक रहकर ये अपने घर को लौटे। लौटते समय ये महाराज छत्रसाल के दरबार में गए। इन्हें शिवाजी का राजकवि समझकर छत्रसाल ने इनका बड़ा आदर किया और इनका यथोचित सम्मान करने के लिए बिदा करते समय इनकी पालकी का डंडा अपने कंधे पर रख दिया। भूषण यह देखकर पालकी से कूद पड़े और उनकी प्रशंसा में अंत प्रतीकवाला कवित्त पढ़ा। कुछ दिनों आराम करने के बाद ये कुमायूँ नरेश के यहाँ गए। जब ये यहाँ से चलने लगे तो राजा इन्हें विदाई में एक लाख रूपये देने लगे। भूषण ने यह कहकर रूपये नहीं लिए – 'शिवाजी ने मुझे इतने रूपये दे दिए हैं कि मुझे अधिक की चाह नहीं रही। मैं तो यह देखने आया था कि यहाँ तक छत्रपति शिवाजी का यश फैल गया है या नहीं।' 'चिटणीस बखर' में इनके वहाँ से चले आने के संबंध में यह बात लिखी है – ''एक दिन राजा ने पूछा कि क्या मेरे ऐसा भी कोई दानी इस पृथ्वी पर कहीं होगा। भूषण ने कहा बहुत से हैं। जब राजा इन्हें एक लाख रूपये देने लगा तो इन्होंने यह कहकर रूपया लेना अस्वीकार कर दिया कि अभिमान से दिया हुआ रूपया हम नहीं लेंगे। यह कहकर ये वहाँ से दक्षिण चले गये।'' इन्होंने अपने 'शिवभूषण' में इसीलिए शिवाजी के राज्याभिषेक का वर्णन नहीं किया अथवा उसमें उत्सव की कविता नहीं मिलती क्योंकि ये उस समय घर पर थे। दूसरी बार दक्षिण जाने पर ये महाराज शिवाजी के स्वर्गवासी होने पर घर लौटे। साहू के गद्दी पर बैठने पर ये एक बार और दक्षिण गए और वहाँ से एक–दो वर्ष बाद चले आए।[14] भूषण के युग में काव्य–भाषा के रूप में ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा थी। भूषण ने भी अपने युग में प्रयुक्त होने वाली ब्रजभाषा को ही काव्यभाषा के रूप में स्वीकार किया, किन्तु उसका स्वरूप कुछ परिवर्तित कर दिया। ब्रजभाषा का प्रयोग हमेशा से श्रृंगार जेसे कोमल भावों की व्यंजना के लिए किया जाता था। भूषण ने यह महसूस किया कि वीरभाव की व्यंजना के लिए प्रयास किया और ब्रजभाषा को वीररस के अनुकूल ओजस्वी भाषा बना दिया। इसीलिए भूषण के काव्यों में ब्रजभाषा इतनी कठोर और ओजस्वी बन गई कि उसकी सहज सुकुमारता जाती रही।[15] भूषण ने कविता के साथ–साथ ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख भी किया है। इनके अलंकारों में अस्पष्टता दिखलाई पड़ती है।[16]

भूषण ने शिवाजी और छत्रसाल को युग–आदर्श मानकर ही इन्हें अपने काव्य का नायक बनाया। राष्ट्रीयता की भावना उस समय जिस रूप में भी प्रचलित थी, उसे पूर्ण रूप से विकसित करने का श्रेय भूषण को ही है। भूषण ने अपने युग में उत्पन्न अनीति और अत्याचार का खुलकर विरोध किया। वीररस के अतिरिक्त रौद्र, भयानक और वीभत्स रसों का प्रयोग भी भूषण के काव्य में मिलता है। प्रबन्ध व मुक्तक शैली के सफल प्रयोग इनके काव्य में देखे जा सकते हैं।[17] गुलाबराय ने इस विषय में लिखा है – ''भूषण रीतिकाल के कवि अवश्य थे, और उसके प्रमाण में अलंकार–ग्रंथ भी लिखे, किन्तु अलंकार उनके साध्य न थे, वरन् वे उनके भावों के प्रकाशन के लिये साधन मात्र थे। उनके काव्य में उनके हृदय की उमंग का परिचय मिलता है। जैसे देव और मतिराम के हृदय की उमंग श्रृंगार रस के रूप में प्रवाहित हुई थी, उसी प्रकार भूषण के हृदय की हिलोर वीररस में उमड़ पड़ी थी।''[18] श्रृंगार के व्यापक प्रभाव को अतिक्रमण कराके ये अपनी कविता को वीररस की गंगा में स्नान करा सके। यद्यपि उस

वीर–काव्य में परम्परागत रूढ़ियों का और चारण कवियों की उस प्रथा का प्रभावपूर्ण रूप से पालन किया गया है जिसमें ध्वनि को अर्थ से अधिक महत्त्व दिया जाता है और उसकी प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करने के लिए शब्दों को यथेच्छ तोड़ा–मरोड़ा जाता है, फिर भी भूषण की कविता में प्राण है। वह सोये हुए समाज को उद्‌भुद्ध करने की शक्ति रखती है।[19] भूषण का युद्ध वर्णन बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक है। युद्ध के उत्साह से युक्त सेनाओं का रण प्रस्थान युद्ध के बाजों का घोर गर्जन, रणभूमि में हथियारों का घात–प्रतिघात, शूर वीरों का पराक्रम और कायरों की भयपूर्ण स्थिति आदि दृश्यों का चित्रण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है।[20]

निष्कर्ष

इस प्रकार भूषण ने रीतिकालीन परिपाटी से अलग हटकर काव्य रचना की और उसमें पर्याप्त सफलता प्राप्त की। भूषण की रचनाएँ वीर–रस का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करती है। उन्होंने आश्रयदाता की प्रशंसा की नयी शैली विकसित की साथ ही भावों के अनुरूप भाषा और काव्यगत रच–रचनाओं यथा–शैली, छन्द आदि का प्रयोग कर रचना को सशक्त स्वरूप प्रदान किया। हिन्दी की वीरकाव्यधारा का अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भूषण सर्वश्रेष्ठ वीरकाव्य रचयिता हैं। इन्होंने वीरकाव्य की नब्ज को सही अर्थों में पकड़ा और विशुद्ध वीरकाव्य की रचना की। इन्होंने इतिहास प्रसिद्ध शिवाजी और छत्रसाल को अपने वीरकाव्य का नायक बनाया। ये दोनों ही सच्चे वीर थे, जिनके अन्दर राष्ट्रीय भावना कूट–कूटकर भरी हुई थी। इन्होंने काव्य के लिये लोकनायकों का चयन किया इसीलिए इनकी कविता आज भी लोगों को याद रहती है।

संदर्भ सूची

1. गुप्त, मानिक लाल, मध्यकालीन भारत का इतिहास, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2002, पृ0–156
2. गुप्त, जगदीश, रीतिकाव्य–संग्रह, साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद, 1960, पृ0–47
3. शुक्ल, रामचंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, 2016, पृ0–195
4. नगेन्द्र (संपादक), हिंदी साहित्य का इतिहास, मयूर बुक्स, नयी दिल्ली, 2018, पृ0–313
5. गौड़, राजेन्द्र सिंह, हिन्दी भाषा, साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद, 1956, पृ0–164–165
6. अहमद, लईक, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 1976, पृ0–87
7. चौधरी, सत्यदेव, हिन्दी वांङ्मय का विकास, मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास, दिल्ली, 1957, पृ0– 256
8. शुक्ल, रामचंद्र, पूर्वोद्धृत, पृ0–195
9. श्रीवास्तव, आशीर्वादीलाल, मुगलकालीन भारत, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, 1953, पृ0– 346
10. मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद, भूषण, वाणी–वितान, बनारस, 1953, पृ0–107
11. सिंह, ओमप्रकाश, रीतिकाल के प्रमुख कवि और काव्य, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, 2013, पृ0–147
12. मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद, भूषण–ग्रंथावली, साहित्य–सेवक–कार्यालय, काशी, 1993, पृ0–51
13. द्विवेदी, हजारी प्रसाद, हिन्दी साहित्य : उद्‌भव और विकास, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 1985, पृ0–182
14. मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद, भूषण, पूर्वोद्धृत, पृ0–108–109
15. सिंह, ओमप्रकाश, पूर्वोद्धृत, पृ0–158
16. गुलाबराय, हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास, साहित्य–रत्न–भण्डार, आगरा, 1947, पृ0–112
17. अग्रवाल, सुषमा, हिन्दी साहित्य का रीतिकाल, राजस्थान प्रकाशन, जयपुर, 1990, पृ0–131
18. गुलाबराय, पूर्वोद्धृत, पृ0– 106
19. द्विवेदी, हजारी प्रसाद, पूर्वोद्धृत, पृ0–182
20. सिंह, ओमप्रकाश, पूर्वोद्धृत, पृ0–137

वर्तमान में प्रयोगात्मक शोधविधि प्रासंगिक क्यों है?

नितेश कुमार मौर्य
राजकीय महिला महाविद्यालय, समदी, अहिरौला, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश,
सम्बद्ध– वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत,
samratcrimebranch@gmail-com

शोध सारांश

आज समाज में शिक्षा, बेरोजगारी, बढ़ती जनसँख्या के संबंध में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है । जिसके अंर्तगत विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं, शिक्षकों की आत्मसंतुष्टि संबंधी समस्याएं, पाठ्यक्रमों की पुनः निर्माण संबंधी समस्याएं, या विद्यालयी वातावरण संबंधी समस्याएं हों, इन सभी समस्याओं का अध्ययन प्रक्रियात्मक ढंग से वैज्ञानिक शोध द्वारा विभिन्न चरणों में अध्ययन करकें समाधान तक पहुँचाने का प्रयत्न किया जा रहा है । समस्या किसी भी परिस्थिति जैसे– भूत, भविष्य एवं वर्तमान स्वरूप पर आधारित हो सकती है, इन आलग–आलग स्वरूप के समस्याओं के लिए आलग–आलग शोध विधियों जैसे– ऐतिहासिक शोध, क्रियात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध एवं प्रयोगात्मक शोध का अनुप्रयोग होता है । प्रयोगात्मक शोध में किसी व्यवहार एवं मानसिक क्रिया को प्रायोगिक व नियंत्रित परिस्थिति में क्रमबद्ध अध्ययन करके उसके संबंध में भविष्य कथन किया जाता है । जिससे समाज में एक नवीन सत्यापित अथवा प्रमाणित ज्ञान की उत्पत्ति भी होती है । फलस्वरूप इससे प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग समाज एवं राष्ट्र के हित के संदर्भ में किया जाता है । अतः इस शोध आलेख में शोध एवं शोध की प्रयोगात्मक विधि के विभिन्न आयामों पर स्पष्ट प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है ।

मुख्य शब्द *: शिक्षा, समाज, समस्या, शोध, प्रयोगात्मक ।*

परिचय

समाज एवं राष्ट्र का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि, इनमें मौजूद समस्याओं का समाधान खोजा जाए । जिससे की विकास निरंतर होता रहे, जब किसी समस्या की बात आती है तो उसके निष्कर्ष एवं समाधान तक पहुँचने के लिए शोध का सहारा लिया जाता है । क्योंकि शोध के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान संभवतः किया जा सकता है । वर्तमान में, शोधकर्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की समाजिक समस्याओं का समाधान इन्ही शोध विधियों के सहारे प्रस्तुत किये जा रहें है । जिसमें ऐतिहासिक, व्यष्टि अध्ययन, क्रियात्मक, शैक्षिक, वर्णनात्मक एवं प्रयोगात्मक शोध विधियाँ प्रमुख है । इन सभी शोध विधियों के लिए भिन्न–भिन्न समस्या क्षेत्र निर्धारित है अर्थात प्रत्येक समस्या के लिए एक ही शोध विधि का उपयोग नही किया जा सकता है । जैसे–इतिहास संबंधी समस्याओं के लिए ऐतिहासिक विधि, किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिक करना है तो उसके लिए व्यष्टि अध्ययन विधि, तात्कालिक समस्याओं के समाधान एवं सुधार के लिए क्रियात्मक शोध, यदि शिक्षा के किसी भी पहलू (शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षण–विधियाँ, शिक्षण उद्देश्य आदि) का अध्ययन करना हो तो शैक्षिक शोध विधि, वर्तमान में विभिन्न घटनाओं के समाधान के लिए वर्णनात्मक शोध विधि तथा प्रयोग व भविष्यकथन संबंधी किये जाने वाले सभी प्रकार के अध्ययन प्रयोगात्मक शोध विधि के अंतर्गत आते हैं । अर्थात इससे स्पष्ट है कि, समाज में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो सभी के निष्कर्षों एवं समाधान तक शोध के माध्यम से पहुंचा जा सकता है ।

उद्देश्य

इस शोध आलेख के उद्देश्यों को निम्नांकित बिन्दुओं में व्यक्त किये गया है –

1. शोध के विषयवस्तु को स्पष्ट करना ।
2. प्रयोगातात्मक शोध विधि की अवधारणाओं को स्पष्ट करना ।

शोध विधि

इस शोध आलेख में विषयवस्तु शोध विश्लेषण विधि (कंटेंट एनालिसिस रिसर्च मेथड) का उपयोग किया गया है । जिसमें शोधकर्ता द्वारा विषयवस्तु से संबंधित विभिन्न तथ्यों की खोज करके उनकी गहन अध्ययन, समीक्षा एवं विश्लेषण की गयी है ।

क्या है शोध ?

सर्वप्रथम हम यह कहेंगे कि, 'शोध एक प्रकिया है' । यदि कहा जाये कि शोध कैसी प्रक्रिया है ? तो यह, "वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें वैज्ञानिक, नियमों, सिद्धांतों, विधियों, मापदंडों का उपयोग करतें हुए चरणबद्ध तरीके से किसी समस्या के संबंध में उद्देश्यपूर्ण, विवेकपूर्ण एवं तर्कपूर्ण परिकल्पना का निर्माण करके प्रतिदर्शो, उपकरणों की सहायता से सूचनाओं/तथ्यों/प्रद्तों को संग्रहित/संकलित/एकत्रित करके, विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों के द्वारा परिकल्पना की जाँच/परीक्षण करके, धैर्यपूर्ण दृष्टिकोंण से सत्यापित समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, जिससे नवीन वैज्ञानिक एवं प्रमाणित ज्ञान की खोज हो सके" । शोध के विषयवस्तु को और अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से इसके संबंध में दी गयी कुछ परिभाषाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है, यथा–

1. वेब्स्टर (अन्तर्राष्ट्रीय शब्द्कोश), "शोध दीर्घकालीन सघन एवं सादृश्य साधन है, न कि केवल सत्य के लिए खोज मात्र है, इसके माध्यम से सावधानीपूर्वक, निष्ठापूर्वक एवं विवेचनात्मक दृष्टिकोंण से किसी तथ्य, घटना अथवा सिद्धांत को ज्ञात किया जाता है" ।
2. सामाजिक विज्ञानों के ज्ञानकोष, "शोध का उद्देश्य प्रत्ययों, वस्तुओं तथा संकेतों आदि को कुशलता से व्यवस्थित करते हुए सामान्यीकरण के माध्यम से नवीन ज्ञान का विकास, सत्यापन अथवा परिमार्जन करना है, फिर वह ज्ञान चाहे व्यवहार में सहायक हो अथवा कला में हो" ।
3. करलिंगर, "प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में पूर्वकल्पित परिकल्पनात्मक कथनों के विषय में क्रमबद्ध, आनुभविक, नियंत्रित एवं आलोचनात्मक खोज को शोध कहा जाता है ।
4. डब्ल्यू.एस.मुनरों, "शोध अपूर्ण या पूर्ण तथ्यों पर आधारित किसी समस्या का समाधान खोजने की विधि है" ।
5. डॉ.एम. वर्मा, "शोध एक बौद्धिक प्रक्रिया है, जो क्रमबद्ध तरीके से हमारे वर्तमान ज्ञानकोष में वृद्धि करती है, इस प्रकार यह या तो नए तथ्यों अथवा ज्ञान को प्रकाश में लाती है या फिर पुराने भ्रांतियों, धारणाओं एवं त्रुटियों को सही रूप में परिमार्जित करती है" ।
6. मेकग्रेथ एवं वाट्सन, "ऐसी प्रक्रिया जिसमें खोज प्रविधियों का अनुप्रयोग किया जाय, जिससे प्राप्त निष्कर्षों की वर्तमान जीवन में उपयोगिता हो, जिससे ज्ञानकोष में वृद्धि हो सके, प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करे, समाज के विकास में सहायक हो और मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके जिससे कि मनुष्य अपनी एवं सामाजिक समस्याओं का हल कर सकें, अनुसंधान कहलाती है" ।

उपरोक्त परिभाषाओं से शोध की प्रकृति, स्वरूप एवं उद्देश्य के विषय में निम्न बातें स्पष्ट होतीं है, यथा–

1. शोध एक उद्देश्यपूर्ण, क्रमबद्ध, व्यवस्थित, सत्यापित, सुनियोजित, बौद्धिक एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया है ।
2. शोध की प्रकिया कई चरणों में संपन्न होती है, जिसमें समस्या, परिकल्पना, शोध उद्देश्य, शोध प्रविधियां, उपकरण, प्रतिदर्श, विश्लेषण आदि शामिल होतें हैं ।
3. इसमें किसी समस्या का समाधान खोजने में धैर्यपूर्णता एवं विवेकपूर्णता निहित होती है अर्थात शोध की प्रकृति दीर्घकालीक होती है, अथवा शोध एक दीर्घकालीक वैज्ञानिक जाँच/छानबीन है ।
4. इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अथवा निष्कर्षों को वर्तमान व्यावहारिक जीवन में सामान्यीकरण किया जा सकता है ।
5. यह प्रत्ययों, वस्तुओं, तथ्यों एवं किसी समस्या का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध खोज है ।
6. शोध में किसी स्वाभाविक घटना के संबंध में परिकल्पनाओं का निर्माण करके क्रमबद्ध, आनुभविक, नियंत्रित एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोंण से जाँच की जाती है ।
7. शोध किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने की एक विधि है ।
8. यह मनुष्य के ज्ञान भंडार में वृद्धि करने में सहायक है ।
9. शोध का उद्देश्य या तो नए सिद्धांत, तथ्य, विधि, ज्ञान, अथवा वस्तु की खोज की करनी है या फिर प्राचीन/पुराने सिद्धांत, तथ्य, विधि, ज्ञान, अथवा वस्तु में परिवर्तन या परिमार्जन करना है।
10. प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु अथवा अलग–अलग शोध कार्य के लिए शोध की अलग–अलग विधियों एवं प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, जो समस्या के निष्कर्ष तक पहुँचने में सहायक होती हैं ।

शोध के द्वारा किसी समस्या के समाधान विभिन्न चरणों अथवा वैज्ञानिक प्रकियाओं के अनुरूप ही खोजा जाता है । फिर चाहे कोई भी शोध विधि/प्राविधि (ऐतिहासिक, व्यष्टि अध्ययन, क्रियात्मक, वर्णनात्मक, शैक्षिक, एक्स–पोस्ट फैक्टो, प्रयोगात्मक आदि) ही क्यों न हैं । सभी में शोध प्रक्रियाओं/चरणों को आधार मानकर शोध कार्य पूर्ण किये जातें हैं, प्रत्येक चरण का अपना अलग–अलग उद्देश्य होता है । जिनकी मान्यताओं को पूरा किये बिना समस्या के निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता है, शोध के प्रमुख चरणों को लेखाचित्र संख्या–1. में प्रस्तुत किया गया है, यथा–

लेखाचित्र संख्या–1. शोध के प्रमुख चरण या सोपान

शोध प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले शोधकर्ता समस्या का चयन करता है, जिसके आधार पर समाधान खोजा जाता है, समस्या नयी अथवा प्राचीन हो सकती है, जिस पर कुछ शोध कार्य किये जा चुके हों । समस्या का चयन कर लेने के पश्चात् उससे संबंधित पूर्व में हुए शोध कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिससे शोध के दौरान होने वाली विभिन्न कठिनाइयों पता चलता सके । इसके बाद समस्या को एक कथन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसके पश्चात् उसे परिभाषित करते हुए वर्तमान में उसकी उपयोगिता, महत्व एवं आवश्यकता को स्पष्ट किया जाता है । तत्पश्चात शोध के उद्देश्यों का निर्धारण होता है तथा निगमनात्मक तर्कणा के आधार पर शोध के परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है । परिकल्पनाएं शोध को एक दिशा प्रदान करती है, शोध की सम्पूर्ण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु परिकल्पना ही होती है । शोध के उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिकल्पना का निर्माण कर लेने के बाद, शोध उपकरणों (प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, अभिवृत मापनी आदि) की सहायता (सम्पूर्ण जनसँख्या से चयनित प्रतिदर्शों, संभाव्य एवं असंभाव्य प्रतिचयन) से सूचनाओं, आकड़ों, तथ्यों या प्रद्तों को संकलित/एकत्रित अथवा संग्रहित किया जाता है । संग्रहित किये गए आकड़ों को सांख्यिकीय तकनीकों (प्राचलिक एवं अप्रचालिक सांख्यिकीय, टी–टेस्ट,एफ–टेस्ट, कायी स्क्वायर, फैक्टर एनालिसिस आदि) के माध्यम से विश्लेषण एवं व्याख्या करते हुए परिकल्पनाओं की जाँच करतें है । परिकल्पना की जाँच (स्वीकृत अथवा अस्वीकृत) करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है । शोध से प्राप्त निष्कर्षों का व्यावहारिक जीवन में सामान्यीकरण किया जाता है और भविष्य में समस्या से संबंधित होने शोध कार्यों के लिए उपयुक्त सुझाव अथवा सलाह प्रस्तुत किया जाता है (लेखाचित्र संख्या–1. में देखें)। शोध के अनेक विधियां भी हैं, अलग–अलग विषयवस्तु से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में इनका उपयोग होता है । प्रत्येक शोध विधि की अपनी अलग विशेषता, उद्देश्य, महत्व एवं शोध कार्य को पूरा करने हेतु चरण होतें है । शोध की प्रमुख विधियों कों लेखाचित्र संख्या–2. में व्यक्त किया गया है, यथा–

लेखाचित्र संख्या–2. शोध की कुछ प्रमुख विधियां व उनका कार्य

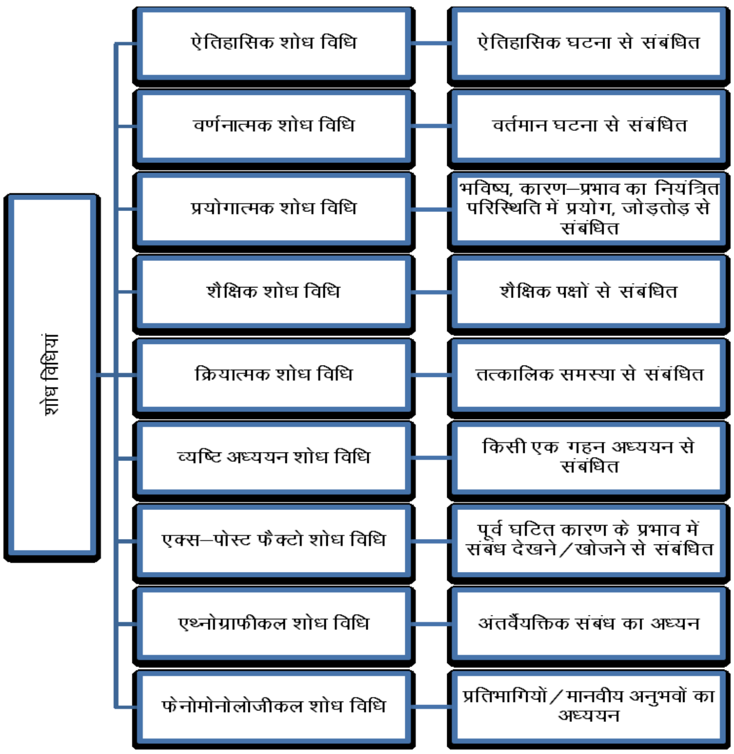

ऐतिहासिक शोध की विधि में अतीत की घटनाओं, तथ्यों, सूचनाओं एवं प्रदत्तों, का संग्रह आलोचनातमक विश्लेषण करके अध्ययन होता है । वर्णनात्मक शोध में वर्तमान घटनाओं, तथ्यों, सूचनाओं एवं प्रदत्तों, का संग्रह करके विश्लेषण किया जाता है । प्रयोगात्मक शोध में नियंत्रित परिस्थिति में चरों में जोड़तोड़ करके उसके प्रभाव का अध्ययन एक–दूसरे चर पर देखा जाता है, यह प्रयोग व भविष्य पर आधारित होता है । शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन शैक्षिक अनुसंधान में किया जाता है, क्रियात्मक शोध विधि में समस्या के तात्कालिक समाधान के संबंध में अध्ययन होता है । व्यष्टि अध्ययन में किसी एक

वस्तु, व्यक्ति अथवा ईकाई का गहन अध्ययन किया जाता है । एक–पोस्ट फैक्टो शोध में पूर्व घटित घटनाओं के प्रभावों को खोजने अथवा देखने का प्रयास किया जाता है । एथ्नोग्राफीकल में समाजिक परिपेक्ष्य में विभिन्न व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और फेनोमोनोलोजीकल शोध विधि में, शोध में सम्मिलित प्रतिभागियों के मानवीय अनुभवों का अध्ययन किया जाता है (लेखाचित्र संख्या–2. में देखें) ।

क्या है प्रयोगात्मक शोध ?

यह विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ विधि है, जिसमें शोध अध्ययन 'प्रयोग, नियंत्रण, जोड़–तोड़ एवं भविष्य' आधारित होता है । "इसमें आश्रित चर को प्रभावित करने वाले सभी 'बाह्य चरों' या 'प्रासंगिक चरों' (जिनका संबंध अध्ययन से नहीं होता है फिर भी आश्रित चर पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं) कों (चरों की नियंत्रण विधियों के द्वारा) नियंत्रण में रखतें हैं, और 'स्वतंत्र चरों' या 'अनाश्रित चरों' में आवश्यकतानुसार 'जोड़–तोड़' अथवा 'सक्रीय प्रहस्तन' करके विभिन्न दशाओं में उसकाप्रभाव देखने के लिए 'आश्रित चर' का मापन करतें हैं, तथा दोनों (स्वतंत्र एवं आश्रित चरों) के बीच प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित करतें हैं । इसमें कारण एवं प्रभाव के संबंधों का अध्ययन होता है"। जिसमें शोधकर्ता निम्न दो सिद्धांतों की स्थापना करने का प्रयास करता है (इस स्थिति में यह मौलिक/मूलभूत/विशुद्ध शोध के अंर्तगत आता है) । पहला, यदि कारण है तो उसका प्रभाव भी होगा, यह आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं, तथा दूसरा, यदि कारण नहीं कारण नहीं है तो उसका प्रभाव भी नहीं होगा, यदि कारण नहीं है फिर भी प्रभाव है तो इसका अर्थ यह होता है कि, प्रभाव के जिस कारण की हम अपेक्षा कर रहें थें वह कारण नहीं है । इसकी सम्पूर्ण गतिविधियां या परिस्थितियां नियंत्रित होती है, जिसके कारण इस शोध से प्राप्त निष्कर्षों कों वास्तविक जीवन/जनसंख्या में सामान्यीकरण करना संभव नहीं होता है । इसकी अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम इसके कुछ प्रमुख परिभाषाओं को प्रस्तुत कर रहें हैं, यथा–

1. आइजनेक व अन्य, "इसमें चरों को योजनानुसार घटा–बढ़ाकर उनका प्रेक्षण करतें हैं, अर्थात इसमें कम–से–कम स्वतंत्र चर को पूर्वनिश्चित परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित करके उसका निरीक्षण करतें हैं ।
2. मार्गन, किंग तथा राबिन्सन, "इसके निष्कर्ष कृतिम प्रायोगिक परिस्थिति से प्राप्त होतें हैं, जिसका सामान्यीकरण स्वाभाविक अथवा वास्तविक परिस्थिति के व्यवहारों में नहीं किया जा सकता है ।
3. एटकिंसन एवं हिलगार्ड, "चरों पर कठोर नियंत्रण करने की क्षमता ही प्रयोगात्मक विधि को अन्य विधियों से करती है ।
4. एडवर्ड्स, "जब किसी शोध समस्या के संबंध में शोधकर्ता प्रत्यक्ष रूप से कुछ चरों पर नियंत्रण अथवा उसमें हेर–फेर स्थापित करता है, तो इस शोध प्रक्रिया को प्रयोगात्मक विधि कहतें हैं ।

उपरोक्त परिभाषाओं से प्रयोगात्मक शोध की प्रकृति, स्वरूप एवं उद्देश्य के विषय में निम्न बातें स्पष्ट होतीं है, यथा–

1. प्रयोगात्मक अनुसंधान सदैव नियंत्रित परिस्थिति में होता है ।
2. इस अनुसंधान में प्रयोग, नियंत्रण एवं भविष्य के आधार पर नवीन सिद्धांतों की स्थापना होती है ।
3. इसमें चर संबंधी अध्ययन 'कारण–प्रभाव की दृष्टिकोंण' से किये जातें हैं ।
4. इस शोध अध्ययन में मुख्य तीन प्रकार के चरों का विश्लेषण होता है ।
5. इसमें पहला–बाह्य चर, दूसरा–स्वतंत्र चर और तीसरा–आश्रित चर शामिल है ।
6. बाह्य चर (जिनका संबंध शोध से नहीं होता है फिर भी वे आश्रित चर को प्रभावित करतें है) को नियंत्रण में रखा जाता है ।
7. स्वतंत्र चर (जिसका प्रभाव आश्रित चर पर देखना रहता है) में जोड़तोड़ या परिवर्तन किया जाता है ।
8. आश्रित चर (स्वतंत्र चर के पड़ने वाले प्रभाव) का प्रेक्षण/निरीक्षण/अवलोकन किया जाता है ।
9. इससे प्राप्त निष्कर्षों का वास्तविक जीवन/जनसंख्या पर सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है ।
10. इस शोध विधि में कठोर नियंत्रण परिस्थिति होने के कारण प्राप्त निष्कर्षों में आंतरिक वैधता अधिक तथा बाह्य वैधता कम पायी जाती है ।

वास्तव में, प्रयोगात्मक अनुसंधान पूर्णरूप से 'वैज्ञानिक शोध' है, जिसके निष्कर्ष 'वैज्ञानिक एवं विशुद्ध' प्राप्त होतें हैं । इसकी प्रमुख कसौटियों एवं विशेषताओं की यदि बात की जाय तो, एक वैज्ञानिक विधि होने के कारण इसकी कसौटी/आधार वही है जो वैज्ञानिक विधि की होती है, (पहला)–वस्तुनिष्ठता, (दूसरा)–सत्यापन क्षमता, (तीसरा)–निश्चयात्मता एवं (चौथा)–भविष्य कथन क्षमता । इसमें शोध अध्ययन नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है, जिसमें चरों में जोड़–तोड़ अथवा परिवर्तन किया जाता है । क्योंकि किसी भी चर में आवश्यकतानुसार जोड़–तोड़ करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी बाह्य चरों को

नियंत्रण में रखा जाय । बिना नियंत्रण किये किसी भी चर में परिवर्तन अथवा प्रहस्तन करने से अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त हो सकतें हैं । इस आधार पर इसकी चार प्रमुख विशेषताओं को चित्रालेख संख्या–3 में प्रस्तुत किया गया है, यथा–

चित्रालेख संख्या–3. प्रयोगात्मक शोध विधि की प्रमुख विशेषताएं

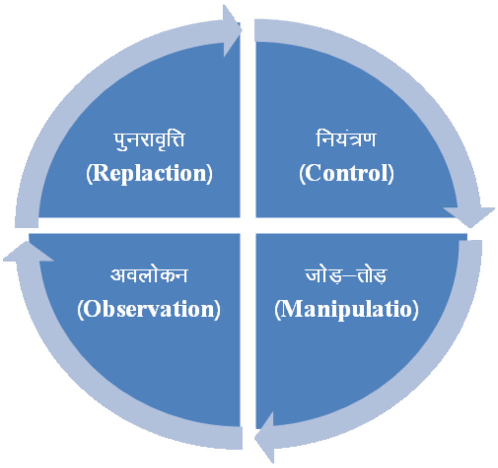

इस शोध में स्वत्रंत चर में जोड़–तोड़ करके उसका प्रभाव आश्रित चर पर देखकर कारण–प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है । शोध के दौरान कुछ ऐसे भी चर होतें है जिनकी उपस्थिति से आश्रित चर प्रभावित होता है । इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उन चरों कों नियंत्रित किया जाए, जिनका शोधकार्य से कोई संबंध नहीं है । उन्हें नियंत्रित करने के लिए चरों की नियंत्रण की (यादृच्छिकरण–रैंडमाइजेशन, निरसन / विलोपन–ईलीमिनेशन, समेलन–मैचिंग, प्रतिसंतुलन–काउंटरबैलेंस) विधियों का उपयोग किया जाता । इसके पश्चात् नियंत्रित दशाओं में ही स्वतंत्र चर में जोड़–तोड़ करके उसके प्रभाव का मापन आश्रित चर पर किया जाता है। आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव को सीधे नहीं देखा जा सकता है, इन्हें अवलोकित या प्रेक्षित करके ही देखा जा सकता है । जैसे– शैक्षिक उपलब्धि आश्रित चर है, परन्तु इस पर पड़ने वाले प्रभाव को सीधे नही देखा जा सकता, इसे परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के अवलोकन के आधार पर देखा जा सकता है । प्रयोगात्मक शोध से प्राप्त परिणामों की वैधता एवं विश्वसनीयता पुनरावृत्ति के माध्यम से एक निश्चित सीमा तक बढ़ाई जा सकती है ।

निष्कर्ष

शोध एक वैज्ञानिक प्रकिया है, जिसमें किसी स्पष्ट समस्या अथवा प्रश्न पर अध्ययन किया जाता है एवं अंत में उसके निष्कर्ष पर पहुंचा जात है । जिससे नवीन वैज्ञानिक एवं सत्यापित ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसके आधार पर समाज का विकास सुनिश्चित होता है । शोध की विभिन्न विधियाँ है जिनका अनुप्रयोग समाज के विभिन्न क्षेत्रों अथवा विषयों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है । प्रयोगात्मक शोध इसकी एक विधि है, जिसमें अध्ययन **'पूर्णतया वैज्ञानिक एवं नियंत्रित परिस्थिति'** में होता है । निष्कर्ष रूप में हम कह सकतें हैं कि, अनुसंधान एवं इसकी विभिन्न विधियों का उपयोग किसी भी मानव निर्मित अथवा प्राकृतिक या स्वाभाविक समस्या का समाधान समाज व राष्ट्र के विकास और उन्नति के दृष्टिकोंण से किया जाना चाहिए । क्योंकि समाज में शिक्षा समेत रोजगार, चिकित्सा, व्यवसाय संतुष्टि, पर्यावरण एवं मानवीय मूल्यों में गिरावट संबंधी अनेक समस्याएं आज भी हमारे सामने मौजूद है, जिनपर शोध करके समाधान एवं सुझाव प्रस्तुत करना अतिआवश्यक है जिससे कि, राष्ट्र प्रगति कर सके ।

संदर्भ सूची

1. सिंह, उदयभानु, (1962), "अनुसंधान का विवेचन"हिंदी साहित्य संसार, दिल्ली–6, पटना–4, वागश्वरी प्रकाशन, जगदीशपुर, जौनपुर, पृष्ठ संख्या– 10–21
2. दिनेश, डॉ राम गोपाल शर्मा, (1994), "अनुसंधान : स्वरूप एवं प्रविधि", राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, विद्यालय मार्ग, तिलक नगर, जयपुर, पृष्ठ संख्या– 1–11
3. आहूजा, राम, (2010), "सामाजिक अनुसंधान", रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृष्ठ संख्या– 2–32
4. लवानिया, डॉ एम.एम. एवं जैन.प्रो. बी. एम., "सामाजिक अनुसंधान विधियाँ एवं क्षेत्र प्रविधियाँ", रिसर्च पब्लिकेशन इन सोसल साइंसेस, न्यू दिल्ली–2, जयपुर–2, पृष्ठ संख्या– 3–12
5. शर्मा, हरिओम, (जुलाई–दिसम्बर, 2013), "शोध में शोध विधियों का महत्व–एक अध्ययन", साईनाथ

यूनिवर्सिटी, रांची, झारखण्ड, भारत, International Journal of Education and Applied Research, Vol. 3, Issue 2, ISSN: 2348-0033 (Online) ISSN : 2249-4944 (Print).
6. खत्री, हरीश कुमार, (2016), "शोध प्रविधि", कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, में https://content.kopykitab.com/ebooks/2016/10/9061/sample/sample_9061.pdfसे 21 फरवरी 2021 को लिया गया ।
7. रिसर्च मेथड, भूगोल, एम.ए.–4, जीईओजी–404, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विश्वविद्यालय, रांची, में http://www.dspmuranchi.ac.in/pdf/Blog/Research%20Methods.pdfसे 21 फरवरी 2021 को लिया गया ।
8. सामाजिक अनुसंधान विधि और कंप्यूटर अनुप्रयोग, एम.ए. समाजशास्त्र, एमएएसओ–103, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश, में https://ccsuniversity.ac.in/bridge-library/pdf/MASO-103-Meaning%20&%20Purpose%20of%20Social%20Research.pdfसे 21 फरवरी 2021 को लिया गया ।
9. समाज कार्य अनुसंधान एवं सांख्यिकीय, एमएसडब्ल्यू–04, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, में http://assets.vmou.ac.in/MSW04.pdf से 22 फरवरी 2021 को लिया गया ।
10. शैक्षिक अनुसंधान प्रणाली एवं सांख्यिकी, शिक्षाशास्त्र, एम.ए. प्रथम वर्ष, डीईडीयू–404, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब, में https://ebooks.lpude.in/arts/ma_education/year_1/DEDU404_METHODOLOGY_OF_EDUCATIONAL_RESEARCH_AND_STATISTICS_HINDI.pdfसे 22 फरवरी 2021 को लिया गया ।
11. योग में अनुसंधान एवं सांख्यिकी, एमवाई–105, उत्तराखंड खुला विश्वविद्यालय, उत्तराखंड, में https://uou.ac.in/sites/default/files/slm/MY-105.pdfसे 22 फरवरी 2021 को लिया गया ।
12. अनुसंधान विधि, बी.ए. द्वितीय वर्ष, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक–124001, में http://mdudde.net/pdf/study_material_DDE/ba/BA%20II/Sociology-Research%20Methodology.pdfसे 22 फरवरी 2021 को लिया गया ।
13. प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या है?, स्कॉटबज्ज, में https://www.scotbuzz.org/2017/09/prayogatmak-anusandhan.html से 22 फरवरी 2021 को लिया गया ।
14. प्रयोगात्मक विधि का अर्थ, परिभाषा एवं गुण दोष, कैलाश एजुकेशन, में https://www.kailasheducation.com/2020/02/prayogatmak-vidhi-arth-paribhasha-gun-dosh.html से 22 फरवरी 2021 को लिया गया ।
15. Andersen, K., & Clevenger Jr, T. (1963). A summary of experimental research in ethos. Communications Monographs, 30(2), 59-78.
16. Bagozzi, R. P. (1977). Structural equation models in experimental research. Journal of Marketing Research, 14(2), 209-226.
17. Bänziger, T., Mortillaro, M., & Scherer, K. R. (2012). Introducing the Geneva Multimodal expression corpus for experimental research on emotion perception. Emotion, 12(5), 1161.
18. Bausell, R. B., & Li, Y. F. (2002). Power analysis for experimental research: a practical guide for the biological, medical and social sciences. Cambridge University Press.
19. Best, J. R. (2010). Effects of physical activity on children's executive function: Contributions of experimental research on aerobic exercise. Developmental review, 30(4), 331-351.
20. Chmielewski, A., Gumiński, R., Radkowski, S., & Szulim, P. (2015). Experimental research and application possibilities of microcogeneration system with Stirling engine. Journal of Power Technologies, 95(5).
21. Clevenger Jr, T. (1959). A synthesis of experimental research in stage fright. Quarterly Journal of Speech, 45(2), 134-145.
22. Cot-Gores, J., Castell, A., & Cabeza, L. F. (2012). Thermochemical energy storage and conversion: A-state-of-the-art review of the experimental research under practical conditions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(7), 5207-5224.
23. Daamen, W., & Hoogendoorn, S. P. (2003). Experimental research of pedestrian walking behavior. Transportation research record, 1828(1), 20-30.
24. Dechenaux, E., Kovenock, D., & Sheremeta, R. M. (2015). A survey of experimental research on contests, all-pay auctions and tournaments. Experimental Economics, 18(4), 609-669.
25. Druckman, J. N., Green, D. P., Kuklinski, J. H., & Lupia, A. (2006). The growth and development of experimental research in political science. American Political Science Review, 100(4), 627-635.

26. Eicke, K. E. (1969). Experimental research in Germany. Journal of Research in Music Education, 17(1), 152-156.
27. Ferrier, D., & Turner, W. A. (1898). I. An experimental research upon cerebro-cortical afferent and efferent tracts. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Containing Papers of a Biological Character, (190), 1-44.
28. Gerber, J., & Wheeler, L. (2009). On being rejected: A meta-analysis of experimental research on rejection. Perspectives on Psychological Science, 4(5), 468-488.
29. Gersten, R., Fuchs, L. S., Compton, D., Coyne, M., Greenwood, C., & Innocenti, M. S. (2005). Quality indicators for group experimental and quasi-experimental research in special education. Exceptional children, 71(2), 149-164.
30. Hafer, C. L., & Begue, L. (2005). Experimental research on just-world theory: problems, developments, and future challenges. Psychological bulletin, 131(1), 128.
31. Hörstadius, S., & Hörstadius, S. O. (1950). The neural crest: its properties and derivatives in the light of experimental research. Oxford University Press.
32. Kagel, J. H. (2020). 7. Auctions: A Survey of Experimental Research (pp. 501-586). Princeton University Press.
33. Lelea, D., Nishio, S., & Takano, K. (2004). The experimental research on microtube heat transfer and fluid flow of distilled water. International journal of heat and mass transfer, 47(12-13), 2817-2830.
34. Li, X. L., Luo, M., & Wang, J. (2014). Experimental research on flexural toughness of green high performance fibre reinforced cementitious composites. Materials Research Innovations, 18(sup2), S2-43.
35. Li, X., Li, X., Li, Z., Ma, M., Wang, J., Xiao, Q., ...& Ren, H. (2009). Watershed allied telemetry experimental research. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 114(D22).
36. Libby, R., Bloomfield, R., & Nelson, M. W. (2002). Experimental research in financial accounting. Accounting, organizations and society, 27(8), 775-810.
37. Lipsey, M. W., & Aiken, L. S. (1990). Design sensitivity: Statistical power for experimental research (Vol. 19). sage.
38. Lovelace, M. K. (2005). Meta-analysis of experimental research based on the Dunn and Dunn model. The Journal of Educational Research, 98(3), 176-183.
39. Maines, L. A., & Wahlen, J. M. (2006). The nature of accounting information reliability: Inferences from archival and experimental research. Accounting Horizons, 20(4), 399-425.
40. Nadler, D. A. (1979). The effects of feedback on task group behavior: A review of the experimental research. Organizational Behavior and Human Performance, 23(3), 309-338.
41. Nekliudova, E. A., Semenov, A. S., Melnikov, B. E., & Semenov, S. G. (2014). Experimental research and finite element analysis of elastic and strength properties of fiberglass composite material. Magazine of Civil Engineering, (3).
42. Peng, Q., Berg, K., Moan, J., Kongshaug, M., & Nesland, J. M. (1997). 5-Aminolevulinic acid-based photodynamic therapy: principles and experimental research. Photochemistry and photobiology, 65(2), 235-251.
43. Redfield, D. L., & Rousseau, E. W. (1981). A meta-analysis of experimental research on teacher questioning behavior. Review of educational research, 51(2), 237-245.
44. Renliang, S., Yao, B., Pengcheng, H., Yongwei, S., & Xiang, G. (2017). Experimental research on failure criteria of freshwater ice under triaxial compressive stress. 力学学报, 49(2), 467-477.
45. Ross, S. M., & Morrison, G. R. (2013). Experimental research methods. In Handbook of research on educational communications and technology (pp. 1007-1029). Routledge.
46. Rubin, J. Z. (1980). Experimental research on third-party intervention in conflict: toward some generalizations. Psychological bulletin, 87(2), 379.
47. Ruzhylo, Z., Bulgakov, V., Adamchuk, V., Bondarchuk, A., Ihnatiev, Y., Krutyakova, V., & Olt, J. (2020). Experimental research into impact of kinematic and design parameters of a spiral potato separator on quality of plant residues and soil separation.
48. Schaie, K. W. (1977). Quasi-experimental research designs in the psychology of aging. Handbook of the psychology of aging, 1, 39-69.
49. Sharp, D., Cole, M., Lave, C., Ginsburg, H. P., Brown, A. L., & French, L. A. (1979). Education and cognitive development: The evidence from experimental research. Monographs of the society for research in child development, 1-112.
50. Sprinkle, G. B. (2003). Perspectives on experimental research in managerial accounting. Accounting, Organizations and Society, 28(2-3), 287-318.
51. Srinagesh, K. (2006). The principles of experimental research. Butterworth-Heinemann.
52. Tian-Shou, M., & Ping, C. (2014). Mathematical model and physical experimental research for pressure response of formation testing while drilling. Chinese Journal of Geophysics, 57(7), 2321-2333.
53. Trusca, D., Soica, A., Benea, B., & Tarulescu, S. (2009). Computer simulation and experimental research of the vehicle impact.

54. Wang, W. T., Wang, B., & Wei, Y. T. (2014, January). Examining the impacts of website complexities on user satisfaction based on the task-technology fit model: An experimental research using an eyetracking device. In 18th Pacific Asia Conference on Information Systems, PACIS 2014.
55. Wilson, S. K. (1914). An experimental research into the anatomy and physiology of the corpus striatum. Brain, 36(3-4), 427-492.
56. Xiao-Feng, Y. I., Peng-Fei, L. I., Jun, L. I. N., Qing-Ming, D., Chuan-Dong, J., & Tong, L. (2013). Simulation and experimental research of MRS response based on multi-turn loop. Chinese Journal of Geophysics, 56(7), 2484-2493.
57. Yue, K., Wang, L., Xia, J., Zhang, Y., Chen, Z., & Liu, W. (2019). Experimental research on mechanical properties of laminated poplar wood veneer/plastic sheet composites. Wood and Fiber Science, 51(3), 320-331.

उदय प्रकाश की कहानियों में स्त्री जीवन और मानव मूल्य

ममता[1] व रेणु चाँदला[2]
[1,2]हिन्दी विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक
narender.vats85@gmail.com

स्त्रियों का जीवन सदैव ही चुनौती भरा रहता है, उन्हें एक ओर अपने पारिवारिक वातावरण के अनुकूलित कर्त्तव्यों का पालन करना होता है, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान समय में अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण निपुणता के साथ कार्य सम्पन्न करना होता है। यह भी सर्वविदित है कि स्त्रियाँ धैर्य एवं त्याग का प्रतिरूप होती हैं, परंतु आधुनिक समय में वह अपनी अर्न्तनिहित इच्छाओं को चाहकर भी पूर्णता त्याग नहीं पाती हैं, जिससे उनका जीवन किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है और मानव मूल्य नवीन आकार ले लेते हैं।

मूल्यों पर आधारित भारतीय संस्कृति आज भी अपनी अलग पहचान बनाये हुए है, साथ ही प्रकृति ने स्वभाववश ही स्त्री को करूणा, स्नेह, संवेदना, सामंजस्य व सहिष्णुता आदि गुणों से संवारा है। आज स्त्री घर में ही नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया में भी आधिपत्य स्थापित कर रही हैं। आज के समय में हमारी जीवन शैली कार्य व्यस्तता के कारण परिवर्तित हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों में न केवल शाीरिक अपितु उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ा है।

कहानी विधा की दृष्टि से उदय प्रकाश जी ने कहानी के नये प्रतिमान गढ़े हैं। वे कहानियों को निश्चित बंधी–बंधायी इमेज से तोड़कर एक नये स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं। वे अपनी कहानियों में स्त्री जीवन, इतिहास–कल्पना, मिथ–यथार्थ एवम् स्मृति संवेदना का इस प्रकार संयोजन रखते है जहाँ कथा तत्व और सामाजिक चिंतन दोनों फलीभूत होते है। ''उदय प्रकाश अपने समय के एक जरूरी कहानीकार के रूप में सामने आते हैं। एक ऐसा कहानीकार जो कहानी में सच–झूठ का संश्लिष्ट गुम्फन कहानी की संवेदना के साथ करते हुए, दास्तानों और किस्सों की भाषा से गल्प का शिल्प निर्मित करते हैं। ऊपर से देखने पर तो वे सामान्य सी कहानियाँ लग सकती हैं, लेकिन गहराई से देखें तो अपने समय के जरूरी सवालों से टकराने वाली बड़ी चिंताओ की कहानी है।''[1]

उदय प्रकाश की कहानियों में स्त्री–जीवन से संबंधित समस्याओं तथा त्रासदियों का चित्रण विशेष रूप से मिलता है। उदय प्रकाश का स्त्रीवाद भारतीय परिवेश के अनुकूल नारी जीवन की प्रवृत्तियों से सम्बन्धित है। उदय प्रकाश जी ने अधिकारों के प्रति जागरूक स्त्री, यौन शोषण, भ्रूण हत्या से पीड़ित स्त्री, विद्रोही, स्वाभिमानी व स्वावलंबन आदि अनेक रूपों में परिस्थिति के अनुरूप अपनी कहानियों के माध्यम से यथार्थ एवं सटीक चित्रण किया गया है।

स्त्रीवाद एक अवधारणा है। 'स्त्रीवाद' शब्द Feminism (फेमिनिस्म) शब्द का हिंदी अनुवाद है। इसका अर्थ है 'नारी का अधिकारवाद'। स्त्रीवाद का लक्ष्य स्त्रियों के अधिकारों को समझाना और समर्थन करना है। सभी बंधनों से यानी, सामाजिक पराधीनता, विश्वासों, आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं के बंधन से नारी को मुक्ति दिलाना ही नारी मुक्ति का लक्ष्य था। मानव के आरम्भ से अब तक नारी की स्थिति शोषित थी, या स्त्री शोषण की शिकार थी। शोषित नारी को जागृत कराने के लिए 'महिला जागरण युग' भी मनाया गया।

सुमन राजे के अनुसार स्त्रीवाद ''शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से स्त्रियों का दमन करने वाले पुरूषों से अपनी रक्षा करते हुए और साथ ही स्त्रियों को दबाकर रखने की पुरूषों में बद्धमूल दुष्प्रवृति की उन्मूलन विधियों का अन्वेषण करने वाली चेतना ही स्त्रीवाद है।''[2]

'फेमिनिस्ट स्टडी सर्किल' के स्त्रीवाद का अर्थ है ''समाज में और परिवार में तथा काम में शिकार होने वाली स्त्रियों के दमन को तथा लूट को समझकर, उस स्थिति को बदलने के लिए स्त्रियों एवं पुरूषों के द्वारा अमल किये जाने वाले चेतनामय कार्यक्रम।''[3]

उदय प्रकाश जी ने 'मैंगोसिल' कहानी में शोभा नामक पात्र जोकि अपने पति रमाकान्त द्वारा यौन–शोषण का शिकार बनती है। उसका पति उसे दरोगा, बिल्डर आदि से यौन सम्बन्ध बनाने को मजबूर करता है। शोभा इतनी दुखी है कि वह अपने साथ होने वाले अन्याय के बारे में चंद्रकांत नामक ड्राईवर को बताती है। वह चंद्रकांत के साथ भाग कर इन सभी पीड़ाओं से स्वतंत्रता चाहती है।

''अगली पार्टी में जब दरोगा, बिल्डर और रमाकान्त मच्छी का पकौड़ा खाने और शराब पीने में व्यस्त थे, शोभा चंद्रकात को खाना देने के बहाने कार के अन्दर घुस गयी और उसने चन्द्रकांत को अपनी जाँघें, पीठ, छाती, गला दिखाते हुए कहा, ''बाकी तो मैं अभी इधर नहीं दिखा सकती। लेकिन जान लो, मैं मर जाऊँगी किसी रोज। तुम मेरे को कैसे भी बचा लो। मैं तुम्हारे कपड़े धो दिया करूँगी। रोज खाना बनाऊँगी और भाँडे–बरतन माँजूँगी। तुम्हारी कमाई जब नहीं होगी, तो मैं तुम्हारे लिए कमाऊँगी।''[4]

उदय प्रकाश जी ने ''मोहन दास'' नामक कहानी में 'कस्तूरी बाई' नामक स्त्री पात्र का चित्रण किया है, जो प्रत्येक परिस्थिति में अपने पति का साथ देती है। यह उसका स्वावलम्बन ही है, जो वह मोहनदास के परिवार का कठिन परिस्थिति में भरण–पोषण करती है।

''ससुराल आते ही कस्तूरी ने घर का सारा काम ही नहीं संभाला बल्कि आस–पास छोटी–मोटी मजदूरी करके कुछ रूपये भी कमाना शुरू किया, जिससे मोहनदास की पढ़ाई का खर्च निकल सके।''[5]

''बिसनाथ ने पुलिस इंस्पेक्टर विजय तिवारी से मिलकर थाने के सिपाहियों को खिला–पिला रखा है। उन्होनें मोहनदास की पीट–पीट कर उसके हाथ–पैर तोड़ डाले है। वह चल फिर नहीं पाता। उसकी मां पुतली बाई भी चार रोज पीछे कुएं में गिर कर मर गई। कस्तूरी हाड़ तोड़ मजदूरी करके किसी तरह चूल्हे की आग जिंदा रखे हुए है।''[6]

उदय प्रकाश जी की 'और अंत में प्रार्थना' कहानी में तौफीक अहदम की अम्मा नामक पात्र का स्वावलम्बन चित्रित किया गया है। ''तौफीक अहमद की अम्मा खुद काँच के बक्से में चूड़ियाँ, बालियाँ, काजल, कंघी–काँटे जैसी स्त्रियों के श्रृंगार की चीजें लेकर गाँवों में जाकर बेचती थी।''[7]

'वारेन हस्टिंग्स का साँड' में चोखी नामक स्त्री पात्र जोकि वारेन हस्टिंग्स नामक अंग्रेज जनरल के साथ अवैध सम्बन्ध में रहती है, लेकिन जब बात अपने देश पर आती है, तो वही स्त्री अपने विद्रोही स्वर में वारेन हस्टिंग्स से प्रतिवाद करती है –

''दूर हट साहब!'' चोखी की आवाज बदल गयी थी – ''किसी ने ऐसा इसलिए नहीं किया, क्योंकि कोई इस मुलुक को मिटाना नहीं चाहता था। हमारे यहाँ जिसको मारना होता है, उसका बेसन का पुतला बनाकर उसे तलवार से काटते है। जैसे–जैसे पुतला कटता जाता है, वह आदमी जिसका प्रतिरूप यह पुतला होता है, वह भी कटता जाता है। फिर पुतले को आग में डाल देते है। भसम कुण्ड में।''[8]

''छप्पन तोले का करधन'' कहानी में दादी नामक पात्र अपने बेटे–बहुओं से उपेक्षित जीवन व्यतीत करती है। सब उसको करधन के लिए परेशान करते हैं। दादी रोते हुए बोली – ''अभी तो बेटा, बहू दाल–भात ड्यौढ़ी पर रख जाती है, करधन मैंने दे दिया तो फिर कौन–सी आस रह जाएगी? करधन हो कि न हो, वह मेरे लिए और तुम सबकी आस के लिए जरूरी है बेटा।''[9]

उदय प्रकाश जी ने कहानी 'पीली छत्तरी वाली लड़की' में एक विदेशी छात्रा के साथ हुए यौन शौषण का चित्रण अत्यंत मार्मिक ढ़ंग से किया है – ''पिछले साल मारीशस से आई एक छात्रा को कुछ लोकल गुंडे उठाकर ले गये थे और बलात्कार करने के बाद उसको मार कर उसकी लाश तलहटी की एक पुलिया के नीचे फेंक दी थी।''[10]

नारी को सदियों से रूढ़ियों ने दबाकर रखा है, उसे समाज ने सदा ही कमजोर समझा है, परंतु वर्तमान में शिक्षा के बढ़ते प्रसार के कारण स्त्री की दशा में निरंतर सुधार देखा जा सकता है। उदय प्रकाश जी ने अपनी कहानियों में दर्शाया है कि स्त्री किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करती है। वह अपने मूल्यों को सहेज कर अपना जीवन व्यतीत करती हैं।

'दरियाई घोड़ा' नामक कहानी संग्रह की कहानी 'टेपचू' में अब्बी की औरत फिरोजा जोकि युवास्था में है। उसकी युवावस्था में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है तभी उसके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूटता है। वह सुंदर है, इसलिए बड़े घरानों के लड़के उसके साथ दुराचार करने की फिराक में रहते हैं, लेकिन वह इसके विपरीत अपने मूल्यों, संस्कारों की रक्षा करती हुई बहुत ही स्वाभिमानी होकर अपना जीवन व्यतीत करती है। वह खेतो में मजदूरी करती है। घर–घर जाकर काम करके अपना तथा अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। इतनी कठिन परिस्थिति में भी वह अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करती है– ''एक साल गुजरते–गुजरते हाड़–तोड़ मेहनत ने फिरोजा की देह को झिंझोड़कर रख दिया। वह बुढ़ा गयी। उसके बाल उलझे हुए, सुखे और गंदे रहते। कपड़ों से बदबू आती। शरीर मैल–पसीने और गर्द से चीकट रहा करता। वह लगातार काम करती रही।''[11]

भारतीय समाज में स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु ही समझा जाता रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले भारतीय समाज में स्त्रियों का उस स्तर पर शोषण किया जाता है, जहाँ उसकी जड़े मजबूत होती दिखाई देती हैं। स्त्रियों के विकास एवं सशक्तिकरण को आर्थिक निर्भरता से जोड़कर देखा गया है, लेकिन उस देश में स्त्री सशक्त कैसे होगी, जहाँ उसे कार्यस्थल पर भी यौन शोषण, प्रताड़ना और बलात्कार का सामना करना पड़ता हो। कार्य स्थल पर यौन शोषण की पीड़िता या इसका विरोध करने वाली स्त्री को शारीरिक और मानसिक रूप से आघात पहुँचने के साथ–साथ, बार–बार बलात्कार होने के भय, कैरियर में रूकावट और कम वेतन सहित कई नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ता है।

उदय प्रकाश की 'और अंत में प्रार्थना' कहानी संग्रह की लघु कहानी 'सायरन' में कार्यक्षेत्र पर सुहासिनी नामक स्त्री पात्र को यौन प्रताड़ित होना पड़ता है। ''शिक्षा सचिव ग्यारह बजे ही उनके फ्लैट पर बोतल

लेकर पहुँच गए थे, जबकि सुहासिनी ने उन्हें आज आने से मना किया था। वे जिद्द करके सुहासिनी को पिलाना चाहते थे और उनकी इच्छा थी कि सुहासिनी पूर्व कुषाणकालीन पोशाक में उनके सामने ओडिसी करे।''[12]

'मैंगोसिल' कहानी संग्रह की कहानी 'दिल्ली की दीवार' में सुषमा जोकि कुँवारी लड़की है, उसके सम्बन्ध रामनिवास नामक विवाहित पुरूष से बन जाते हैं। दोनों के अवैध सम्बन्धों के कारण सुषमा के पेट में गर्भ ठहर जाता है, लेकिन समाज में लोक लज्जा के कारण उस बच्चे की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है –

''सुषमा जब कुछ दिनों के बाद रामनिवास के साथ सोने लगी और बाद में उसके बच्चा भी ठहरा, जिसे उन्होनें नाहरपूर के मित्तल क्लीनिक में गिरवाया।''[13]

स्त्री जीवन के विविध रूपों में मातृत्व रूप सर्वोपरि है, जिसका विमुग्ध वर्णन उदय प्रकाश के कथाख्यानों में मौजूद है, 'मैंगोसिल' कहानी में ''शोभा को लग रहा था जैसे उसकी देह की, अनगिनत शिराएँ उसके फूले हुए दोनों स्तनों की ओर बहने वाली असंख्य अदृश्य नदियों में बदल गयी हैं उसकी देह एक धीमी सनसनाहट में काँप रही थी उसके शरीर की करोड़ो कोशिकाओं और नदियों में कोई एक ऐसा रहस्यपूर्ण संगीत बज रहा था, जो रक्त के दूध में बदलने का अलौकिक आदिम संगीत होता है .... और जिसे इस पृथ्वी पर कोई और नहीं, सिर्फ स्त्री ही सुनती और जानती है।''[14] उदय प्रकाश के 'मूंगा धागा और आम का बौर', 'नेलकटर' 'अरेबा परेबां' जैसे कथाख्यानों में मातृत्व की गरिमामयी, आत्मीय और संरक्षणीय उपस्थिति स्वतः स्फूर्त संवेदनीयता के साथ अभिव्यक्त हुई है।

समसामयिक दौर में पूंजी और बाजार सब कुछ हो गया है। बाजार स्त्री को सुन्दर और विशिष्ट स्त्री का प्रलोभन देता हैं यही प्रलोभन स्त्री को बाजार के शिकंजे में फंसा देता है। 'औरत बिकाऊ और मर्द कमाऊ के महान चकाचक युग' में विज्ञापन से सनसनी पैदा करने वाली 'सुनीला' और 'आशा' जैसी मॉडल उदय प्रकाश की कहानी 'पौल गोमरा का स्कूटर' में हैं – 'ब्लेड के विज्ञापन से सनसनी पैदा कर देने वाली सर गंगाराम हॉस्पिटल की सफाई कर्मचारी राम औतार आर्य की सत्रह साल की बेटी सुनीला ...... को पिछले आठ महीने में तीन बार टर्मिनेशन कराना पड़ा था और दो हफ्ते पहले एक खबर के मुताबिक उसे एच आई वी पॉजिटिव पाया गया था .... घोड़े की पीठ पर पिघलकर बियर का फेन बन जाने वाली आशा मिश्रा को ...... पिछले दिनों राजधानी के पर्यटन विभाग के एक बारबेक्यू में काट–काट कर तन्दूर में भून डाला गया था।[15]

कुछ स्त्रियाँ अपने शरीर का उपयोग, निहित तुच्छ स्वार्थों के लिए व्यवसाय में करती हैं तथाकथित 'बोल्ड स्त्रियों' के नारीवादी विमर्श का उद्देश्य दमित–पीड़ित स्त्री जाति को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करना नहीं, अपितु अपनी व्यक्तिगत हैसियत, रूतबा कायम करना है, उदय प्रकाश लिखते हैं – ''एक ऐसा फेमिन्जिम या नारीवाद आया था, जिसमें जो औरत मेहनत करती थी, वह जिंदगी भर नर्स, टीचर, स्टेनो, टाइपिस्ट या घरेलू कामकाज करने वाली 'बाई' बनी रह जाती थी या फिर 'गीता पढ़कर सीता' बनने वाली थकी–पिटी, मैली–कुचैली पत्नी, लेकिन अगर वह देह का धंधा करने लगती थी, तो देखते ही देखते उसकी कोठी खड़ी हो जाती थी। वह कार में चलने लगती थी।''[16]

उदय प्रकाश जी की 'मोहनदास' कहानी में मोहनदास की अस्मिता और अस्तित्व को हड़प कर नौकरी करने वाला बिसनाथ अपनी पत्नी का प्रयोग करता है। बिसनाथ अपने कारनामे की इंक्वायरी करने वाले वेलफेयर ऑफिसर ए0के0 श्रीवास्तव के लिए अपने फ्लैट पर गज़ब की व्यवस्था करता है – ''अपने फ्लैट में उसने श्रीवास्तव जी को सत्कार किया, अपनी पत्नी अमिता को उसने लो कट ब्लाउज और नीची साड़ी में शरबत का ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में आने का निर्देश दे दखा था .... इंक्वायरी अफसर की नजर बार–बार अमिता की खुली नाभी पर अटक जाती थी। टी.वी. पर इन दिनों दिल्ली–मुंबई में चलने वाले फैशन शो के कार्यक्रम समाचार चैनलों पर खूब दिखाए जाते थे लेकिन यहाँ तो बिल्कुल जिंदा मॉडल जैसी औरत सामने खड़ी थी।''[17] स्त्रियों के ऐन्द्रिक और लुभावने रूप का अक्सर सफल इस्तेमाल होता है। सत्ताकामी लोग स्त्रियों के मादक रूप और उत्तेजक भंगिमाओं के जरिए अपने मकसद में कामयाब होते है।

उदय प्रकाश की रचनात्मक और वैचारिक प्रतिबद्धता स्त्रियों के साथ गहरे अपनापे के साथ जुड़ी है। ये स्त्रियों की जीवन दायिनी शक्ति से गहरे अभिभूत है। उदय प्रकाश जी कहते है कि ''सिर्फ स्त्रियाँ जानती हैं कि किसी जीवन को जन्म या पुनर्जन्म कैसे दिया जाता है।''[18]

उदय प्रकाश जी की कहानियों में स्त्री जीवन और मानव–मूल्यों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन और आधुनिक समाज में स्त्री को अनेक यातनाएँ सहन करनी पड़ी है। मनुष्य के जीवन में जैसे–जैसे आधुनिकता पाँव पसारती जा रही है, वैसे–वैसे स्त्री के प्रति अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। स्त्रियों का जीवन सदैव ही चुनौती भरा रहा है। यह सर्वविदित है कि स्त्रियाँ धैर्य एवं त्याग का प्रतिरूप भी होती है, लेकिन आधुनिक समय में वह अपनी

अर्न्तनिहित इच्छाओं को चाहकर भी पूर्ण रूप से त्याग नहीं पाती, जिससे उसका प्रभाव उनके जीवन में कहीं न कहीं प्रभावित करता है। आधुनिक समय में मूल्यों के क्षरण तथा असमायोजन के कारण मानसिक विकृतियाँ बढ़ती जा रही है, जिससे इनका प्रतिकूल प्रभाव समाज के साथ–साथ स्त्रियों पर भी आवश्यक पड़ता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कुमार कृष्ण – कहानी के नये प्रतिमान, पृ0 सं0 – 127
2. सुमन राजे – हिन्दी साहित्य का आधा इतिहास, पृ0 सं0 – 305
3. सियाराम तिवारी – भारतीय साहित्य की पहचान, पृ0 सं0 – 306
4. उदय प्रकाश – मैंगोसिल, पृ0 सं0 – 80
5. उदय प्रकाश – मोहनदास, पृ0 सं0 – 13
6. उदय प्रकाश – मोहनदास, पृ0 सं0 – 84
7. उदय प्रकाश – और अंत में प्रार्थना, पृ0 सं0 – 182
8. उदय प्रकाश – वारेन हस्टिंग्स का साँड, पृ0 सं0 – 58
9. उदय प्रकाश – तिरिछ – छप्पन तोले का करधन, पृ0 सं0 – 59
10. उदय प्रकाश – पीली छत्तरी वाली लड़की, पृ0 सं0 – 18
11. उदय प्रकाश – दरियाई घोड़ा, टेपचू, पृ0 सं0 – 101
12. उदय प्रकाश – और अंत में प्रार्थना, सायरन, पृ0 सं0 – 66
13. उदय प्रकाश – मैंगोसिल – दिल्ली की दीवार, पृ0 सं0 – 48
14. उदय प्रकाश – मैंगोसिक – पेंगुइन बुक्स, पृ0 सं0 – 121
15. उदय प्रकाश – पॉल गोमरा का स्कूटर, पृ0 सं0 – 44
16. उदय प्रकाश – पीली छतरी वाली लड़की – पृ0 सं0 133
17. उदय प्रकाश – मोहन दास, पृ0 सं0 – 49
18. उदय प्रकाश – और अंत में प्रार्थना, पृ0 सं0 –11

आगरा जिले में प्रदूषित नदी के पानी एंव रसायनों का मृदा और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव

मनोज कुमार टाक[1] व सत्यवीर सिंह[2]
[1,2]रसायन विज्ञान विभाग, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़

शोध सारांश

जीवन के लिए जल अनिवार्य है। हम जल को साधारणतया शुद्ध मानते हैं, परन्तु हमें जल की गुणवता निश्चित करनी चाहिए। जल एवं मृदा का प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों से शुरू होता है तथा विभिन्न प्रक्रमों के माध्यम से प्रदूषण सतह या भौम जल तक आता है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका पाइप या औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन द्वारा नदियों में छोड़ा जाता है और यह प्रदूषित जल नदियों द्वारा कृषि कार्य में उपयोग होता है। जिससे मृदा की उर्वर क्षमता में कमी होती है। अतः बाहय या आन्तरिक कारणों से मृदा के भौतिक रासायनिक तथा जैविक गुणों में ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिससे मनुष्य एवं अन्य जीव तथा पेड़–पौधों के लिए अनुपयोगी हो जावे, मृदा प्रदूषण कहलाता है। और ये धीरे–धीरे किसी न किसी रूप में वायुमण्डल में भी मुक्त होते रहते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है।इन प्रदूषित जल एवं रसायनों के छिड़काव से मृदा में प्रदूषण बढ़ा है। जिसका प्रभाव मनुष्य एवं जीव जाति पर पड़ा है। इनका प्रभाव किस प्रकार मृदा एवं जीव जन्तुओं पर पड़ता है तथा इसके क्या कारण तथा प्रभाव हो सकते है, इसका अध्ययन करना ही हमारा उद्देश्य है।

परिचय

आज से लगभग 50 वर्ष पहले सिंचाई के साधन कम थे, उन्नतिशील फसलों की जातियों का अभाव था, किसान सालभर में औसतन एक फसल लेते थे तथा सिंचित क्षेत्रों में 2–3 वर्ष के अन्तराल से गोबर की खाद डालते रहते थे, परन्तु आबादी बढ़ने से अधिक खाद्यान्न की पूर्ति हेतु सिंचाई के साधनों में वृद्धि हुई, अधिक पैदावार देने वाली जातियों का विकास हुआ और फसलों की आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखकर रासायनिक उर्वरको, कीटनाशकों एवं खरपतवार नाशकों आदि का भी विकास हुआ। अतः अधिक क्षैत्र पर खेती की जाने लगी।

मृदा खेती के अतिरिक्त विभिन्न उपयोग में आने से मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई। जलवायु के समान मृदा भी एक प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राणियों को भोजन, रहन–सहन एवं विचरण क्रिया प्रदान करती है। भूमि का योगदान मानवीय गतिविधियों से लेकर खेती कार्य तक सभी का होता है। हमें विदित है कि अन्न भूमि से ही उत्पन्न होता है, जो कि मनुष्य एवं जीवनमात्र की प्रमुख आवश्यकता है अतः इसकी शुद्धता अति आवश्यक है।व्यावसायिक कृषि में पेट्रो रसायन जैसे खरपवारनाशी कीटनाशी आदि का बेतहाशा प्रयोग किया जा रहा है, साथ ही अकार्बनिक रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों में फॉस्फेट नाइट्रोजन एवं अन्य कार्बनिक रसायन भूमि के पर्यावरण एवं भूमिगत जल स्त्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं।सर्वाधिक खतरनाक प्रदूषक जैवनाशी रसायन है, जिनके कारण जलवायु एवं अन्य मृदा के सूक्ष्म जीव धीरे–धीरे नष्ट हो रहे है। फलस्वरूप मृदा की गुणवता कम हो रही है। विषैले रसायन आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं जिससे उनकी पहुँच शीर्ष उपभोक्ता तक हो जाती है। जैवनाशी रसायनों को "कृपिंग डेथ" भी कहा जाता है।

गत 30 वर्षों में जैव रसायनों का प्रयोग में 11 गुणा से अधिक वृद्धि हुई है तथा अकेले भारत में प्रतिवर्ष अनुमानित 1 लाख टन जैव रसायनों का प्रयोग हो रहा है।अभी हाल ही रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2011 में उत्तराखंड में हुए सर्वे में यह बात सामने आई कि वहां गेहूँ व चावल की फसलें मिट्टी की सेहत से खिलवाड़ करने वाली साबित हो रही है। यूरिया खाद की खपत एक वर्ष में 2½ गुना तक बढ़ गई है। पोटाश व फास्फोरस का उपयोग कम तथा यूरिया का उपयोग अधिक हो रहा है।कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा मिट्टी की ऊपरी सतह को हुए नुकसान की वजह से हो रहा है। असंतुलित खाद का प्रयोग फसल को रोगग्रस्त करता है। कीटनाशक मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते है।

विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन (F.A.O) की रिपोर्ट के अनुसार विगत 30 वर्षों में कीटनाशको का प्रयोग 11 गुना बढ़ा है। जिससे प्रतिवर्ष लगभग 10000 लोगों की मृत्यु हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O)के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोग जैव रसायनों की विषाक्तता की भेंट चढ़ जाते हैं।भारतीय बच्चे स्तनपान के समय जर्मनी, अमेरिका तथा ब्रिटिश बच्चों की तुलना में 8 गुना अधिक डी. डी.टी. निगल रहे हैं। जिससे बहुत कम उम्र में ही यकृत एवं पेट की बीमारियां हो रही है।

वर्ष 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने एन्डो सल्फोन के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगाई थी। फिर भी केरल राज्य में इसके दुष्प्रभाव सामने आऐ हैं।वर्तमान में मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों एवं जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य ने प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषित कर दिया है। जिससे मृदा की उर्वरता में क्षति हुई है।

1. **मृदा प्रदूषण के स्त्रोतः–** अपशिष्ट पदार्थों में मुख्य रूप से घर की सफाई से संबंधित जैसे धूल, कागज, कपड़ों के टुकड़े प्लास्टिक के टुकड़े,

कोयला, राख, लकड़ी, सुखी पत्तियां, सजावट का बेकार सामान, टूटा फर्नीचर, भोज्य पदार्थ जैसे– सामग्री सब्जी, दाल, चावल, फल, फलों के बीच, कूड़ा करकट आदि सम्मिलित हैं ।

2. **नगर पालिका अपशिष्टः–** शहरों एवं कस्बों की सफाई का कूड़ा करकट, मलमूत्र, मुर्गी पालन के अवशेष, पशुओं द्वारा विसर्जित पदार्थ, मृत शरीर,शौचालय के अन्य अपशिष्ट पदार्थ, अस्पताल अवशेष विसर्जन के बाद मृदा कोप्रदूषित करते हैं।
3. **औद्योगिक अपशिष्टः–** विभिन्नप्रकार के औद्योगिक अपशिष्ट जैसे– साबुन, कपड़ा, कागज, रबड़, चर्म, प्लास्टिक, रसायन इत्यादि के अपशिष्ट पदार्थ ठोस, द्रव रूप में अपशिष्ट पदार्थ मर्दा कोप्रदूषित करते हैं।
4. **कृषि अवशिष्टः–** फसलों के अवशेष जैसे जड़, तना, पत्तियां, फूल आदि खरपतवार, कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग में लाया गया भाग फसलों का भंडारण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली बोरियां मृदा कोप्रदूषित करती है
5. **अन्य स्त्रोतः–** फसलों को बीमारियों कीड़े मकोड़ों एवं खरपतवारो से बचाने के लिए अनेकों प्रकार के रसायन प्रयोग में लाए जाते हैं जिन्हें मिट्टी में मिलाया जाता है या फसलों पर छिड़का जाता है। प्रदूषित जल से सिंचाई करने से भी मृदा में अम्लीय एवं क्षारीयता पैदा होती है

मृदा प्रदूषण के प्रकार

1. **रासायनिक प्रदूषण**:–फसलों से अधिक पैदावार लेने के लिए उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, कवकनाशक आदि प्रयोग में लाए जाते हैं जिनमें से कुछ यौगिक बहुत विषैले होते हैं जैसे–आर्सेनिक, लेड, एल्ड्रिन आदि मृदा पर हानिकारक प्रभाव कर मृदा की उर्वरता क्षमता में कमी लाते हैं।
2. **जैविक प्रदूषणः–**
मृदा, जल, कीचड़, मानव एवं पशुओं के मलमूत्र में अनेक प्रकार के विषैले जीवाणु पाये जाते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं जैसे–

i. **क्लौस्ट्रीयम बॉट्यूलिनमः–**
- मिट्टी, पानी, कीचड़ में पाये जाते हैं।
- प्रभावः– स्नायु तंत्र पर प्रभाव, सिरदर्द, गर्दन में लकवा

ii. **क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिजेन्सः–**
- मिट्टी, पशुओं के मूत्र, मनुष्य के मल में पाये जाते हैं।
- प्रभावः– उल्टी, शरीर में दर्द, पेचिस

iii. **स्टैफाइलोकौक्स एवं माइक्रोकौक्सः–**
- कफ, थूक, घाव में उत्पन्न
- प्रभावः– दर्द, बुखार, अधिक पसीना आना।

iv. **साल्मोनेलाः–**
- मनुष्य तथ पशुओं के मलमूत्र में उपस्थित।
- प्रभावः– उल्टी आना, प्यास लगना, सिरदर्द।

v. **एस्परजिलस फ्लेवसः–**
- प्रोटीन प्रचूरता वाले भोज्य पदार्थ जैसे– सोयाबीन, मूंगफली पर पनपते हैं।
- प्रभावः– हड्डियों का गलन रोग, यकृत रोग।

vi. **पेनिसिलियम कवकः–**
- प्रभावः– यकृत रोग, टयूमर कैंसर उत्पन्न करते हैं। ये भोज्य पदार्थों पर उगकर उन्हें हानिकारक बना देते हैं।

शोध परिणाम एवं चर्चाः– वर्तमान अध्ययन में हनुमानगढ़ क्षेत्र में उपयोग किये जाने वाले जैव रसायनों की भागों का आंकलन किया गया है, जिन्हें सारणी में दर्शाया गया है।

Picture 1.Effects of Pesticide on Crops and Soil

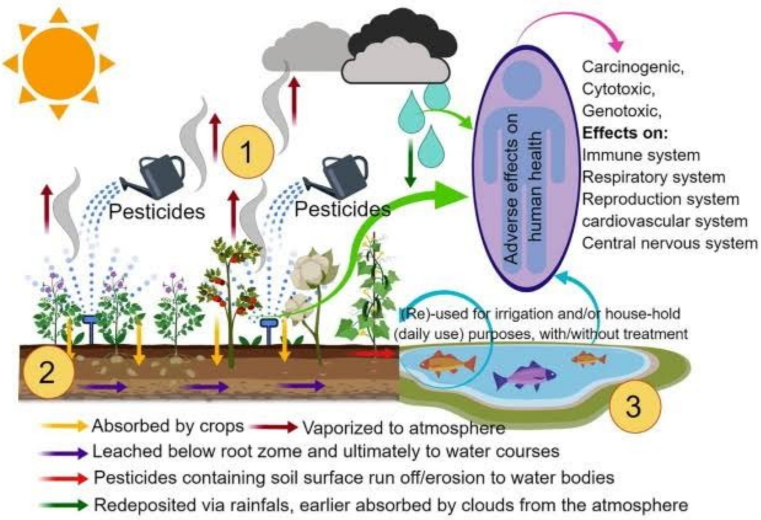

सारणी–I :-उर्वरकों में उपस्थित (Pb) व (cb) की मात्रा (ppm)

क्र.सं.	उर्वरक का नाम	सीसा (Pb)	कैडमियम (cb)
1.	रॉक फॉस्फेट	1135	303
2.	सिंगल सुपर फॉस्फेट	6098	187
3.	डाई अमोनियम फॉस्फेट	188	109
4.	नाइट्रो फॉस्फेट	313	89
5	कैल्शियम अमो. नाइट्रेट	200	06

सारणी–II :-हनुमानगढ़ क्षेत्र में उपयोग किये जाने वाले जैव रसायनी उर्वरकों की मात्राएं।

क्र.सं.	उर्वरक का नाम	औसत मात्रा (kg) (1 वर्ष में)	मानव शरीर पर प्रभाव
1.	DAP (डाई अमोनियम फॉस्फेट)	1–20 किग्रा./बीघा से / 1–3 क्वि. /बीघा	चर्म रोग
2.	Urea	40–60 किग्रा/बीघा से 2–4 क्वि. /बीघा	हृदय रोग
3.	SSP (सिंगल सुपर फॉस्फेट)	9–15 क्विं	त्वचा शोथ
4.	फॉरेट	10–20लीटर	त्वचा शोथ
5.	क्लोरो पायरीफॉस	10–15 लीटर	यकृत रोग
6.	सल्फर	20–25 क्विं	संस में परेशानी
7.	D.D.T	10–20 क्विं	गुर्दे व पेट रोग
8.	एन्डोसल्फोन	15–30 लीटर	आँखों में जलन
9.	डाईमेथोएट	10–30 लीटर	त्वचा रोग

Picture 2.Effects of Pesticide on Human Health

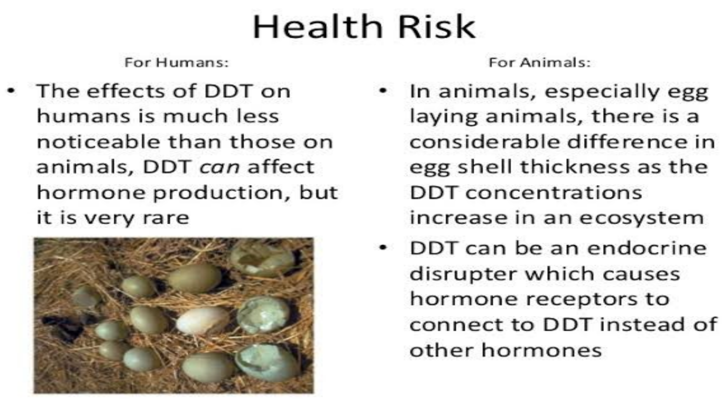

मृदा प्रदूषण का मृदा के गुणों पर प्रभाव

वानस्पतिक आवरण के नष्ट होने से मृदा अपरदन तथा मरूस्थलीय क्षेत्रों में वृद्धि होती है। मृदा के पोषक तत्वो की कमी तथा जलधारण क्षमता कम हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों के लगातार प्रयोग से मृदा की अम्लीयता/क्षारीयता बढ़ती है। जिससे सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, वायु संचार तथा पोषक खनिज लवणों की उपलब्धता में कमी हो जाती है। अतः प्रदूषण के फलस्वरूप मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का ह्रास होता है।

निष्कर्ष

वर्तमान जांच के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि आगरा क्षेत्र मे नदी जल प्रदूषित हो चूका है तथा प्रदूषित जल के अतिरिक्त मृदा का संरचनात्मक ढ़ांचा असंतुलित हो चूका है। मृदा मे उपस्थित पोषक तत्वों की पूर्ति जैव रसायनों के माध्यम से होने के कारण मृदा प्रदूषित हो चूकी है। अतः मृदा को भौतिक, रासायनिक व जैविक क्रियाशीलता बनाए रखने हेतु उचित निर्णय न लिये गये तो भविष्य में फसल चक्र प्रक्रिया का अंत हो जाएगा।

संदर्भ सूची

1. भारत में सीवरेज उपचार, C.P.CP (Feb 2006) नई दिल्ली
2. वन रक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण, मध्यप्रदेश

3. लुधियाना में औद्योगिक इकाईयों से मृदा प्रदूषण, इंडियन जर्नल ऑफ इकोलोजी (1982) आजाद ए.एस, शेखर जी. एस.
4. कोटा में चंबल नदी में प्रवेश करने वाले सीवरेज नालों की जल गुणवता, 147–152 अग्रवाल.एस.के. (1983)
5. एशियन पब्लिक हेल्थ ऐसोशिएसन (APHA, 1999) जल एवं अपशिष्ट जल की परीक्षा की मानक विधि, बीसवीं शिक्षा, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ ऐसोशिएसन वाशिंगटन डीसी
6. अब्बासी, एस.ए(2002) जल गुणवता सूची, राज्य की कला रिपोर्ट, एन.आई.एच.एस. सी–25/2002
7. सी.पी.सी.बी. (दिल्ली) यमुना नदी का जल गुणवता स्थिति (1999–2000)
8. कार्बनिक जल गुणवता सूचीः प्रभावशाली जल गुणवता मूल्यांकन का प्रबन्ध, क्यूड.सी (2001) अंक 37, 1. पीपी 125 से 137 कार्बनिक पर्यावरण गुणवता प्रयोगशाला विभाग।

हरियाणा राज्य में लिंगानुपात : सिरसा जिले के शिशु लिंगानुपात का एक अध्ययन

सुरेन्द्र कुमार[1] व राजेन्द्र कुमार मेघवंशी[2]
[1,2]भूगोल विभाग(कला), टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर

शोध सारांश

भूगोलवेत्ताओं के शोध के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी देश के विकास में पाई जाने वाली जनसंख्या का योगदान नहीं होता है अपितु उस जनसंख्या की संरचना एवं विशेषता उससे भी अधिक योगदान देती है। लंगानुपात एक अति संवेदनशील सूचक है जो महिलाओं की स्थिति दर्शाता है। बालिकाओं को समान सम्मान और प्यार देने की भावना सृजित करने के लिये संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। 0–6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में निरन्तर कम होता जा रहा है।

शब्दावलीः– *लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, हरियाणा राज्य।*

परिचय

किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ पर पाये जाने वाले संसाधनों पर निर्भर करता है। इन संसाधनों में प्राकृतिक व मानवीय संसाधन शामिल होते है। प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी की सतह पर एक समान रूप में नहीं पाये जाते हैं अपितु कुछ स्थान पर अधिक तो कुछ स्थान पर कम पाये जाते है। अतः अलग–अलग देशों व प्रदेशों में अलग–अलग प्रकार के तथा विभिन्न मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। किसी भी देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वहाँ पर पाये जाने वाले मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता हैं। मानवीय संसाधनों में मानव की जनसंख्या, संरचना एवं विशेषता महत्वपूर्ण होती है। अतः किसी भी देश या प्रदेश में मानव जनसंख्या का अध्ययन उस देश व प्रदेश के लिये अत्यन्त लाभकारी होता है।

विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के शोध के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी देश के विकास में पाई जाने वाली जनसंख्या का योगदान नहीं होता है अपितु उस जनसंख्या की संरचना एवं विशेषता उससे भी अधिक योगदान देती है। जनसंख्या की संरचना एवं विशेषता में स्त्री–पुरूष की जनसंख्या अनुपात, साक्षरता, शिक्षा, कार्यशील जनसंख्या, स्वास्थ्य आदि शामिल किये जाते हैं। इनमें लिंगानुपात का अध्ययन सामाजिक, आर्थिक व जनांकिकीय अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता हैं। लिंगानुपात के अध्ययन से किसी देश की सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास का ज्ञान होता हैं। इस दृष्टि से लिंगानुपात का अध्ययन सामाजिक, आर्थिक व भूगोल में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हाल ही के दशकों में अत्यधिक महिला शिशु मृत्युदर के कारण शिशु लिंगानुपात का अध्ययन भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस कारण प्रस्तुत शोध में हरियाणा राज्य के लिंगानुपात का अध्ययन व सिरसा जिले के लिंगानुपात व शिशु लिंगानुपात का अध्ययन प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रस्तावित शोध के सोपान

हीरालाल (2004) अर्थव्यवस्था एवं समाज के विकास में लिंगानुपात (स्त्री–पुरूष अनुपात) की महत्वपूर्ण भूमिका के फलस्वरूप जनसंख्या भूगोल में इसका अध्ययन अपरिहार्य होता है। क्षेत्रीय आधार पर लिंगानुपात में पाई जाने वाली विभिन्नता सामाजिक–आर्थिक प्रगति में असंतुलन का एक प्रमुख कारण बनती है। यह एक सूचक भी होती है। इसी प्रकार प्रादेशिक अध्ययन और नियोजनगत विश्लेषण में यह अनुपात सहायक हो सकता है। लिंगानुपात में क्षेत्र एवं कालगत विभिन्नता मानव जीवन के विभिन्न आयु वर्गो में दोनों लिंगो के मृत्युदर तथा स्थानातंरण के कारण उत्पन्न असंतुलन से प्रभावित होती है। विभिन्न सामाजिक–आर्थिक तथ्यों को प्रभावित करने वाले बहुत से जनांकिकीय तथ्य जैसे वृद्धि, वैवाहिक–संरचना और व्यवसायिक संरचना इस अनुपात द्वारा अत्यधिक प्रभावित होते हैं।

बेउजाऊ(1966) लिंगानुपात एक अति संवेदनशील सूचक है जो महिलाओं की स्थिति दर्शाता है। बालिकाओं को समान सम्मान और प्यार देने की भावना सृजित करने के लिये संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। 0–6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में निरन्तर कम होता जा रहा है। बहुत से परिवार पुत्र की चाह में भ्रुण को जानबूझ कर नष्ट करा देते है। ऐसा अधिकतर शिक्षित और सम्पन्न परिवारों में हो रहा है। इसका मुख्य प्रयोजन सम्पत्ति और परिवार के व्यवसाय को बचाना तथा दहेज देने से बचना है।

बोस (1978) : सामाजिक–आर्थिक भूदृश्य के गत्यात्मक प्रतिरूप, लिंगानुपात में हुए परिवर्तन से किसी न किसी स्तर पर सम्बन्धित होते है। इस प्रकार किसी क्षेत्र के भौगोलिक विश्लेषण के लिये लिंगानुपात एक आवश्यक तथ्य है।

थॉमस, डब्ल्यू.एस. (1965) : जनांकिकीय अवस्था के अनुसार लिंगानुपात को प्राथमिक (गर्भधान के समय),

द्वितीयक (जन्म के समय) और तृतीयक (गणना के समय) नामक तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है। इनमें द्वितीयक अनुपात ही प्राकृतिक लिंगानुपात कहलाता है। इस प्रकार के वर्गीकरण में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके तुलनात्मक व क्रमबद्ध अध्ययन से सहायता मिलती है। जनसंख्या भूगोल में इसका विश्लेषण दोनों के समानुपातिक अंतर्सम्बध की सहायता से किया जाता है।

प्रस्तावित शोध का महत्व

लिंगानुपात में वृद्धि तथा शिशु लिंगानुपात में कमी भारत के विभिन्न राज्यों में एक समान नहीं है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है जहाँ 2011 में लिंगानुपात 1084 तथा 2001 में 1058 स्त्रियां प्रति 1000 पुरूषों पर थी। इसके अलावा केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में लिंगानुपात 2011 में 1038 तथा 2001 में 1001 स्त्रियां प्रति 1000 पुरूषों पर दर्ज किया गया। भारत में दो प्रदेश ऐसे हैं जहाँ लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में पाया गया है। इसके अलावा सभी राज्यों में लिंगानुपात पुरूषों के पक्ष में जाता है। दक्षिण के राज्यों में जैसे तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा में लिंगानुपात अपेक्षाकृत अच्छा है। इन राज्यों में 2011 में लिंगानुपात क्रमशः 995, 992, 968, 968 दर्ज किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड व असम ऐसे बड़े राज्य हैं जहाँ लिंगानुपात देश के औसत लिंगानुपात 940 से अधिक है। इन राज्यों में 2011 में लिंगानुपात क्रमशः 991, 978, 974, 963, 954 स्त्रियां प्रति 1000 पुरूषों पर दर्ज की गई।

उत्तर–पूर्व के कुछ राज्यों में भी लिंगानुपात जैसे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में भी लिंगानुपात देश के औसत लिंगानुपात से अधिक दर्ज किया गया। 2011 में इन राज्यों में लिंगानुपात क्रमांक 987, 975, 961, 986 दर्ज किया गया। अन्य सभी राज्यों में लिंगानुपात देश के औसत लिंगानुपात से कम पाया गया। देश में सबसे कम लिंगानुपात 877 स्त्रियां प्रति 1000 पुरूषों पर हरियाणा राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार दर्ज किया गया। जम्मू–कश्मीर, पंजाब, सिक्किम ऐसे राज्य हैं जहाँ लिंगानुपात 2011 में 900 से कम दर्ज किया गया। इन राज्यों में लिंगानुपात क्रमशः 883, 893, 889 स्त्रियां प्रति 1000 पुरूषों पर दर्ज किया गया। इसके अलावा केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़, दमन व दीव, दादर व नागर हवेली, अण्डमान व निकोबार में लिंगानुपात 900 से कम पाया गया। 2011 में इनमें लिंगानुपात क्रमशः 818, 618, 775, 878 स्त्रियां प्रति हजार पुरूषों पर दर्ज किया गया।

हरियाणा राज्य में 2001 व 2011 के मध्य लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई। हरियाण में 1991 में लिंगानुपात 865 स्त्रियां प्रति 1000 पुरूषों पर थीं जो सन् 2001 में घटकर 861 रह गया। इसके प्श्चात् 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि होने के पश्चात् यह लिंगानुपात 877 स्त्रियां प्रति 1000 पुरूषों पर दर्ज की गई। लिंगानुपात का विश्ववितरण प्रतिरूप यह स्पष्ट करता है कि क्षेत्रकाल संदर्भ में इसमें पर्याप्त विभिन्नताएं दृष्टिगत होती हैं। आधारभूत रूप में यह तीन कारकों द्वारा घटित होती है। जन्म के समय लिंगानुपात पुरूष स्त्रियों के मृत्युदर में विभिन्नता, तथा स्थानांतरण का प्रभाव। इन मूल कारकों के अतिरिक्त युद्ध, पुरूष और स्त्रियों के जीवन स्तर में अन्तर तथा त्रुटिपूर्ण आंकड़ा–संग्रह भी क्षेत्र विशेष के यौन संतुलन को प्रभावित करते है।

प्रस्तावित शोध के उद्देश्य

विश्व के विभिन्न देशों के उदाहरण यह स्पष्ट करते है कि स्त्री जन्म दर की अपेक्षा पुरूष जन्मदर अधिक उच्च रही है। यद्यपि अधिकाशं समाजों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरूषों की प्रधानता जन्म पूर्व क्षति के निम्न या उच्च होने के अनुसार हर विभिन्न देशों में लिंगानुपात जन्म के समय निम्न या उच्च रहते है। इसके अतिरिक्त लिंगानुपात में असंतुलन के लिये अनेक कारक यथा पिता की उम्र, वंशानुक्रम, युद्ध, सिगरेटपान, कहवापान आदि भी उत्तरदायी माने गये हैं किन्तु इनमें से कुछ को निर्मूल सिद्ध किया जा चुका है।

जैविकीय दृष्टि से दोनों लिंगो में विभिन्न बीमारियों की प्रतिरोधी शक्ति भिन्न–भिन्न होती है। जब स्त्रियों की अपेक्षा शिशु बालकों में उच्च मृत्यु दर रहती है लिंगानुपात 4 वर्ष की आयु तक संतुलित हो जाता है तथा इसके बाद के आयु वर्गो में बढ़ते हुए क्रमशः 95 वर्ष की आयु पर प्रति 1000 पुरूषों पर 2000 स्त्रियों का अनुपात पंहुच जाता है। विकसित देशों की इस प्रवृति की अपेक्षा विकासशील एवं अल्प विकसित देशों में पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों की मृत्युदर अधिक होती है। इन देशों में सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था के निम्न स्तर तथा उनका स्त्रियों के प्रतिकूल होना स्त्री मृत्युदर की अधिकता का कारण है। भारत में पति हेतु अपने सुख–सुविधा का परित्याग करना और मुसलमान देशों में घर के भीतर घुट कर रहना स्त्री मृत्युदर की अधिकता का कारण हैं।

स्थानांतरण व्यापक रूप से लिंगानुपात को असंतुलित करता है। क्योंकि सामाजिक रीति, अर्थव्यवस्था आदि कारण स्थानांतरण में लिंगानुपात को प्रभावित करते है। विशेषरूप से उद्देश्य दूरी तथा अभिप्रेरणा भी लिंगानुपात को प्रभावित करते हैं। पहले स्त्रियों की

अपेक्षा पुरूषों में स्थानांतरणशीलता अधिक थी, आज यातायात व संचार साधनों के विकास के कारण विकसित देशों में स्त्रियां भी स्थानांतरित होने लगी है। वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ में आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों में स्थानांतरण के कारण ही प्रति 100 स्त्रियों पर 100 पुरूषों की संख्या थी। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में भी संयुक्त राज्य अमेरिका में पुरुष अप्रवास के कारण प्रति 100 पर 106 पुरुष थे। अब स्त्रियों के आप्रवास सरल होने के कारण स्त्रियों की अधिकता हैं।

इसके विपरित विकासशील और अविकसित देशों में मानव जनसंख्या के स्थानांतरण में पुरूषों की ही प्रधानता रहती है। अंतर्देशीय स्थानांतरण के अंतर्गत नगरों में पुरूषों की प्रधानता और ग्रामरण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत स्त्रियों की संख्या का अधिक होना सामान्य बात है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ0 हीरालाल.(2004). जनसंख्या भूगोल, वसुंधरा प्रकाशन, गोरखपुर
2. थॉमस, डब्ल्यू.एस.(1965). जनसंख्या समस्या, टाटा मैक्ग्रा हिल. नई दिल्ली।
3. गोसाल, जी.एस.(1988). लिटरेसी इन इण्डिया।
4. सिंह, एस.एन.(1989). भारत का जनसंख्या भूगोल, बी.आर. पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
5. बोस, आशीष.(1978).अर्बनाईजेशन, टाटा मैंक्ग्रा हिल. नई दिल्ली।
6. अग्रवाल, एस.एन.(2006). इण्डियाज पोपुलेशन प्रोब्लम्स, द्वितीय संस्करण, टाटा मैक्ग्रा हिल, नई दिल्ली।

हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई साधनों के परिवर्तन से फसलों के क्षेत्रफल का बदलता प्रतिरूप– एक भौगोलिक विशलेषण

दयाराम[1] व राजेन्द्र कुमार मेघवंशी[2]

[1,2]श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा, हनुमानगढ़

शोध सारांश

हनुमानगढ़ जिला भारत के राजस्थान राज्य का एक जिला है जो उत्तरी राजस्थान में घग्घर नदी के दायें तट पर स्थित है। किसी भी क्षेत्र की सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके अक्षांष और देषान्तर का ज्ञान प्राप्त करना परम आवष्यक है। हनुमानगढ़ का कुल क्षेत्रफल 9656.09 वर्ग किलोमीटर है। हनुमानगढ़ जिले की समुद्रतल से औसत ऊँचाई 168 से 227 मीटर के मध्य है। शोध के लिए चयनित जिला 29ह5′ उत्तरी अक्षांष से 30ह6′ उत्तरी अक्षांष व 74ह3′ पूर्वी देषान्तर से 75ह3′ पूर्वी देषान्तर के मध्य अवस्थित है। जिले की अक्षांषीय स्थिति के अनुसार शीतोष्ण प्रदेष में स्थित है किन्तु जलवायु की दृष्टि से यह उष्ण कटिबंन्धिय विषेषताएं धारण किये हुए है।आज से लगभग 100 वर्ष पहले शोध जिले के का क्षेत्र संपूर्ण मरुस्थलीय था। जनसंख्या भी बहुत कम पाई जाती थी भूमि पर जनभार बहुत कम पाया जाता था। कृषि केवल जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी वह भी परंपरागत तरीके से और जिले में फसले भी वर्षा पर आधारित बोई जाती थी क्योंकि सिंचाई साधन नहीं थे शोध जिले में फसलों का उत्पादन भी कम होता था क्योंकि जल की कमी के कारण कम सिंचाई वाली फसलें बोई जाती थी जैसे सरसों, चना, ग्वार, तारामीरा, बाजरा इत्यादि ताकि थोड़ी सी वर्षा होने पर फसले पककर तैयार हो जाए किसान वर्ग भी विस्तृत कृषि अधिक करते थे जिससे श्रम की भी अधिक आवश्यकता होती थी। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम होता था इसके अलावा व्यर्थ भूमि का क्षेत्र भी अधिक था जैसे– जंगलात भूमि,पड़त भूमि, वनीय भूमि आदि जो व्यर्थ पड़ी रहती थी जिस पर कृषि कार्य नहीं होता था लेकिन आगे चलकर अनेक नहर परियोजना जैसे– भाखड़ा नांगल, आईजीएनपी, परियोजना आने से जिले का शस्य स्वरूप ही बदल गया।शोध जिले में जीवन निर्वाह विस्तृत कृषि की जगह गहन कृषि होने लगी है।

शब्दावली:– *जीवन निर्वाह,विस्तृत कृषि, जंगलात भूमि, गहन कृषि, बागवानी कृषि, फसल प्रारूप।*

परिचय

आज से लगभग 100 वर्ष पहले शोध जिले के का क्षेत्र संपूर्ण मरुस्थलीय था। जनसंख्या भी बहुत कम पाई जाती थी भूमि पर जनभार बहुत कम पाया जाता था। कृषि केवल जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी वह भी जिले में वर्षा पर आधारित परंपरागत तरीके से फसले बोई जाती थी क्योंकि सिंचाई साधन नहीं थे शोध जिले में फसलों का उत्पादन भी कम होता था क्योंकि जल की कमी के कारण कम सिंचाई वाली फसलें बोई जाती थी जैसे सरसों, चना, ग्वार, तारामीरा, बाजरा इत्यादि ताकि थोड़ी सी वर्षा होने पर फसले पककर तैयार हो जाए किसान वर्ग भी विस्तृत कृषि अधिक करते थे जिससे श्रम की भी अधिक आवश्यकता होती थी। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम होता था इसके अलावा व्यर्थ भूमि का क्षेत्र भी अधिक था जैसे– जंगलात भूमि,पड़त भूमि, वनीय भूमि आदि जो व्यर्थ पड़ी रहती थी जिस पर कृषि कार्य नहीं होता था लेकिन आगे चलकर अनेक नहरपरियोजना जैसे– भाखड़ा नांगल, आईजीएनपी, परियोजना आने से जिले का शस्य स्वरूप ही बदल गया।शोध जिले में जीवन निर्वाह विस्तृत कृषिकी जगह गहन कृषि होने लगी है और जो कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि पड़ी थी उसका उपयोग सिंचाई करके कृषि कार्य में होने लगा है। जिससे कृषि भूमि में वृद्धि हुई है नहरों द्वारा जल उपलब्ध होने पर फसलों का प्रारूप बदल गया है। जहां कभी कम सिंचाई वाली वर्षा आधारित फसलें उगाई जाती थी वहां अब अधिक सिंचाई वाली फसलेजैसे–कपास, गेहूं, चावल, गन्ना, इत्यादि उगाई जाने लगी है और सिंचाई साधनों के विकास से अधिक सिंचाई वाले फसलें उगाने से जिले में कृषि उत्पादन बढ़ा है इसके साथ–साथ जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि उत्पादनों की मांग बढ़ी है जिससे लोगों का कृषि कार्यों की ओर झुकाव बढ़ा है और लोग गहन कृषि अधिक करने लगे हैं और अब इसके अलावा व्यापारिक फसलें जैसे कपास, गन्ना,अरण्डी आदि भी अधिक बोई जाने लगी है जिससे व्यापारिक फसलों का उत्पादन व क्षेत्र दोनों का प्रतिशत बढ़ा है शोध जिले में कृषि उत्पादन बढ़ने से कृषि आधारित उद्योगों की संख्या भी बढ़ी है वर्तमान समय में यांत्रिक कृषि होने लगी है जिससे किसान कम समय में अधिक क्षेत्रपरकृषि कर सकता है साथ ही बागवानी कृषि को प्रोत्साहन मिला है।

अध्ययन का उद्देश्य

किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करने के लिए मूल उद्देश्य होते हैं इसी प्रकार राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई के साधनों के विकास से बदलते शस्य स्वरूप का अध्ययन करने पर अनेक उद्देश्यप्रकट होते साथ में यह भी ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि शोध जिले में सिंचाई के साधनों का विकास होने से कृषि फसलों में क्या बदलाव आया है और कौन–सी फसलों का उत्पादन क्षेत्र व उत्पादनप्रतिशत में बढ़ा है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन के उद्देश्य प्रकट होते हैं

1. विगत दशकों में जिले में सिंचाई सुविधाओं से शस्य स्वरूप में बदलाव का तहसील वार अध्ययन करना है।
2. विगत दशकों में जिले की कृषि क्षेत्र पर सिंचाई साधनों का क्या प्रभाव पड़ा है।
3. सिंचाई साधनों के विकास से बदलते शस्य स्वरूप का जिले की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है, का अध्ययन करना

परिकल्पना

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले के नहरी जल व नलकूप सिंचाई जल उपलब्ध होने के कारण शस्य स्वरूप ही बदल गया है यहां कभी वर्षा आश्रित कमसिंचाई वाली फसलें उगाई जाती थी जिससे कम आमदनी होती थी लेकिन वर्तमान समय में सिंचाई साधनों के विकास में भूमि का उपयोग व फसल चक्र को बेहतर ढंग से करने के प्रयास किए जा रहा है। इस हेतु निम्न परिकल्पना के रूप में सिद्ध किया जाएगा

1. अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई साधनों के विकास से कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है जिससे शोध जिले में रोजगार के साधन बढ़ेंगे।
2. सिंचाई साधनों के विकास से शस्य स्वरूप में बदलाव आया है अब खाद्य फसलों के स्थान पर व्यापारिक फसलें होने लगी है।
3. जिले में जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन बढ़ेंगे वहां जनसंख्या व कृषक वर्ग क्षेत्र में बदलाव आएगा।

अध्ययन क्षेत्र की अवस्थिति

हनुमानगढ़ जिला भारत के राजस्थान राज्य का एक जिला है जो उत्तरी राजस्थान में घग्घर नदी के दायें तट पर स्थित है। किसी भी क्षेत्र की सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके अक्षांष और देषान्तर का ज्ञान प्राप्त करना परम आवष्यक है। इसके साथ –साथ प्राचीन इतिहास, क्षेत्र, धरातल और निकटवर्ती क्षेत्र के सन्दर्भ में उसकी सापेक्षित स्थिति का ज्ञान भी आवष्यक है।

हनुमानगढ़ का कुल क्षेत्रफल 9656.09 वर्ग किलोमीटर है। हनुमानगढ़ जिले की समुद्रतल से औसत ऊँचाई 168 से 227 मीटर के मध्य है। शोध के लिए चयनित जिला $29^{o}5'$ उत्तरी अक्षांष से $30^{o}6'$ उत्तरी अक्षांष व $74^{o}3'$ पूर्वी देषान्तर से $75^{o}3'$ पूर्वी देषान्तर के मध्य अवस्थित है। जिले की अक्षांषीय स्थिति के अनुसार शीतोष्ण प्रदेष में स्थित है किन्तु जलवायु की दृष्टि से यह उष्ण कटिबंन्धिय विषेषताएं धारण किये हुए है। जिले के उत्तर में पंजाब राज्य के मूक्तसर जिला व पष्चिम हरियाणा के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी की सीमाएं लगती है। कापीय दोमट्ट, रेतीली लोम, पीली भूरी, काली मिट्टी, लाल दोमट्ट व रेतीली मृदा पाई जाती है। हनुमानगढ़ जिले का धरातल लगभग समतल है कुछ क्षेत्रों में बालू रेत के टीले पाए जाते है हनुमानगढ़ जिले का भू–भाग मरूस्थल में स्थित होने के कारण ऊष्ण कटिबन्धीय मरूस्थलीय जलवायु की विषेषता लिये हुए है।

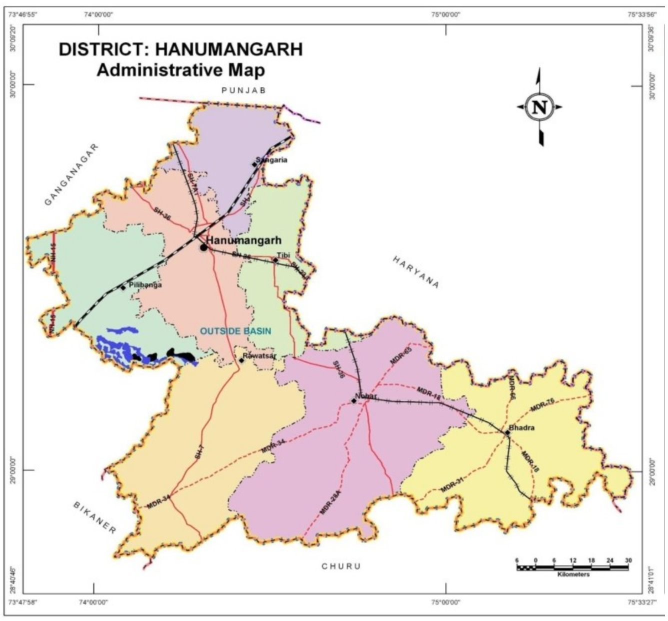

फसलों के अर्न्तगत क्षेत्रफल

शोध जिले में सिंचाई के साधनों के विकास होने से कृषि क्षेत्र में व फसलों के स्वरूप में काफी बदलाव आया है जिले में मुख्यतः तिल सरसों/ राई, गेहूं, कपास, गन्ना आदि पाया जाता है जिनका विवरण तालिका के अनुसार निम्न प्रकार है ।

तहसीलवार फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

क्र0 सं0	तहसील	तिल			राई/सरसों			गेहूं			कपास		
		1999–2000	2016–17	अन्तर	1999–2000	2016–17	अन्तर	1999–2000	2016–17	अन्तर	1999–2000	2016–17	अन्तर
1	भादरा	3	36	33	5037	13788	8751	16800	19052	2220	15068	10473	4595
2	हनुमानगढ़	1355	253	&1102	15218	21941	6723	57507	64170	6663	45788	45303	-485
3	नोहर	96	120	24	2344	17188	14844	12946	14731	1785	10524	7973	2551
4	पीलीबंगा	692	141	&551	15500	20637	5137	34015	40324	6309	30711	25994	- 4717
5	रावतसर	857	199	&658	2066	22180	20114	25667	23573	- 2094	19748	16596	- 3152
6	संगरिया	869	231	&869	14230	18417	4187	25211	32768	7557	28853	28533	-320
7	टिब्बी	1341	145	&1246	3755	9422	5667	46312	45619	-693	22861	26046	3185

गेहूं

भादरा तहसील में सन 1999–2000 में कुल 16800 हेक्टेयर क्षेत्रफल गेहूं बोया गया जो 2016–17 में बढ़कर 19052 हेक्टेयर क्षेत्र पर बोया जाने लगा इस प्रकार 1999–2000 से 2016–17 तक भादरा तहसील में कुल 2220 हेक्टेयर गेहूं उत्पादन क्षेत्र बढ़ा। हनुमानगढ़ तहसील में जहां 1999–2000 में 57507हेक्टेयर क्षेत्र पर गेहूं बोया गया वहीं 2016–17 में 64170 हेक्टेयर क्षेत्रफल हो गया अर्थात्कुल 1999–2000 से 2016–17 तक 6663 हेक्टेयर गेहूं उत्पादन क्षेत्र बढ़ा है । शोध जिले की पीलीबंगा तहसील में 1999–2000 में कुल 34015 हेक्टेयर पर गेहूं बोया जाता था जो 2016–17 में बढ़कर 40324 हेक्टेयर हो गया इस प्रकार सन 1999–2000 से 2016–17 तक कुल 6309 हेक्टेयर गेहूं उत्पादन क्षेत्र बढ़ा है। जिले के रावतसर तहसील में सन 1999–2000 में कुल गेहूं का उत्पादन क्षेत्र 25667 हेक्टेयर था जो 2016–17 में बढ़कर के 23573 हो गया यानी कुल 2094 हेक्टेयर गेहूं उत्पादन क्षेत्र घटा है। जिले की संगरिया तहसील में 1999– 2000 में 25211 हेक्टेयर क्षेत्र पर गेहूं की बुवाई की जाती थी जो 2016–17 में 32768 हेक्टेयर क्षेत्र पर होने लगी यानी 7557 हेक्टेयर अधिकबोया जाने लगा। शोध जिले की टिब्बी तहसील में 1999–2000 में कुल क्षेत्रफल के 46312 हेक्टेयर क्षेत्र पर गेहूं बोया जाता था जो सन 2016–17 में 45619 हेक्टेयर रह गया यानी कुल 693 हेक्टेयर क्षेत्र घट गया है।

तिल

शोध जिले में तिल के अंतर्गत क्षेत्रलगभग तहसीलों में घटा है क्योंकि तिल फसल के स्थान पर अब कपास जैसी अधिक पैदावार व मूल्यवान फसले होने लगी है। जिले की भादरा तहसील में 1999–2000 में कुल 3 हेक्टेयर क्षेत्रफल बोया गया था जो 2016–17 में बढ़कर 36 हैक्टेयर बोया जाने लगा यानी 33 हेक्टेयर अधिक क्षेत्र पर तिल बोया गया। हनुमानगढ़ तहसील में 1999–2000 में जहां 1355 हेक्टेयर बोया जाता था वो घटकर करके 2016–17 253 हेक्टेयर हो गया अर्थात 1102 हेक्टेयर कम क्षेत्रहो गया। जिले की नोहर तहसील में 1999–2000 में कुल 96 हेक्टेयर क्षेत्रपर तिल बोया जाता था जो 2016–17 में 120 हेक्टेयर हो गया इस प्रकार 1999–2000 से 2016–17 तक 24 हेक्टेयर क्षेत्रबढ़ा है। जिले की पीलीबंगा तहसील में 1999–2000 में कुल तिल का उत्पादन क्षेत्र692 था जो 2016–17 में घटकर के 141 हेक्टेयर रह गया यानी 551 हेक्टेयर क्षेत्र17 वर्षों में घटा है रावतसर तहसील में तिल 1999–2000 में 869 हेक्टेयर क्षेत्रमें बोया जाता था जो 2016–17 में घटकरके 199 हेक्टेयर रह गया व 658 हेक्टेयर क्षेत्रफलघटा है। जिले की संगरिया तहसील में 1999–2000 में 869 हेक्टेयर क्षेत्रफल तिल बोया गया था जो 2016–17 में कुल 231 हेक्टेयर क्षेत्र पर तिल बोया गया यानी 1999–2000 से 2016–17 तक तिल के अंतर्गत 869 हेक्टेयर क्षेत्रफल घटा है। शोध जिले की टिब्बी तहसील में 1999–2000 में कुल क्षेत्रफलका 1341 हेक्टेयरक्षेत्रफलपर तिल बोया गया था वही 2016–17 में 145 हेक्टेयर क्षेत्रपर तिल बोया गया अर्थात कुल 1246 हेक्टेयर क्षेत्रफलघटा है।

सरसों/राई

शोध जिले की भादरा तहसील में सरसों वराई 1999–2000 में कुल 5037 हेक्टेयर पर बोया गया था वही 2016–17 में 13788 हेक्टेयर क्षेत्रफल बोया गयायानी 1999–2000 से 2016–17 में कुल 8751 हेक्टेयर क्षेत्रपर सरसों/ राई अधिक बोई गयी। जिले की हनुमानगढ़ तहसील में 1999–2000 में कुल 15218 हेक्टेयर क्षेत्रफलपर सरसों/ राईबोई गई वहीं 2016–17 में 21941 हेक्टेयर क्षेत्रफलपर सरसों की गई इस प्रकार 6723 हेक्टेयर का अंतर आया है। नोहर तहसील में सन 1999–2000 में 2344 हेक्टेयर सरसों बोई गई थी और 2016–17 में 17188 हेक्टेयर क्षेत्रफलपर सरसों बोई गयी अर्थात् 1999–2000 से 2016–17 तक कुल 14844 हेक्टेयर से अधिक बोया गया।जिले की पीलीबंगा तहसील में 1999–2000 में कुल 15500 हेक्टेयर क्षेत्र पर सरसों बोई गयी थी वही 2016–17 में कुल 20637 हेक्टेयर पर सरसों बोई गयी इस प्रकार सन् 1999–2000 से 2016–17 तक कुल 5137 हेक्टेयर क्षेत्रकी बढ़ोतरी दर्ज की गई। रावतसर तहसील में जहां 1999–2000 में कुल 2066 हेक्टेयर क्षेत्र पर सरसों/राई बोई गयी थी 2016–17 में 22180 हेक्टेयर पर सरसों/राई होने लगी अर्थात 2014 हेक्टेयर अधिक बढ़ा।

संगरिया तहसील में सन 1999–2000 से 2016–17 तक के 4187 हेक्टेयर क्षेत्र पर अधिक सरसों व राई बोईगयी थी। जिले की टिब्बी तहसील में भी सन 1999–2000 में कुल 3755 हेक्टेयर क्षेत्र पर सरसों/राई होती थी वही 2016–17 में 9422 हेक्टेयर पर होने लगी इस प्रकार 1999–2000 से 2016–17 तक 5667 हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ा था।

कपास

शोध जिले की भादरा तहसील में 1999–2000 में कुल कृषि क्षेत्रके 15068 हैक्टेयर क्षेत्रपर कपास की खेती की गई थी वही 2016–17 में 10473 हेक्टेयर क्षेत्र पर कपास की खेती की गई इस प्रकार सन 1999–2000 से 2016–17 तक कुल 4595 हेक्टेयर क्षेत्रफल कपास की कृषि के अंतर्गत बढ़ा ह। जिले की हनुमानगढ़ तहसील में भी जहां 1999 2000 में 45788 हेक्टेयर क्षेत्र पर कपास उत्पादित की गई वहीं 2016–17 में 45303 हेक्टेयर पर कपास उत्पादन की गई इस प्रकार कपास का उत्पादन क्षेत्र485 हेक्टेयर घटा था। जिले की नोहर तहसील में जहां सन 1999–2000 में 10524 हेक्टेयर का पर कपास बोया गया वहीं वहीं 2016–17 में 7973 हेक्टेयर क्षेत्रपर कपास बोया गया। इस प्रकार सन 1999–2000 से 2016–17 तक आते–आते 2551 हेक्टेयर क्षेत्रघट गया। पीलीबंगा तहसील में सन 1999–2000 में कपास 30711 हेक्टेयर क्षेत्र पर बोई गई वहीं 2016–17 में 25994 हेक्टेयर पर कपास बोई गई थी। इस प्रकार पिछले 17 वर्षो में कुल 4717 हेक्टेयर क्षेत्र घटा है। जिले की रावतसर तहसील में सन 1999–2000 में 19748 क्षेत्र पर कपास की खेती की जाती थी वही सन 2016–17 में 16596 हेक्टेयर पर कपास की खेती होने लगी। इस प्रकार 2016–17 तक 3152 क्षेत्र पर कपास कम होने लगी। जिले की संगरिया तहसील में सन 1999–2000 में 28853 हेक्टेयर क्षेत्रपर कपास की खेती होती थी वही 2016–17 में 28533 हेक्टेयरपर कपास होने लगी। इस प्रकार सन 1999–2000 से 2016–17 तक कुल 320 हेक्टेयर क्षेत्रपर कपास के अंतर्गत घटा है। जिले की टिब्बी तहसील में सन 1999–2000 में 22861 हेक्टेयर पर कपास बोई जाती थी वही 2016–17 में 26046 हेक्टेयर पर कपास बोई जाने लगी इस प्रकार सन 2016–17 तक कपास के अंतर्गत क्षेत्रफल3185 हेक्टेयर बढ़ा है।शोध जिले में गन्ने का उत्पादन क्षेत्रवर्ष 1999–2000 से लगातार घटता आ रहा है।

विधि तन्त्र/ समको के स्त्रोत

हनुमानगढ़ जिले की सांख्यिकी रूपरेखा का अध्ययन करके उसका विशलेषण किया गया है प्रस्तुत शोध आगात्मक एवं निगमात्मक पद्धति पर आधारित है। शोध के लिए द्वितीय श्रेणी के आंकड़े कार्यालय भू–अभिलेख शाखा एवं सांख्यिकी विभाग हनुमानगढ़ से प्राप्त किये गए है। प्राप्त संमकों का सारणियन व आरेखों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

महत्व

शोध जिले में सिंचाई साधनों के विकास होने से फसलों का प्रारूप बदल गया है। आज जिले में जीवन निर्वाह कृषि के स्थान पर व्यापारिक या नगदी फसले उत्पादित होने लगी है। जिससे यहां के लोगों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सकारात्मक सुधार आया है और जिले की जनता के खानपान वेशभूषा, रहन–रहन, शैक्षिक स्तर में भी काफी वृद्धि हुई है। जिले में कृषि आधारित उद्योगों की संख्या बढ़ती जा रही। जिससे लोगों को रोजगार के नवीनतम अवसर मिल रहे है।

निष्कर्ष

आज से लगभग 100 वर्ष पहले शोध जिले का संपूर्ण क्षेत्र मरूस्थलीय था भूमि पर जन भार भी कम पाया जाता था यहां कृषि केवल जीवन निर्वाह के लिए वर्षा आधारित की जाती थी यहां फसले कम जल वाली जैसे– तारामीरा, सरसों, बाजरा, चना जैसी फसलें बोई जाती थी। लेकिन आगे चलकर शोध जिले में अनेक नहर परियोजनाएं जैसे आईजीएनपी, भाखड़ा नांगल परियोजना आने से सिंचाई जल उपलब्ध हो गया जिससे यहां अधिक सिंचाई वाली फसलें होने

लगी और सिंचित क्षेत्र बढ़ने लगा जिससे व्यर्थ पड़ी भूमि, गोचर भूमि पर भी खेती की जाने लगी।

ग्रन्थानुक्रमणिका

1. Mehta P.K. (2010). Role of Crop Diversification in Outpur Groth in India: A state Level Analysis. Journal of Agricultral Economics. (6), 24-42.
2. Das P. (2001). Cropping Pattern (Agriculture and Horticulture) in Different Zones, their Average yields in Comparison to National Average/Critical/reason Identified and yield Potential, Indian Council Research, Delhi.
3. Gurjar,R.K.(1987). Irrigation for Agricultural Modernization Scientific Publishers Jodhpur.
1. 4.Dashora J.L. Shekh N.A. and Saxena H.M (1968): Rajasthan ka Samikshatmk Bhagol. Ramesh book store. Udapur.

पत्र–पत्रिकाएं एव अन्य माध्यम

1. जिला साख्यिकी रूप रेखा एं गजट ईयर आर्थिक एवं साख्यिकी निर्देशालय राजस्थान, जयपुर
2. राजस्थान पत्रिका
3. दैनिक भास्कर

21वीं सदी में ट्रांसजेंडर की स्थिति

अंकित कुमार
Department of Mass Communication and Journalism, University of Technology, Jaipur
research@marudharacollege.ac.in

शोध सारांश

समाज और मीडिया ने अधिकतर किन्नर शब्द का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया था। किन्नरों के अधिकारों के लिए भारतीय सामाजिक संस्थाओ ने मिलजुल कर काम किया। भारत की तुलना में अन्य देशों में थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को अपने अधिकार बहुत पहले प्राप्त हो चुके हैं। हजारों वर्षों से पिछड़ा हुआ यह समुदाय आज अपने मूलभतू अधिकारों की माँग कर रहा है, जो उन्हें संविधान प्रदत्त हैं। मुख्यधारा के समाज से कहा रहा है कि हम भी इंसान हैं। आखिर अन्य बच्चों की तरह हम भी माँ की कोख में नौ महीने रहे हांगे अधे, लगंड़े, मनोरोगी को तो यह समाज स्वीकृति दे देता है फिर हमें क्यों नहीं। लिंग दोष के रूप में पैदा हुए इसमें हमारा क्या दोष है। यह तो प्रकृति का दोष है, जिसे अभिशाप की तरह झेलना पड़ रहा है। 21वीं सदी कहते ही हमारे सामने एक ऐसे समय की छवि दिखाई देती है जहां माना जा सकता है कि व्यक्ति को वह सभी अधिकार व कर्तव्य प्राप्त हैं जो उन्हें मिलने चाहिए और जो संविधान प्रदत्त हैं। ये अधिकार व पहचान विश्व के लगभग सभी देशों द्वारा अलग अलग तरीकों से व्याख्यायित किए गए हैं।

शब्दावलीः– *21वीं सदी, ट्रांसजेंडर की स्थिति, संविधान माँग ।*

परिचय

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2019 कहता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। इसमें ट्रांसमेन (परा–पुरुष) और ट्रांस–विमेन (परा–स्त्री), इंटरसेक्स भिन्नताओं और जेंडर क्वीर आते हैं। प्रत्येक सृजित वस्तु में ईश्वर के गुण प्रकट हुये हैं। बहाउल्लाह लिखते हैं–"ईश्वर की इच्छा है और इस अनिश्चित संसार में तथा इसके माध्यम से इसकी अभिव्यक्ति होती है। यह ईश्वर के नाम "रचयिता" का मूर्तरूप है।" हमारे समाज का ताना–बाना पुरूष और स्त्री से मिलकर बनता है व समाज की पहचान पुरूष और स्त्री से ही मानी जाती है। जिस प्रकार समाज में स्त्री–पुरुष प्रकृति की संरचना है उसी प्रकार इस वर्ग के अलावा भी एक अन्य वर्ग हमारे समाज में और है, वह है किन्नर वर्ग जो न तो पूरी तरह नर होता है और नारी, जिसे ये समाज हिजड़ा, किन्नर या फिर ट्रासंजडेंर के नाम से संबोधित करता है। समाज में उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता है क्यां? क्या वह इंसान नहीं हैं? मात्र केवल जेंडर के बदल जाने से उनसे समाज में इतना भदे –भाव? यह अत्यन्त गम्भीरता का विषय है। यदि उन्होनें किन्नर रूप में इस संसार में जन्म लिया है तो इसमें उनका क्या दोष। क्या उन्हें समाज में रहने का अधिकार नहीं है। प्रकृति से कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती। भारतीय समाज जैविक तथा यौनिक भिन्नता के आधार पर किन्नर (तृतीय लिंगी) के समाज को अस्वीकार करता हैं। यह समुदाय समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए। साहित्य समय और समाज के चलते हुए उन्नत भविष्य के सृजन का दूसरा नाम है। समाज में जो कुछ विद्यमान है वह साहित्यकार की संवेदना, चिंता और चिंतन का विषय रहा। 21वीं सदी में भारत देश जहां विकास की दृष्टि से चरम शिखर की और बढ़ रहा है। वहीं यौनिक असमानता के चलते तृतीय लिंगी समाज आज हाशिये पर त्रासदीपूर्ण जीवन जीने को विवश है। कानूनी रूप से अधिकार मिलने के बावजूद भी तृतीयलिंगी समुदाय को उचित मान–सम्मान तथा संवेदनापरक दृष्टि से नहीं देखा जा रहा। वहीं तमिलनाडु एक एसे राज्य है जिन्होनें किन्नरों को सर्वप्रथम वाटे दने का अधिकार दिया। भारत सरकार में अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तौर से किन्नरों को तीसरे लिंग की मान्यता मिली। फिर भी सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने इस निर्णय को सहजता से नहीं लिया। वर्तमान में कथा साहित्यकार इनके अस्तित्व की लड़ाई में योगदान दे रहे हैं।

विषय चयन का कारण

यह वर्ग प्रकृति का बनाया हुआ अलग–सा एक लिंग है जिसे शायद हमारा समाज अभी तक समझ नहीं पाया है। यह वर्ग भी समान भाव से सम्मान पाने का अधिकारी है। घर में बेटा–बेटी के साथ बराबर का सम्मान पाने का अधिकारी। जिस अपराध के लिए ये उत्तरदायी हैं ही नहीं, फिर उसकी सजा इन्हें क्यां? विचार कीजिए या अपनी अन्तरात्मा से पूछिए कि यदि आप को आजीवन भयंकर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पीड़ा और प्रताड़ना से गुजरना पड़े और कारण के लिए आप नहीं प्रकृति उत्तरदायी है, तब क्या? तब आपके मन में इस संसार और इस संसार को बनाने वाले ईश्वर, इस समाज और जन्म देने वाले माँ–बाप के प्रति क्या विश्वास पनपेगा। फिर भी यह समुदाय सभी से सब प्रकार की पीड़ा मिलने के बाद भी दुआओं के लिए अपने हाथ उठाते हैं। यह वर्ग ऊँच–नीच, जात–पात से घिरे समाज में किसी किन्नर को बिना किसी भेद–भाव के अपना लेते हैं। हर किसी की खुशी में शामिल होना, हर

किसी के लिए आशीष की वर्षा करना, न धर्म देखना, न जाति–पाति देखना, ये सब किन्नर वर्ग की विशेषता है और बदले में ये समाज इन्हें घृणा और अपमान देता है। यह भी तो आम इंसानो की तरह ही हैं, तो फिर इनसे इतना भदे भाव क्यों किया जाता है? इन्हें भी रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपडे, खाने के लिए रोटी की आवश्यकता हाती ही है तो फिर इन्हें साधारण इन्सानों की तरह क्यों नहीं समझा जाता है? क्यों इनकी हंसी उड़ाई साहित्य के क्षेत्र में आज विमर्शों का धूम चल रहा है। स्त्री, दलित, श्रमिक, मजदूर, किसान, वृद्ध जन आदि सब विमर्श के केन्द्र बने हैं और बनते जा रहे हैं। समाज की मुख्य धारा से हटाए जाने वाले इन निचले जाति के लोगों के बीच में एक और वर्ग भी आज सारे जंजालों को तोड़कर साहित्य के आसमान में पंख उठाकर तीव्र वायु में बहने लगे हैं। वे न तो अपने जाति–धर्म को लेकर हाशिए से हटाए जा रहे हैं और न ही रूप–रंग को लेकर। समाज द्वारा इन पर आरोपित सबसे बड़ा दोष है लिंग या जेंडर की अपूर्णता। किन्नर या हिजड़ा बोलकर जितना भी आप इनकी हँसी उड़ाइए, उतना ही उनका मन द्रवित हाता जाएगा। इन लोगों के हृदय के स्थान पर कोई पत्थर नहीं रखा गया है, उस हृदय में भी प्यार, दया, ममता, सद्भावना, अपनत्व, राष्ट्र प्रेम, भाषा प्रेम जैसे मानवीय भाव होते हैं, ये भी मनुष्य होते हैं। आज के साहित्यकार सरस भाषा में बेहद गंभीरता के साथ यह प्रश्न उठाने लगे हैं कि प्रकृति ने किन्नरों के साथ अन्याय क्यों किया? सच में देखा जाय तो अपने लिंग की अपूर्णता में वे कितने हद तक उत्तरदाई हैं?

विषय का महत्व

साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध है। साहित्यकार परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही साहित्य का सृजन करता है। आज साहित्य में विमर्शों का दौर चल पड़ा है। प्रत्येक साहित्यकार की रचना में कोई–न–कोई विमर्श उमड़कर आता ही है। इन विमर्शों के केंद्र में वह समाज है जो सदियों से हाशिये पर रहा है। यौनिक अस्पष्टता के कारण तिरस्कृत जीवन जीने को विवश तृतीय लिंगी समाज ने भी साहित्यकारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और पाठकों को इन लागों के समस्यापरक जीवन से रू–ब–रू करवाया। प्रस्तुत अध्ययन का महत्व इसी में निहित है कि मानवीय समाज दो आधार स्तंभों से बना जिसमें जिसमें पुरूष और स्त्री है। इन्हीं दो स्तम्भों से ही समाज का सपूर्ण विकास इन्हीं दो लिंगो के कारण ही हो रहा। इन दोनों के सहयोग से संतान पैदा होती और मानव प्रजाति को आगे बढ़ाते है। लेकिन समाज में स्त्री–पुरूष के अतिरिक्त भी एक और प्रजाति है तृतीय लिंगी। जिसे समाज ने सदैव अनेक नामों से दुत्कारा है– हिजड़ा, ख्वाजा, छक्का, मामूफातरा, बायक्या, उभयलिंगी, आदिनामों नामों से बुलाकर उपहास उड़ाते है। आदिकाल से ही समाज के लोगों ने किन्नरों को हास्यात्मक एवं मनोरंजन का पात्र समझा। इन्हें समाज से सदैव उपेक्षा ही मिली। इस उपेक्षा ,उपहास के बावजूद किन्नरों का अस्तित्व हमारे समाज में है। वर्तमान में किन्नर समुदाय अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर मांग कर रहे है। भारत सरकार के द्वारा इन्हें अब अधिकारिक रूप से सहयोग मिल भी रहा है।

उद्देश्य

1. जीव–विज्ञान के अनुसार लैंगिक व्यवस्था का अध्ययन करना।
2. विमर्श के विविध आयामों को जानना।
3. किन्नर समाज के लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक तथा मानवीय अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करना।
4. किन्नर समुदाय के जीवन यथार्थ व किन्नर समुदाय के अस्तित्व पर विचार करना।
5. कथा साहित्य में किन्नर समाज के औचित्य और अनौचित्य पर विचार करना।

ट्रांसजेंडर अधिकार रक्षा विधेयक

अब समय आ गया है कि हम और आप अपनी सोच बदलें। किन्नरों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। सेंसेक्स 2011 में एक चौकाने वाली बात सामने आयी है कि हमारे देश के गाँवो में सबसे ज्यादा किन्नर हैं और इनकी संख्या 70,000 के आसपास है। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किन्नर पाये जातें हैं। उत्तर प्रदेश के बिहार नंबर दो पर और तीसरा नंबर पश्चिम बंगाल का है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 12,916, बिहार में 9,987 और पश्चिम बंगाल में 9,868 टांसजेडंर (किन्नर) हैं। देश के कई राज्यों में किन्नरों के जीवन को सुधारने के लिए काफी प्रयास किये जा रहे हैं। हाल ही में बिहार में शादी–विवाह या शुभ अवसर पर नाच–गाकर लोगों को दुआएं देने वाले किन्नरों को महिलाएं और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम दिया गया है। इसके साथ–साथ प्रधानमंत्री मादी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 19 जुलाई 2016 को ट्रांसजेडंर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) बिल 2016 को मंजूरी दे दी। जरिए एक व्यवस्था लागू करने की है, जिससे किन्नरों को भी सामाजिक जीवन, शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में आजादी से जीने के अधिकार मिल सकें यह उम्मीद की जा रही है कि से विधेयक भारतीय किन्नरों के लिए मददगार साबित होगा। इसके साथ ही साथ सुप्रीमकोर्ट ने किन्नरों को तीसरे

लिंग के रूप में मान्यता दी है। सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले से किन्नरों को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि किन्नर इस देश के नागरिक हैं और उन्हें भी शिक्षा और काम पानें तथा सामाजिक बराबरी हासिल करने का पूरा हक है।

किन्नरों पर निजी विधेयक –एक साल पहले राज्यसभा ने निजी विधेयक पारित किया था–द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल 2014, जो किन्नरों के अधिकार की बात करता था। डीएमके सांसद तिरूचि शिवा ने 2015 में यह विधेयक प्रस्तुत किया था। उस समय यह पूर्व अपेक्षित नहीं था और उस विधेयक को ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) बिल 2016 का पहला वर्जन माना गया। उसी को आधार बनाकर नया विधेयक तैयार किया गया है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इसे तैयार किया है। सच्चाई तो यह है कि चार दशक में पहली बार ऊपरी सदन में किसी निजी विधेयक को मंजूरी दी गई है। विधेयक में दण्डात्मक प्रावधान–विधेयक के अनुसार किन्नरों का उत्पीड़न या प्रताड़ित करने पर किसी भी व्यक्ति को 6 महीने की जेल हो सकती है। ऐसे मामलों में अधिकतम सज़ा कुछ वर्षों की भी हो सकती है।

निष्कर्ष

शोध अध्ययन में चर्चाओं के दौर में समझा जा सकता है कि पहले की तुलना में ट्रांसजेंडर की स्थिति में बदलाव आना शुरू हो गये है जिसमें काफी सारे बदलाव लाना अतिआवश्यक है। इन्सान होकर एक इन्सान को इन्सान ही नहीं समझना खुद को इन्सान समझने की भूल है। आधुनिक भारतीय समाज ने अनेक पुरातन रूढ़ियों जैसे– सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा–विवाह आदि को तोड़ा और समाज के वंचित वर्गों में दलित, स्त्री और आदिवासियों के प्रति भी समाज का रवैया थोडा–बहुत परिवर्तित हुआ भी लेकिन किन्नर समुदाय समाज का अभिन्न अंग होते हुए भी बहिष्कार एवं तिरस्कार की पीढ़ा भोग रहा है। 21वीं सदी में सामाजिक समानता और एकता को ध्यान में रखते हुए मुख्य धारा के समाज को मानसिक दुराग्रहों को छोडकर किन्नरों को अपनाना होगा जिसके आधार पर एक समतामूलक समाज और एक आदर्शवादी व कल्याणकारी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है।

संदर्भ सूची

1. जोर्जिया, एम., एवं गेराल्डाइन, एम., ए कुआलटेटीव एक्स्प्लोरिसन ऑफ ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी अफ्फिरमेशन एट द पर्सनल, इंटरपर्सनल एंड सोशिओकल्चरल लेवल, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रांसजेंडरिजम, 2013; 14(3):140-145
2. चेट्टियार, ए., ए प्रॉब्लम फेसड बाय हिज्राज (मेल टू फीमेल ट्रांसजेंडर्स) इन मुंबई विद रेफरेंस टू द हेल्थ एंड हरेस्मेंट बाय द पुलिस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस हयुमनिटी, 2015;5(9):752-759
3. त्रिशा, एम., एकुलिटी फॉर ट्रांसजेंडर्स, इकनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 2013; 48(49):4-5
4. अनुविन्द, पी., एवं तिरुची, पी., नो कंट्री फॉर ट्रांसजेंडर्स, इकनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 2016; 51(37):19-21
5. भारत में किन्नरों के अधिकार fromhindi.mapsofindia
6. देश के गांवों में 70 हजार से ज्यादा किन्नर यूपी पहले नंबर पर https.//hindi.oneindia.com